

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सैक्टर-18, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : 6680002@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 12/03/2024 को संपन्न 519वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024 को श्री. बी.पी. नोनकरे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री एन.के. कन्हाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री कलविदुषा तिहरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष सीधे प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: मौल/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी इकरनों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स बुद्धगहन आईन स्टोन आईन प्रोजेक्ट (सी.- श्री बुधेलाज कर्षी), ग्राम-बुद्धगहन, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-साटाघात (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2274)

विषय वस्तु	अपेक्षित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 414819 एवं 17/01/2023 ई.सी. - 451383 एवं 04/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का इकर	नूना पत्थर (मौल खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.601 हेक्टेयर एवं 7,027.6 टन प्रतिवर्ष	
खाना क्रमांक	172/2	

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., असीसगढ़ की आपन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु की इन्दर देव वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक को यह दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आपसी असहमत बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुमति दिया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., असीसगढ़ की आपन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 813वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		प्रस्तुतीकरण हेतु की इन्दर देव वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यवरण सलाहकार के साथ से मेमर्स एक्सपर्ट्स एन्वायरनेट इंस्टीट्यूट की ओर से मो. खमूद मौस उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चुन माला खदान खदान क्रमांक – 172/2 क्षेत्रफल – 0.007 हेक्टेयर क्षमता – 7.027.8 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 14/02/2017 वैधता अवधि – 13/02/2022	सी.ई.आई.ए.ए. जिला-बलौदाखण्ड-भारत माता सरदार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Carbon Print (CO2-12) के कारण पर्यावरणीय स्थिति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का चलन प्रतिवेदन	स-प्रमाणित – हाँ	निर्दिष्ट सार्वजनिक सुनवाई – 141 नम
विगत वर्षों में किये गये परीक्षण की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक 03/01/2023 2017-18 में 8,480 टन 2018-19 में 8,430 टन 2019-20 में 3,000 टन 2020-21 में 7,000 टन	दिनांक 01/04/2021 से किए गए सार्वजनिक माता की खदान जानकारी खनिज विभाग से सम्बंधित सलाहकार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
बाल पर्यावरण एन.ओ.सी.	बाल पर्यावरण सुझावन दिनांक 08/02/2006	संलग्न है।
संरक्षण योजना	दिनांक 13/01/2017	संलग्न है।

अनुमोदन		
300 मीटर	दिनांक 08/01/2022	3 खदानें, लम्बा 11.000 मिटर
200 मीटर	दिनांक 08/01/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं।
भू-साक्षि	भूमि आवेदन के नाम पर है।	संलग्न है।
सीज क्षेत्र	वर्तमान सीज धारक - श्री कुमेशल जर्न अवधि-25/02/2008 से 24/02/2008	पूर्व में सीज धारक - श्री विजय शर्मा सीज क्षेत्र हस्तांतरण - दिनांक 18/02/2008
वन विभाग एन.ओ.सी.		निकटस्थ वन क्षेत्र के आवेदित खदान की दूरी का परीक्षण करते हुए कार्यालय वन सफलाशिवली का अनाधिकृत प्रमाण का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महाकुपूर संरचनाओं की दूरी	आराठी घाट - कुलमहान 580 मीटर मरुत घाट - कुलमहान 880 मीटर अस्पातल - लम्बाय 2.25 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 18.85 कि.मी. राज्यमार्ग - 14.4 कि.मी.	लाला - 240 मीटर माला - 820 मीटर महानदी - 35 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / वैवैविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रमुख निषेधन क्षेत्र द्वारा घोषित किरिकारी मीनटुंड्रा एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित वैवैविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संख्या एवं खनन का विवरण	खननन विधि - ओपन बलर सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कटौत मशीन - हाई रिजर्स - विशालीकृत 1.31,209 टन माईनेबल 77,415 टन रिजर्वेबल 89,873 टन प्रस्तावित गहराई 15 मीटर क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर संपादित आयु 10 वर्ष प्रस्तावित प्रकार - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित खननन प्रमाण 7,027.80 टन द्वितीय 7,027.80 टन तृतीय 7,027.80 टन चतुर्थ 7,027.80 टन पंचम 7,027.80 टन
खननन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	सीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 2,129.50 वर्गमीटर	अवधि - हाई माईनेबल प्रमाण में परीक्षण - हाई रेस्टोरेशन प्रमाण - हाई
ऊपरी मिट्टी/ओवर बॉन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई - 0.5 मीटर	वर्तमान में सीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।
जल आपूर्ति	मात्रा - 4 घनमीटर प्रतिदिन	सेन्ट्रल घाटमंडी बॉर अक्वीफर से

	सड़क - न्यू-जल	प्राप्त।
कृषावीनग कार्य	सीड क्षेत्र से 7.5 मीटर के घाटी और कृषावीनग - 455 मग	प्रभावित कार्य हेतु 5 वर्ष की सति - 5,77,470 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 852, दिनांक 08/07/2023	100 का स्टैण्डर्ड टैजोआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए रिपोर्ट का निरीक्षण	नॉनिटरेिंग-1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 PM _{2.5} - 61.0 से 88.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM ₁₀ - 110.0 से 120.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ - 8.45 से 18.16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ - 20.12 से 30.64 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L _{eq} - 55.8 से 68.5 Night L _{eq} - 43.4 से 45.4 जल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त नॉनिटरेिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (31 मग) PM _{2.5} - 25.0 से 41.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM ₁₀ - 73.0 से 94.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ - 10.3 से 18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ - 12.0 से 17.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L _{eq} - 48.8 से 53.2 Night L _{eq} - 41.5 से 48.8 जल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	सुनवता समय काल: परिचालित वायु - 08 न्यू-जल - 08 सराही जल - 02 धनि स्तर - 08 मिट्टी के नमूने - 08 अतिरिक्त नॉनिटरेिंग कार्य हेतु सुनवता समय काल: परिचालित वायु - 08 न्यू-जल - 08 सराही जल - 02 धनि स्तर - 08 मिट्टी के नमूने - 08 फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।	घाटी घाटनी / नलीरूपकन ईटी घाटनी को समर्पित कर्ता हुए ट्रैकिंग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जी.एल.सी. की गणना		जी.एल.सी. की गणना संकेत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय - प्रातः 10:00 बजे स्थान - रानीजरीद सिडल निजी भूमि (खसरा क्रमांक 807), गहरील - सिमरा, जिला - बलीयाबाजार-भाटावारा	लोक सुनवाई रसायन सदन सचिव, छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नग्न बाघपुर जलत नगर, जिला-बाघपुर से मग दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. छापावसिती को रोजगार नहीं मिलता है, चांद के लोगो को रोजगार मिले। 2. स्टास्टिंग से छापावसिती की दिनचर्या	निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:- 1. छापाव वायु होने से छापावसिती को रोजगार मिलेगा। 2. सन्टील स्टास्टिंग किया जायेगा।

	प्रभावित होती है। स्टाफिंग नहीं होना चाहिए। 3. ग्रीड का जाल सतह नीचे जा रहा है। भविष्य में घास के घने की समस्या होती है।	3. शासन द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करते हुए खनन किया जाएगा।
सी.ई.एच.सी.	कलक्टर ने कुल 4 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की शर्त - 2,38,18,500 रुपये	परिचोजना प्रस्तावक की सहभागिता प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की शर्त - 2,29,487 रुपये
परिचोजना से संबंधित संपन्न पत्र	परिचोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी मिट्टी प्रकल्प, सी.जी.एच.एस. द्वारा कन्स्ट्रिक्ट, क्वालिटीय इस्ट चलायन नियंत्रण, सतह पुनर्स्थापन एवं 30 प्रतिशत जीवन सतह सुनिश्चित, क्षतीरहित अपरत पुनर्स्थापन नीति के तहत सौजन्य, कनिष्ठ नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आदि बाबाय संपन्न पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परिचोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न संपन्न पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परिचोजना प्रस्तावक की विस्तृत इस परिचोजना/खदान के संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देना के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परिचोजना प्रस्तावक की विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रस्तावना का प्रकरण लंबित नहीं है।
क्षेत्री	क्षेत्री	आवृत्ति खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 11.472 हेक्टेयर है।

1. जीव क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में जलखनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में जलखनन किया जाना पर्यावरणीय सौकरुति की शर्तों का उल्लंघन है। आतः जीव उपरंत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही जल जलखनित क्षेत्र को पुनर्भात किसे जाने हेतु क्वालिटीय प्लान एवं जलखनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार नियंत्रण की गमना वन अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, माई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई है। शर्तों का.आ. 804(अ) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग सीमा क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्रों कोन में पुनर्स्थापन किया जाना आवश्यक है।

3. सीपीईएट पर्यावरणीय बाधित (C.E.R.) - परिचोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विज्ञापन से पत्रा जलगत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27	2%	0.54	Following activities at Nearby, at Government School Village - Budgahan	
			Plantation	1.348
			Total	1.348

4. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदम, पीपल आदि) हेतु प्रस्तुत बजट अनुमान 100 मग पीपल के लिए राशि 5,000 रुपये, पीपल के लिए राशि 5,000 रुपये, आम के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंघाई तथा एक-एकानु एक के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,000 रुपये हेतु घटकगत कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
5. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. प्रसूतीकरण के दौरान परियोजना प्रत्येक द्वार बताया गया कि बैंगलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किसे गवे नॉनिटरीन अवधि 1 मार्च 2023 से 31 मई 2023 में PM₁₀ - 110 से 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जो कि उस क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उस क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत सर्वे के संज्ञान में लेते हुये अतिरिक्त नॉनिटरीन कार्य जनवरी 2024 से करवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसमें PM₁₀ - 73 से 94.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ पाया गया है, जो कि उस क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बैंगलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किसे गवे नॉनिटरीन अवधि 1 मार्च 2023 से 31 मई 2023 एवं अतिरिक्त नॉनिटरीन कार्य जनवरी 2024 से करवरी 2024 (01 माह) में PM₁₀ की मात्रा में कमी आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वातावरण प्रदूषण से होने वाले कुल कार्बन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी कार्य करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श पत्रांत सारसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. दिनांक 01/04/2021 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
2. निष्कर्षण वन क्षेत्र से आवेदित खदान की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वन मंत्रालय/विभाग का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. बैंगलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किसे गवे नॉनिटरीन अवधि 1 मार्च 2023 से 31 मई 2023 में PM₁₀ - 110.0 से 120.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है जो कि उस क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उस क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत अतिरिक्त नॉनिटरीन कार्य जनवरी 2024 से करवरी 2024 (01 माह) का किया गया है जिसमें PM₁₀ - 73.0 से 94.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ पाया गया जो कि उस क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। इस संबंध में समिति द्वारा उस क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर में कमी आने का कारण स्पष्ट किया जाए।
4. भारी वाहनों / मालीएवात डीपी वाहनों को सम्बंधित करती हुये ट्रैकिंग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
5. जी.एस.टी. की राशियां संशदी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. खनिज विनियम द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत 3 खदानें, यथा 11.058 हेक्टेयर होना बताया गया है, परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण में सीमा इन्क्वायरीमेंटल मैनेजमेंट प्लान की तहत जलाशय में कुल 4 खदानें हेतु (कुल यथा 71.328 हेक्टेयर) 5 वर्ष की रशि - 2,39,18,500 रुपये है, जिसमें से परियोजना प्रस्तावक की सहमतिता के लिए प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की रशि - 2,39,487 रुपये है। इस प्रकार उक्त आंकड़ी में निम्नानु दर्शित हो रही है। इस संबंध में समीक्षण प्रस्तुत करने हुए संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
7. लोक सुनवाई के दौरान उल्लेख गये किन्तुओं संबंधी जांचासन्, सी.ई.आर. के उक्त निर्धारित रशि का उपयोग प्रस्तावित कार्य हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं योजनाएं की प्राप्तिकरता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित साधन से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन विजोटींग फोटोवाक सहित जानकारी अवधारणिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित संपत्ति दिनों की जा, याता सारकार के संपत्ति दिनों के अंतर्गत प्राप्त की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, बल्लभ हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि नगरीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India With Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का भी द्वारा चलन किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि नगरीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को with petition (S) Civil No.114 /2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का चलन किया जाएगा।
10. वेबसाईट आटा कलेक्शन हेतु किये गये नॉमिनेटिंग आवेदि 1 मार्च 2023 से 31 मई 2023 एवं अतिरिक्त नॉमिनेटिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (31 मई) में PMU की माता में अंतर आने बाबत समीक्षण प्रस्तुत किया जाए।
11. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने परवर्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।
2. वेसर्ट की बालाजी स्टीन इन्कस्टीज (प्राईवट)- की निरकुंज पटेल, सीनियर स्टीन क्वार्टी प्रोजेक्ट, ग्राम-सीनियरी, तहसील-दिनगा, जिला-बाजीदाबाजार-भटाबाबा (समिवालय का नमरी क्रमांक 1029)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनसाईट आवेदन	टी.जे.आर. - 72155 एवं 10/02/2022 ई.सी. - 451430 एवं 06/11/2023	कईन्स ई.आई.ए. निर्दिष्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (नीम खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.4 हेक्टेयर एवं 78,875 टन प्रतिवर्ष	
खाना क्रमांक	384, 385(पार्ट), 386, 404, 405 एवं 407	

वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमन्त्रालयधिकारी, बरौदाबाजार जलमण्डल द्वारा दिनांक 07/08/2023 को जारी प्रमाण पत्र में "उक्त क्षेत्र आवंटित वन संरक्षित वन एवं गारंगी वनक्षेत्र का भाग नहीं होने के कारण आवंटित भूमा पत्र पर उत्खननपट्टा स्वीकृत करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु वन क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में होने के कारण उत्खननपट्टा परीक्षण संस्थान संकाय से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।" का उल्लेख है।	आवंटित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमन्त्रालयधिकारी का जनावर्तित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाएँ की दूरी	आंबाटी घाट – चौलाई 1.02 कि.मी. सकुल घाट – सुंदेल 1.21 कि.मी. अस्पताल – सुंदेल 2.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 21 कि.मी. राज्यमार्ग – 11 कि.मी.	तालुका 1 कि.मी.
परिस्थितिकीय / जीववैविध्यता संबंधित क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में जातीयजीव सौम्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जैविकली सील्यूटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं है।	सलग्न है।
खनन खंभरा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – क्रोपिंग आउट सेमी मेकैनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ रिजर्व – जियोलाॅजिकल 18,18,000 टन साईनेबल 11,02,990 टन रिक्वायरेबल 10,47,000 टन उत्पादित गहराई 20 मीटर क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर अंशित आयु 15.78 वर्ष प्रस्तावित कक्षा – नई	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 78,875 टन द्वितीय 73,530 टन तृतीय 69,040 टन चतुर्थ 65,730 टन पंचम 61,587.5 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	क्षेत्र के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 8,400 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
अन्य मिट्टी/ओवरन बड़ेन प्रमाण योजना	मिट्टाई – 1 मीटर पत्रा – 28,600 घनमीटर	4,047 घनमीटर – 7.5 मीटर (मईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त। क्षेत्र 24,553 घनमीटर – क्षेत्र क्षेत्र के बाहर पत्रा की भूमि (खसता क्रमांक 390/2, पत्रा 0.00 हेक्टेयर) में सम्पन्नित कर संस्थित।
जल आपूर्ति	मात्रा – 8 घनमीटर प्रतिदिन स्रोत – क्षेत्रीय एवं टैंकर के माध्यम से।	क्षेत्रीय धारापत्र मीटर अंशोरेटी के 5 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त

		कक्षा सेव जल की जापूरी इंडिगेट टैकन के माध्यम से की जायेगी।
कुयारोपन कार्य	सीव क्षेत्र के 1.5 मीटर की गहरी और कुयारोपन - 1,365 मम	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 13,67,170 रुपये
जारी टी.ओ.आर	क्रमांक 1528, दिनांक 09/12/2022	1(1) का स्टैंडर्ड टैबोआर (लोक सुनवाई सक्षित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग-1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 $PM_{2.5}$ - 71.57 से 78.06 $\mu g/m^3$ PM_{10} - 133.42 से 138.54 $\mu g/m^3$ SO_2 - 7.85 से 9.41 $\mu g/m^3$ NO_2 - 17.44 से 18.75 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} - 50.7 से 55.7 Night L_{eq} - 40.5 से 42.8 जला क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (31 मार्च) $PM_{2.5}$ - 23.9 से 39.8 $\mu g/m^3$ PM_{10} - 74.1 से 80.8 $\mu g/m^3$ SO_2 - 10.3 से 15.1 $\mu g/m^3$ NO_2 - 12.2 से 17.8 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} - 48.1 से 53.2 Night L_{eq} - 42.3 से 48.2 जला क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	सुगंधता मापन स्थल: परिसीमा वायु - 08 सू-जल - 03 सरही जल - 02 धनि स्तर - 04 मिट्टी के नमूने - 03 अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य हेतु सुगंधता मापन स्थल: परिसीमा वायु - 08 सू-जल - 06 सरही जल - 02 धनि स्तर - 08 मिट्टी के नमूने - 08 फलीत (Falling) एवं बौल (Rising) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	राज्यस्तर हेतु - वर्गघन से 250 पी.सी.यू./दिन की/सी अनुपात (VOC ratio) 0.16 परिसीमा जलांत 350 पी.सी.यू./दिन की/सी अनुपात (VOC ratio) 0.36	राज्यस्तर हेतु - लोक लेविंग संयुक्त निर्धारित मानक - B (Very Good) के भीतर है।
पी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 85.35 $\mu g/m^3$ है।	निर्धारित राष्ट्रीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय - प्रातः 10:00 बजे स्थान - ग्राम - रानीजरीद स्थित निजी भूमि (खसरा क्रमांक 607) तहसील - सिमगा, जिला - झींदाबाजार-भाटपारा	लोक सुनवाई दस्तावेज संदर्भ सक्षिप्त, छल्लीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण स्थल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की पत्र दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं- 1. ग्रामवासियों को राजगमन नहीं मिलता	निष्कर्षण की दिशा में कथन निम्न है- 1. कथान वास्तु होने से शास्वतियों

	1. पत्र के लोगों को संजाना मिले। 2. ब्यांकिंग से वारंवारियों की दिनांशों प्रभावित होती है। ब्यांकिंग नहीं होना चाहिए। 3. पीप का जल सार पीप का पत्र है। वारंशों में पीप के पीप की समस्या होती है।	को संजाना मिलेगा। 2. कन्ट्रोल ब्यांकिंग किया जाएगा। 3. वारंशों द्वारा जारी सभी वारंशों का पालन करते हुए खनन किया जाएगा।
सी.ई.एम.पी.	ब्यांकिंग में कुल 28 खनन प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 60,00,000 रुपये	परियोजना प्रस्तावक की सहायता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 24,54,175 रुपये
परियोजना से संबंधित समझ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी निजी प्रकल्प, सी.ई.एम.पी. द्वारा कन्ट्रोल ब्यांकिंग, प्रकल्पित ब्यांकिंग प्रकल्पित निबंधन, सार्वजनिक प्रकल्प एवं 80 प्रतिशत जीवन सार सुनिश्चित, प्रकल्पित ब्यांकिंग प्रकल्पित नीति के तहत संजाना, ब्यांकिंग प्रकल्पों के तहत सीमांकन, प्रकल्पित जल सारों के संजाना एवं सार्वजनिक हेतु आदि ब्यांकिंग समझ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न समझ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खनन से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग, संजाना की अधिनियम क्र. 804(अ), दिनांक 14/02/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण का प्रकरण लंबित नहीं है।
कोटी	की-1	अनुबंधित खनन की मिलाकर कुल संजाना 8.35 हेक्टेयर है।

1. सीसीईट न्यायालयीय दफ्तर (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपर्युक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52	2%	1.04	Following activities at Nearby Village- Lohari	
			Plantation	1.0005
			Total	1.0005

2. सी.ई.एम.पी. के तहत प्रकल्पित (पीप, जल, जलवायु, वारंश आदि) हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव अनुमान 200 वर्ष पीपों के लिए राशि 10,000 रुपये, वारंशों के लिए राशि 84,850 रुपये, खनन के लिए राशि 2,000 रुपये, निगाई तथा रक-संजाना आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रस्ताव प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,45,850 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,83,200 रुपये हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव का विवरण प्रस्तुत

किया गया है। सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु दान प्रदायक का सहमति उपरलत कक्षाधीन स्थान (खसत कक्षाधक एवं रकषा सहित) का उल्लेख करती हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशेयन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि : मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} - 133.42 से 138.94 $\mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिकर से क्षेत्र में लेते हुने अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसने PM_{10} - 74.1 से 90.8 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि : मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल वातावरण के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरलत सर्वसम्मति से निम्नानुसर निर्णय लिया गया:-

- उत्खनन के संबंध में फाटेनलीन डीक की प्रति एवं बी अडवात मिलर के सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- उत्खनन के संबंध में दान प्रदायक के अनाधीन प्रमाण पत्र की कीम प्रति (वैतक के कार्यवाही किरण, खसत कक्षाधक एवं रकषा सहित) प्रस्तुत किया जाए।
- अवेधित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करती हुए आधीन वनमन्त्रालयकारी का अनाधीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि : मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
- उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल वातावरण के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु दान प्रदायक का सहमति उपरलत कक्षाधीन स्थान (खसत कक्षाधक एवं रकषा सहित) का उल्लेख करती हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- लोक सुनवाई के दौरान उठने गये किन्तुओं संबंधी आवाधान, सीईआर के तहत निर्धारित प्रति का उपयोग उपरलत कार्य हेतु, भूमि स्वामिओं के निर्धारित गुआरन्ट एवं रोजगार की व्यवसिकाता, खनन कार्य से होने वाले जन समसयों के निराकरण हेतु उपाय, सीईआर के तहत उपरलत कार्य एवं संबंधित बाधों से कार्य पूर्ण अतिरिदन डिजिटल फाटेनलीन अतिरिक्त जानकारी आवधिक रिपोर्ट में बाधित करने बाबत, इनके द्वारा उत्खनन हेतु अवेधित भूमि के भूमि स्वामिओं के भूमि से संबंधित समस्त हिाई की आ, बाता सपकार के समस्त नियमों के अंतर्गत चलन की जिम्मेदारी हमारे सहनी, समसर हेतु रर्यवरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत समझ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।

a. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का स्थापित पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि मामलीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India With Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाये।

b. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का स्थापित पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि मामलीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/वसतावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिशोधना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

1. मेसर्स आगवालोंनी आईन स्टोन कच्ची माईनिंग प्रोजेक्ट (प्री- बी विवेक अदवाला), ग्राम-आगवालोंनी, तहसील-सिमगा, जिला-बलीदासाबार-माटनगर (महाराष्ट्र) का नक्सा क्रमांक 1883।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकल्प में संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 09038 एवं 08/12/2021 ई.सी. - 461388 एवं 08/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	युवा अधार (ग्रीन खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं समता	1.01 हेक्टेयर एवं 32,313.75 टन प्रतिवर्ष	
खनन क्रमांक	30 (चर्ट), 30 (चर्ट) एवं 30	

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छातीलपट्ट के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 50वीं बैठक दिनांक 10/01/2024

अनुमोदन हेतु बी विवेक अदवाला, प्रोजेक्ट ऑनलाइन उपस्थित हुए। परिशोधना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / वसतावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में अनुमोदन दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा लक्ष्य सहसंयोजक के निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई अधिकांश जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / वसतावेज सहित अनुमोदन दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छातीलपट्ट के ज्ञापन दिनांक 07/02/2024 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 51वीं बैठक दिनांक 12/02/2024

सू-साक्षित	सूनि आवेदक के नाम पर है।	संलग्न है।
अनुमोदन हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		अनुमोदन हेतु बी विवेक अदवाला, प्रोजेक्ट ऑनलाइन एवं फाईनल सलाहकार के साथ में मेसर्स एमपीएल एन्वायरमेंट प्रॉजैक्ट लिमिटेड की ओर से से

		मलमल नील उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.		पूर्व में कार्यालयीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत आमाकोनी दिनांक 10/03/2025	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 02/12/2021	संलग्न है।
600 मीटर	दिनांक 12/01/2022	33 खदानें, गहरा 88.093 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 12/01/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं।
एल.ओ.आई. संबंधी विवरण	एल.ओ.आई. फास - बी डिप्ट अग्रवाल दिनांक - 08/06/2021 डिप्ट अग्रवाल - 1 वर्ष	एल.ओ.आई. की डिप्ट वृद्धि काया आवेदन किया जाना बताया गया है, जो प्रक्रियामात्र है।
एन विभाग एन.ओ.सी.	अपेक्षित खदान से समीप की अन्य खदान (ग्राम-आमाकोनी, क्षेत्रफल 0.800 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। बनारसलाविकारी, बलीदासजान बनारसला, बलीदासजान द्वारा जारी दिनांक 20/02/2024	इन सब क्रमिक 34 खदानों की सीमा से दूरी - 9.40 कि.मी. बनारसीन अप्पारण बरामदाजान से दूरी - 32.30 कि.मी. टाईगर रिजर्व आमाकोनी से दूरी - 37.50 कि.मी.
महत्वपूर्ण संलग्नताओं की दूरी	आमाकी ग्राम - आमाकोनी 1.15 कि.मी. बहुल ग्राम - आमाकोनी 1.1 कि.मी. अपराज - सुतेला 3.66 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 22.5 कि.मी. राज्यमार्ग - 8.5 कि.मी.	अनुमिष्ट गरी - 4.5 कि.मी. राजराज - 1 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिसर में अंतर्राज्यीय सीमा राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संदीप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिकली पौडुपुटेठ एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संयथा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लैस्मिंग - हाँ रिजर्व - जियोलाजिकल 4,72,661 टन गार्मिन्सल 2,38,135 टन सिन्डरेन्सल 2,18,728 टन असुरक्षित गहराई 20 मीटर वेग की ऊंचाई 1.5 मीटर वेग की चौड़ाई 1.5 मीटर समाप्ति अनु. 8 वर्ष प्रस्तावित अरुण - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन ग्राम 29,968 टन द्वितीय 32,314 टन तृतीय 25,751 टन चतुर्थ 25,290 टन पंचम 30,000 टन

कारखानों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लोक को 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 3,081 वर्गमीटर	लाभनित - हाँ वाइनिंग प्लान में उल्लेख - हाँ रेगुलेशन प्लान - हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्सेन प्रबंधन योजना	गहराई - 0.5 मीटर मात्रा - 2,808 घनमीटर	2,308 घनमीटर - 7.5 मीटर (मॉडर्न बाउण्ड्री) क्षेत्र में मौजूदा कुआरिंगन के लिए उपयोग। क्षेत्र 808 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उपयोग पूर्व से लाभनित 7.5 मीटर सीमा बढ़ती (2,308 वर्गमीटर क्षेत्र, गहराई 4 मीटर) के पुनर्भरण हेतु किया जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा - 8 घनमीटर प्रतिदिन स्रोत - बोरेवेल	सेन्ट्रल वाटरवर्क वॉटर अवॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त।
कुआरिंगन कार्य	लोक क्षेत्र के 7.5 मीटर के गहरी ओर कुआरिंगन - 705 नम	प्रस्तावित कार्य हेतु 3 वर्ष की राशि - 11,37,700 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	अनांस 1274, दिनांक 03/11/2022	1(ए) का सर्टिफाइड टीओआर (लोक मुनिसिपैलिटी)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग-1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 PM ₁₀ - 88.714 से 89.488 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} - 118.678 से 119.854 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ - 8.31 से 9.33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ - 15.84 से 21.12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। Noise level - dB (A) Day L _{eq} - 49.8 से 53.8 Night L _{eq} - 38.2 से 42.5 अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) PM ₁₀ - 36.0 से 41.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} - 73.8 से 84.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ - 10.3 से 15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ - 12.0 से 17.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L _{eq} - 48.1 से 53.2 Night L _{eq} - 41.5 से 49.7 उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	गुणवत्ता समय काल: परिचालीय वायु - 08 दू-जल - 08 सतही जल - 08 ध्वनि स्तर - 04 मिट्टी के कण - 03 अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य हेतु गुणवत्ता समय काल: परिचालीय वायु - 08 दू-जल - 08 सतही जल - 08 ध्वनि स्तर - 08 मिट्टी के कण - 08 फ्लोरा (Flora) एवं फौजा (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की रचना	जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।	गहरी बहनों / मल्टीएकाल डीपी बहनों की सम्पत्ति करते हुए ट्रेकिंग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

बी.एल.सी. की समीक्षा		बी.एल.सी. की समीक्षा संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय - सात 10:00 बजे स्थान - बाम - रानीजरीद स्थित मिट्टी भूमि (अवकाश क्रमांक 607) तहसील - सिमगा, जिला - बलीवाबाबाबा-बाटाबाबा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सहित, अतीवगत पर्यवेक्षण संकलन मंडल, नया बाबाबाबा बाटाबाबा नगर, जिला-बाबाबाबा के पत्र दिनांक 19/10/2023 द्वारा अर्पित किया गया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. ग्रामवासियों को योजनाएं नहीं मिलती हैं, गांव के लोगों को योजनाएं मिलें। 2. अस्पष्टता से ग्रामवासियों की दिनांक प्रभावित होती है। अस्पष्टता नहीं होना चाहिए। 3. गांव का जल सार पीने लायक है। नमियों में पीने के पानी की समस्या होती है।	निष्कर्षण की दिशा में कठिन निम्न है:- 1. खदान बाबाबा होने से ग्रामवासियों को योजनाएं मिलेंगी। 2. कन्ट्रोल अस्पष्टता किया जायेगा। 3. बाबाबा द्वारा जारी सभी कार्डों का फालन कनो हुर खानन किया जायेगा।
बी.ई.एम.सी.	कलक्टर ने कुल 34 खदानों प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 2,39,18,500 रुपये	परियोजना प्रस्तावक की साक्षरता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 3,81,817 रुपये
परियोजना से संबंधित बाबाबा पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी मिट्टी प्रयोग, बी.बी.एम.एम. द्वारा कन्ट्रोल अस्पष्टता, पर्यवेक्षण कन्ट्रोल प्रस्तावित नियंत्रण, बाबाबा प्रस्तावित एवं 30 अतिरिक्त जीवन सार सुविधाएं, अतीवगत बाबाबा प्रस्तावित नीति के तहत योजनाएं, अतिरिक्त नियंत्रण के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आदि बाबाबा बाबाबा पत्र (Notarized Undertakings) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न बाबाबा पत्र (Notarized Undertakings) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यवेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.अ. 80(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रस्ताव का प्रकरण लंबित नहीं है।
क्षेत्र	बी-1	अर्पित खदान की मिलावन कुल क्षेत्रफल 66.103 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के बाबाबा और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। अतिरिक्त 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यवेक्षण संबंधित की बाबाबा का प्रस्ताव है। अतः जीव प्रस्तावित नियंत्रणनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। बाबाबा की बाबाबा अतिरिक्त क्षेत्र को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु

रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भूमि को सामिल करने हुए अद्यतन स्थिति अनुसार विचार की गयी है।

2. पर्यावरणीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे दी गई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कार्य को करवाया जाये।

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नई 7.5 मीटर चौड़े लेन में कृषिरोपण किया जायेगा।

3. सीईआर पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.20	2%	6.864	Following activities at Nearby Village-Ranjarod	
			Plantation around village pond	3.088
			Total	3.088

4. सीईआर के तहत गांव के चारों ओर कृषिरोपण (नीम, आम, जामुन, कदम आदि) हेतु प्रस्ताव अनुसार 100 नम पीछी के लिए रशि 7,500 रुपये, पीपल के लिए रशि 1,30,000 रुपये, खार के लिए रशि 1,500 रुपये, सिताई तथा लहसुन आदि के लिए रशि 30,000 रुपये, इन प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 1,68,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रशि 1,40,000 रुपये हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के तहत कृषिरोपण हेतु ग्राम पंचायत रानीजरोद का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत चयनित गांवों का चयन करना एवं रकबा की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

5. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाइन वायु कलेशन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} - 118.478 से 112.204 $\mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिकोण से संज्ञान में लेते हुए अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसमें PM_{10} - 73.0 से 94.5 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलाइन वायु कलेशन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई

2022 एवं अतिरिक्त वीनिटरींग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में NMA की मात्रा में अंतर होने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही जाखमन प्रक्रिया में होने वाले धुल प्रसार्जन की नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी परस्परवच प्रस्तुत किया जाए।
2. भारी वाहनों / मल्टीएक्सस डीपी वाहनों की सनाइटिंग करते हुए ट्रैफिक अवरोधन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
3. जी.एल.सी. की गणना संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. बैलगाईन डाटा कलेक्शन हेतु किने गये सीमितकाल अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 एवं अतिरिक्त सीमितकाल कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (31 मार्च) में PMU की माता में अंतर होने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
5. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले भूल वस्तुओं के निबंधन हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत स्थानित खाली का खराब प्रभाव एवं रकबा की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सीईआर के तहत निर्धारित दधि का उपयोग प्रभावित कार्य हेतु भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं सेवाएं की प्रभावित, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निवारण हेतु जमा, सीईआर के तहत प्रभावित कार्य एवं संबंधित बाधा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिम्मेदार फोटोशाक सहित जानकारी आंशिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत, हमने द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्या रिपोर्ट की रक, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत उत्खनन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कलकटन हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत कार्य पर (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।
8. परियोजना प्रभावक द्वारा इस आशय का समस्त पर (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि नानदीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/06/2017 को Corpn Cause vs. Union of India With Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिश निर्देशों का वे द्वारा पालन किया जाये।
9. परियोजना प्रभावक द्वारा इस आशय का समस्त पर (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि नानदीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (C) Civil No. 114/2014 Corpn Cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिश निर्देशों का पालन किया जाएगा।

आवेदन	ई.सी. - 451388 एवं 08/11/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान	संघसित (अमरा विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.788 हेक्टेयर एवं 60,000 टन प्रतिवर्ष	
खाना क्रमांक	391, 392 एवं 393(घाटी)	

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. जर्तीसमूह के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 607वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निजुज पटेल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के सामने बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुमति दिया गया है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई कठिना जानकारी एवं संलग्न सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. जर्तीसमूह के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 610वीं बैठक दिनांक 13/03/2024:

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
नू-समाहित	श्रीमि मेसर्स की कालाजी स्टोन इन्फ्रस्ट्रक्चर तथा श्री अश्वत्थल बिल्लारे के नाम पर है।	श्री अश्वत्थल बिल्लारे का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निजुज पटेल, प्रोफेसर् एवं पर्यावरण सल्लाहकार के रूप में मेसर्स एमबीएल एन्वायर्नमेंट प्रोटेक्ट लिमिटेड की ओर से श्री महमूद मौस उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर खदान क्षमता क्रमांक - 391, 392 एवं 393(घाटी) क्षेत्रफल - 1.788 हेक्टेयर क्षमता - 60,120 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 15/03/2017 फैलात अवधि - 14/03/2022	सी.ई.आई.ए.ए., जिला-कलीयासाबागर-माठामात भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus (COVID-19) के कारण पर्यावरणमैत्रीय स्वीकृति की फैलात जारी दिनांक से दिनांक 14/03/2023 तक फैल थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	नू-प्रमाणित - हाँ क्षमता विस्तार के तहत - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, महा शोधपुर अटल भवन - अरावली	निर्धारित हार्डनुसार 500 नए कुशलतायन किया गया था, जिनमें से वर्तमान में 200 से अधिक कुर्शों का जीवित होना बताया गया है। चुकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण

	रिजर्व – रिजर्वीजिजल 8,73,800 टन बाईनेबल 3,98,848 टन रिजर्वरेबल 3,78,908 टन प्रस्तावित गहराई 29 मीटर क्षेत्र की लंबाई 1.5 मीटर क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष प्रस्तावित प्रकार – नहीं	कुल 58,025 टन भट्ठों 48,880 टन पक्क 80,880 टन
प्राचरण के लिए प्रतिबधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,332 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ बाईनिंग प्लान में उत्खन – हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ
कमरी मिट्टी/ ओवर बर्डन प्रबंधन योजना		वर्तमान में आवंटित क्षेत्र में कमरी मिट्टी आवंटित नहीं है।
जल आपूर्ति	पानी – 5 घनमीटर प्रतिदिन बिजली – गृह-जल	सेक्टर कालम्ब बोर अवीरिटी से प्राप्त।
कुसादेमन कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के पानी और कुसादेमन – 275 नम	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,53,180 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	आवक 1278, दिनांक 03/11/2022	मैरु का एम्पल टैजेशन (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग – 1 वर्ष 2022 से 31 मई 2022 PM_{10} – 72.08 से 78.35 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ – 118.18 से 128.31 $\mu g/m^3$ SO_2 – 7.85 से 9.41 $\mu g/m^3$ NO_2 – 17.44 से 18.75 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 49.4 से 53.7 Night L_{eq} – 39.2 से 42.8 जल क्षेत्र के निर्धारित मानक सार से कम है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से करवाये 2024 (01 वर्ष) PM_{10} – 23.9 से 39.9 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ – 74.1 से 80.8 $\mu g/m^3$ SO_2 – 10.8 से 15.1 $\mu g/m^3$ NO_2 – 12.2 से 17.8 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 48.1 से 53.2 Night L_{eq} – 42.3 से 48.2 जल क्षेत्र के निर्धारित मानक सार से कम है।	वृक्षता मानक स्वतः परिक्षीय वृक्ष – 08 गृह-जल – 03 सादी जल – 02 ध्वनि सार – 04 मिट्टी के नमूने – 08 अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य हेतु वृक्षता मानक स्वतः परिक्षीय वृक्ष – 08 गृह-जल – 04 सादी जल – 03 ध्वनि सार – 08 मिट्टी के नमूने – 08 फलोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

बी.बी.डी. की गणना	राज्यभर में हेतु – छांटान में 250 बी.बी.डी./दिन बी/बी अनुपात (ANC ratio) 0.18 परियोजना उपसह 550 बी.बी.डी./दिन बी/बी अनुपात (ANC ratio) 0.38	राज्यभर में हेतु – लोक चोरिंग बनता निर्धारित मानक B (Very Good) की सीमा है।
बी.एल.बी. की गणना	PMU का अधिकतम मान 94.12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	निर्धारित राष्ट्रीय मानक सीमा से उप है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय – प्रा. 10:00 बजे स्थान – डाल – ललीसगढ़ निवासी निजी भूमि (खसरा क्रमांक 887) तहसील – खिमरा, जिला – बलीदाबाजार-मालवा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, ललीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रावपुर जटल मगर, जिला-रावपुर के पत्र दिनांक 19/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. ग्रामवासियों की संज्ञान नहीं मिलता है, गांव के लोगों को संज्ञान मिले। 2. क्लेनिंग से ग्रामवासियों की दिनांक अवधि होती है। क्लेनिंग नहीं होने कारण। 3. गांव का जल सत नीचे जा रहा है। गर्मियों में पीने के पानी की समस्या होती है।	निराकरण की दिशा में कबन निम्न है:- 1. खदान बंद होने से ग्रामवासियों की संज्ञान मिलेगा। 2. कंट्रोल क्लेनिंग किया जावेगा। 3. सामान द्वारा खानी सभी सारों का संज्ञान करती हुए, खानन किया जावेगा।
सी.ई.एम.बी.	कलक्टर में कुल 04 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की सधि – 80.08.847 रुपये	परियोजना प्रस्तावक की सधमागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की सधि – 12,80,808 रुपये
परियोजना से संबंधित सधमा पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी मिट्टी प्रकार, बी.बी.एम.एम. द्वारा कंट्रोल क्लेनिंग, सफाई काट उत्पन्न निर्माण, सामान कुसारी एवं 90 प्रतिशत जीवन सत सुनिश्चित, ललीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत संज्ञान, खनिज निष्कर्ष के तहत संज्ञान, प्राकृतिक जल स्रोतों के संज्ञान एवं संज्ञान हेतु अति सबत सधमा पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न सधमा पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देख के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अभिप्रेतता का.का. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लक्षित नहीं है।
धेरी	बी-1	अतिरिक्त खदान की निराकरण कुल संज्ञान 2.55 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय समिति (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष निम्नानुसार के सभी उपरोक्त विषयानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.488	2%	0.788	Following activities at Nearby Village- Lohari	
			Pavitra Van Nirman	2.278
			Total	2.278

2. सीईआर के अंतर्गत "परिवेक वन निर्माण" के तहत वृक्षारोपण (पीप, आम, जामुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 वन पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, पेरिशिट के लिए राशि 40,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रक्ष-रक्षाव आदि के लिए राशि 39,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 85,500 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,39,800 रुपये हेतु पर्याप्तवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु धन पंचायत जोड़ारी के सहमति उपरोक्त पर्यावरणीय अंश (खसरा क्रमांक 781, रास्ता 4.7 हेक्टेयर) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया जलखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर की सीमा पर्यटी में जलखनन का खनिज निक्षेपों के खाने के संबंध में बेतारी की बालाजी स्टीन इंडस्ट्रीज (पार्टेनर - श्री राम अरुण कुमार सिंह) द्वारा अर्बेटम्ब राशि 60,000 रुपये जमा की गई है, जिसके तसीद की राशि प्रस्तुत की गई है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलॉइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} - 118.18 से 128.31 $\mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत मध्य के संज्ञान में लेते हुए अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसने PM_{10} - 74.1 से 80.8 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलॉइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही जलखनन प्रक्रिया से होने वाले धूल जलसर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जायजमान हेतु श्री अग्रवाल बिल्डिंग के सहायि पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
 2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संकलन, भक्त रामपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
 3. निष्कासन वन क्षेत्र से आवेदित खदान की दूरी का परीक्षण करती हुए कार्यालय वन कक्षासचिवकी का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 4. वेसलाईंग डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि : मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (31 मार्च) में PMU की मांग में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
 5. जायजमान प्रक्रिया से होने वाले भूमि उत्साहजन के निबंधन हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
 6. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी जायजमान, सी.ई.आर. के तहत निर्धारित शर्तों का उपयोग प्रस्तावित कार्य हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं बीजमार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले वन समरपद्धों के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित खाना से कार्य पूर्व प्रतिवेदन डिप्लोमैटिक फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्पणार्थक रिपोर्ट में समझित करने बाबत, हमारे द्वारा जायजमान हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित खाना डिग्री की तब, भारत सरकार के खाना नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, अतः हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।
 7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि नगरीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India में दायर Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का भेरे द्वारा पालन किया जाये।
 8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि नगरीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को आई petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को उपरानुसार सूचित किया जाए।

5. वेसल जायजमानी लाईन स्टोन स्क्वैरी माईनिंग (प्री-बी क्वार्टरी प्रस्ताव कमी, दान-आगोली, एडमीन-विभाग, जिला-बलौदाभाजा-राठामा (सचिवालय का नली क्रमांक 2100)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
------------	--------------------------------	------------------------------

ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. — 79038 एवं 04/07/2023 ई.सी. — 481811 एवं 08/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	बुना पत्थर (ग्रीन ब्लिंड) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं लम्बाई	1.373 हेक्टेयर एवं 31,280 टन प्रतिवर्ष	
खसत क्रमांक	पार्ट ऑफ खसत क्रमांक 280	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 10/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024

तदनुसार परिशोधन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., जलसमय के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 500वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी भनवारी प्रसाद वर्मा, प्रोक्स्टाईटर उपस्थित हुए। परिशोधन प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / समझौता अधूरी होने के कारण समिति के सम्मेलन बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उपर्युक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक को पूर्व में वाली नई खसत जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / समझौता सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार परिशोधन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., जलसमय के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधन प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/03/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / समझौता अधूरी होने के कारण समिति के सम्मेलन बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिशोधन प्रस्तावक को पूर्व में वाली नई खसत जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / समझौता सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

परिशोधन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाय।

एजेन्डा क्रमगत क्रमांक-3:

परिशोधन प्रस्तावकों द्वारा दिये गये खसत जानकारी/समझौता द्वारा प्रकरणों में अपीलेशन पत्रावली विचार कर सर्वेक्षणीय सौक्य / टी.ओ.आर. / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री साई मिनरल — वेस्ट साईड (टेम्पलेट परमिट) (चार्टरल श्री जितेन्द्र सिंह) घाग-विलियमका, लखनौ-बनारसगंज, जिला-बल्लपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2536)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नमूना - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/ 434348/ 2023, दिनांक 23/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सार्वजनिक बाजार (मीन खनिज) खदान है। खदान घास-सिलियखना, तहसील-पल्लनगांव, जिला-जसपुर बिहार खण्ड क्रमांक 2/1, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-38,000 टन प्रतिवर्ष है।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, उत्तीर्णता की जापन दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र सिंह, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई-

1. प्लॉट में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस खदान को प्लॉट में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. घास पैदावार का अनुमानित प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं कृषि स्थापना की संरक्ष में घास पैदावार सापड़ोड़ी का दिनांक 25/01/2023 का अनुमानित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - खोदो प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-जसपुर के जापन क्रमांक 1728/ख.नि./स्था./2023 जसपुर, दिनांक 15/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिसि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जसपुर के जापन क्रमांक 221/ख.सा./2023 जसपुर, दिनांक 22/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर आवेधित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिसि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जसपुर के जापन क्रमांक 217/ख.सा./2023 जसपुर, दिनांक 21/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिसि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मुरुदावा, माघट, पुल, नदी, रेल लाईन, जलमाल, स्कूल, एनिकट, बांध एवं जल आपूर्ति अदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एस.ओ.आई. संबंधी विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। एस.ओ.आई. गैरवाली श्री साई मिनरल, पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जसपुर के जापन क्रमांक 45/ख.नि.सा./2023 जसपुर, दिनांक 24/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंसल जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलधिकारी, जसपुर वनमण्डल, जिला-जसपुर के जापन क्र./वा.वि./2023/1283 जसपुर, दिनांक 21/03/2023 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि

निकटाल वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलविभाग का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति का यह भी मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर निम्न दूरी की संरक्ष, प्रजाति, जंगली के संरक्ष में इन संरक्षक से प्रतिरोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **सुरक्षार्थ संरचनाओं की दूरी** – निकटाल आबादी घास-सिलीपचना 1 कि.मी., सड़क घास-सिलीपचना 1 कि.मी. एवं अन्धताल सुरेसपुर 5 कि.मी दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। कुल्लेह नाल 2 कि.मी. दूर है।

10. **परिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित कृटिकली पॉल्यूटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र निम्न नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

11. **खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण** – डिवायलॉजिकल रिजर्व 1,50,000 टन, माईनेबल रिजर्व 80,400 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 38,337 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,800 वर्गमीटर है। खनन कान्ट रोमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में समीचीन मिट्टी नहीं है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कचरा प्रसंचित है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्तेम किया जाएगा। वर्षाजल प्रभावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन(टन)
प्रथम	38,000
द्वितीय	38,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 वर्गमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति घास पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जावेगी। इस बाबत घास पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 470 वर्ग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए रशि 28,200 रुपये, पेंसिंग के लिए रशि 1,10,000 रुपये, खाद के लिए रशि 2,400 रुपये, सिंचाई एवं रक्ष-संरक्षण के लिए रशि 1,80,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में रशि 3,30,000 रुपये तथा कुल रशि 7,32,240 रुपये जानागी 4 वर्षों हेतु घटकरवाय खर्च का किराना प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रभावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सचिव विभाग से कार्य प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध बाबा सरदार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 से अंतर्गत कोई प्रकरण का प्रारम्भ लंबित नहीं है।
26. उत्तीर्णन आदेश पूर्वांक नीति के तहत स्वीकृत लोगों को सौंपा दिया जाने हेतु समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का जवाब प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना की दिन-दिन स्थली से रेगुलरिटी इस्ट एसाईज होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल सिककाव की व्यवस्था किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. समिति का मत है कि सीईआर कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में क्लस्टरिंग वर्क के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-क्षेत्र समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्णन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में क्लस्टरिंग का वर्क पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-क्षेत्र समिति से संपर्कित कराया जाना आवश्यक है।
30. मानवीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेन्ट, नई दिल्ली द्वारा सार्वद सामुदायिक विरुद्ध बाबा सरदार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिएन्टल एडमिनिस्ट्रेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) से दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over 5 ha is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environmental clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय क्लस्टर (खनिज सत्ता), जिला-जसपुर के ज़ापन क्रमांक 221/ख.स. /2023 जसपुर, दिनांक 22/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-सिलियावा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-सिलियावा) की मिलाकर कुल रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संघलित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर का रहने का होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

- निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलधिकारी का अनुरोध प्रमाण पत्र को एन.ई.आई.ए.ए. अतीसमय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहायता अनुमति दी जाती है।
- प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में माईनेबल रिजर्व 30,480 टन एवं निकसेबल रिजर्व 89,307 टन का उल्लेख है। माईनेबल रिजर्व में माईनिंग जीवा की खाना करने के कारणों की निकसेबल रिजर्व की मात्रा माईनेबल रिजर्व से अधिक है, जो कि व्यवहारिक/ तकनीकी रूप से संभव नहीं है। अतः रिजर्व की पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित खाने प्लान को एन.ई.आई.ए.ए. अतीसमय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहायता अनुमति दी जाती है।
- लीज क्षेत्र की भीतर स्थित कुओं की संख्या, प्रकृति, जलवायु के संघर्ष में वन संरक्षक से प्रतिक्रिया प्राप्त कर एन.ई.आई.ए.ए. अतीसमय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहायता अनुमति दी जाती है।
- आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों की आवश्यकता पड़ने पर ही लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों की कटाई सख्त प्रवृत्ति से अनुमति उपलब्ध ही किये जाने काबालू राज्य पत्र (Notarized undertaking) को एन.ई.आई.ए.ए. अतीसमय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहायता अनुमति दी जाती है।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री साई मिन्नाल - वेस्ट साईड (टेम्परी परमिट) (स्टेशन की विशेष स्थिति) को ग्राम-सिलियमन, तहसील-वाघलगांव, जिला-जसपुर के खसरा क्रमांक-2/1 में स्थित साधारण पत्थर (पीग खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता - 78,000 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 03/11/2023 को संयोजन 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नसीब का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/10/2023 को निम्न जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:-

- आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित कुओं की आवश्यकता पड़ने पर ही सख्त प्रवृत्ति से अनुमति उपलब्ध ही खान की कार्यवाही किये जाने काबालू राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि कार्यालय वनमण्डलधिकारी, जसपुर वनमण्डल, जिला-जसपुर का पत्र क्रमांक/मा.वि./2023/1283 जसपुर, दिनांक 21/08/2023 की अनुरोध प्रदान की गई है तथा अनुरोध में किसी भी प्रकार के कुओं का जिक्र नहीं किया गया है। लीज क्षेत्र में 200 मीटर का सर्वेक्ष करवाकर गूगल मैप संलग्न किया गया है। आस-पास कोई भी वन क्षेत्र नहीं है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि लीज क्षेत्र चट्टानी है, लीज क्षेत्र की भीतर जो कुं

विचारों से रहे हैं, वे केवल छोटी व बड़ी जड़ियां मात्र हैं। वहां किसी भी प्रकार की ईमारती संरचना या वन क्षेत्र नहीं है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वाटी प्लान को संशोधित कर प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, परंतु क्वाटी प्लान संलग्न नहीं किया गया है।

प्रतिक्रिया का माता है कि:-

- उपरोक्तानुसार संशोधित अनुशोधित क्वाटी प्लान मंगाया जाना आवश्यक है।
- आवेदित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन क्षेत्र के अंतर्गत है अथवा नहीं, के संबंध में कार्यलय वनमण्डलधिकारी से प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।
- निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उत्प्रेषण करती हुए कार्यलय वनमण्डलधिकारी का अनुमति प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।
- जीव क्षेत्र में जीवित वृक्षों के नाम एवं संख्या की जानकारी संबंधित कार्यलय वनमण्डलधिकारी से मंगाया जाना आवश्यक है।
- जीव क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की दूरी का उत्प्रेषण करती हुए उप-संचालक (वन्य प्राणी एवं जीव विविधता संरक्षण) से अनुमति प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

प्रतिक्रिया द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिधि में परीक्षण उपर्युक्त उपर्युक्त अनुमति किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., उत्तीरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 49वीं बैठक दिनांक 30/11/2023

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, उत्तमम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- उपरोक्तानुसार संशोधित अनुशोधित क्वाटी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- आवेदित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन क्षेत्र के अंतर्गत है अथवा नहीं, के संबंध में कार्यलय वनमण्डलधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उत्प्रेषण करती हुए कार्यलय वनमण्डलधिकारी का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- जीव क्षेत्र में जीवित वृक्षों के नाम एवं संख्या की जानकारी संबंधित कार्यलय वनमण्डलधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- जीव क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की दूरी का उत्प्रेषण करती हुए उप-संचालक (वन्य प्राणी एवं जीव विविधता संरक्षण) से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपर्युक्त जागरी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीरगढ़ की 49वीं बैठक दिनांक 30/11/2023 के परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/12/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 51वीं बैठक दिनांक 12/03/2024

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय पार्य गई:-

1. कार्यलय बलेश्वर (सबिज बाग), जिला-बाराणसी के आपन क्रमांक 3058/वा. सि.2/सब./2023 बाराणसी, दिनांक 21/12/2023 द्वारा जारी अनुमोदन पर अनुसार प्लानिंग योजना के मुद्दा क्रमांक 11 एवं 14 रिकॉर्डेड सिटी में टॉक्स बुटिया 87.768 टन (33.768 घनमीटर) के स्थान पर 88.337 टन (33.888 घनमीटर) किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है।
2. कार्यलय वनमण्डलधिकारी जलपुर वनमण्डल जलपुर के आपन क्रमांक/वा. सि./2023/1383 जलपुर, दिनांक 31/03/2023 के अनुसार आवेदित स्थल (ग्राम-सिलीपटना, ग्राम पंचायत बालाडी, तहसील-बाघमण्डल, जिला-जलपुर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 2/1 कुल रकबा 14.009 हेक्टेयर में से रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र) आवेदित वन/संवेदित वन क्षेत्र आवेदित असीमवेत संवेदित वन क्षेत्रों में नहीं आता है।
3. कार्यलय वनमण्डलधिकारी, जलपुर वनमण्डल, जलपुर के आपन क्रमांक/वा. सि./2023/8004 जलपुर, दिनांक 08/12/2023 से जारी अनापेक्षित प्रमाण पर अनुसार सीज से निकटतम वन क्षेत्र कठ क्रमांक पी.एच. 1034 की दूरी 0.5 कि.मी. है।
4. कार्यलय वनमण्डलधिकारी, जलपुर वनमण्डल, जलपुर के आपन क्रमांक/वा. सि./2023/8004 जलपुर, दिनांक 08/12/2023 से जारी अनापेक्षित प्रमाण पर अनुसार सीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों की संख्या निरंक है।
5. कार्यलय वनमण्डलधिकारी, जलपुर वनमण्डल, जलपुर के आपन क्रमांक/वा. सि./2023/8004 जलपुर, दिनांक 08/12/2023 से जारी अनापेक्षित प्रमाण पर अनुसार सीज क्षेत्र से निकटतम वनजीन आवरण की दूरी 30 कि.मी. है।

उपरोक्त जगहों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 में पर्यावरणीय संवेदित जारी किये जाने की अनुमति की गई थी एवं पुनः अनुमति की जाती है। पूर्व में निर्दिष्ट की गई सभी शर्तों का पालन होगा।

सर्वेक्षण संबंधित प्रमाण अवलोकन प्रक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीक 30 के तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

2. मेडन एच. एच. इंटरप्राइजेस (प्री- बी पीएच डान, बोरस्टी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-बोरस्टी, तहसील-बाराणसी, जिला-बाराणसी-बाघ (सबिज बाग का नक्सा क्रमांक 2678)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलसंधु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अंतिम मेमोरेंडम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रकटन है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

एक ऑफिस में भी भवन के लक्ष्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिस सार्वजनिक परिसर में निर्माण अधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुसंधान (re-assessment) हेतु एच.ई.ए.सी., पर्यावरण के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	अवधि/प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 448278 एवं 29/08/2023	
खदान का प्रकार	चुन पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान	संयोजित (अन्य विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.48 हेक्टेयर एवं 2,50,000 टन प्रतिवर्ष	
खदान क्रमांक	पार्ट जीक 2010/1	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2022	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/12/2022
प्रस्तुतीकरण हेतु संयोजित प्रतिनिधि	डी गैरज डनर, प्रोजेक्ट्स	परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुये।
सू-संयोजित	राज्यीय भूमि	
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चुन पत्थर (ग्रीन खनिज) क्षमता क्रमांक - पार्ट जीक 2010/1 क्षेत्रफल - 3.48 हेक्टेयर क्षमता - माइनिंग प्लान अनुसार प्रत्येक वर्ष 50,285.8 टन से अधिक नहीं होगा। दिनांक - 15/03/2017	डी.ई.आई.ए.ए. जिला-आंध्रप्रदेश-बांस
पूर्व में जारी ई.सी. का फालतु प्रतिवेदन	सू-संयोजित - हाँ क्षमता विस्तार के लक्ष्य - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर जटल नगर - छत्तीसगढ़	निर्धारित सार्वजनिक 300 नम वृक्षारोपण किया गया है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। इस परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर जटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फालतु प्रतिवेदन जमा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
दिनांक वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 11/08/2023 2018-19 में 50,100 टन 2019-20 में 50,050 टन 2020-21 में 50,220 टन 2021-22 में 47,300 टन 2022-23 में 50,224 टन	अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वार्षिक मात्रा की आधार पर जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
घास पंचायत एच.ओ.सी.	घास पंचायत कोरमट्टी दिनांक 03/12/2022	क्षेत्र की स्थापना के संकेत में घास पंचायत का अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन क्षेत्र का अनुमोदन	दिनांक 25/08/2023	
500 बीटर	दिनांक 11/08/2023	अवधिगत तथ्यांश की संख्या -

		निरंक
200 मीटर	दिनांक 11/08/2023	बनसारी गाला - 80 मीटर
लीज डीड	लीज कारक - मैसर्स एच. एस. इंटरप्राइजेस प्रा.- बी.बी.डी. जर्मी आवधि - दिनांक 02/08/2008 से 01/08/2038 तक।	पूर्व लीज कारक - बी.डी.एस. कल्लम लीज डीड हस्तांतरण- दिनांक 24/08/2018 को बी.डी.एस. लाल अय्यर पुनः लीज डीड हस्तांतरण- दिनांक 07/07/2020
वन विभाग एन.ओ.सी.	दिनांक 28/02/2008	वन क्षेत्र से दूरी - 1 कि.मी.
महावपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी घाट - कोल्हाट्टी 1.4 कि.मी. स्कूल - घाट - कोल्हाट्टी 1.4 कि.मी. अस्पताल - अकलगा 7.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 3.25 कि.मी. राजमार्ग - 25.10 कि.मी.	गाला - 80 मीटर तल्लाब - 1 कि.मी. रेल पुल - 100 मीटर
परिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अजयगढ़, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग - डी रिजर्वी - जियोलीजिकल 31,81,480 टन माईनेबल 18,40,130 टन प्रस्तावित गलतई 40 मीटर बेस की चौड़ाई 3 मीटर बेस की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 7.3 वर्ष अंतर क्षेत्रफल 2,417 वर्गमीटर	सर्वोपर खनन प्रथम 2,50,000 टन द्वितीय 2,50,000 टन तृतीय 2,50,000 टन चतुर्थ 2,50,000 टन पंचम 2,50,000 टन
खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 5,302.5 वर्गमीटर	प्रस्तावित - डी
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल - 2,417 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - अंतर	माईनिंग प्रकल्प में उत्प्रेषण - नहीं माईनिंग प्रकल्प में उत्प्रेषण - डी
अपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	अपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।	
पत्त आपूर्ति	पत्ता - 8 फुलमीटर स्रोत - पट्टा-जाल संयोजित विभाग/पत्ता से एन.ओ.सी. -	

	सेन्ट्रल वाटर बोर्ड की ज़रूरतों से प्राप्त।	
पूसायेन कार्य	सीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के गार्ड और पूसायेन - 841 नम किया जाता है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि-10.85,000 रुपये
परियोजना से संबंधित सम्बंध पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल स्तैन्डिस्ट, कन्सुलिटिव डेस, वास्तविक निदेशन, वास्तव पूसायेन एवं 80 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, अतीतमय आदर्श पुनर्वास नीति के तहत सीजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं वास्तव हेतु सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित वास्तव से कार्य पूर्ण प्रतिनिधन डिस्ट्रिक्ट कोर्टोवाक सहित जानकारी अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने वास्तव सम्बंध पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न सम्बंध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है:- 1. हमारे द्वारा वास्तव हेतु अर्थात् भूमि के भूमि स्वामित्वों के भूमि के संबंधित सम्बंध दिनों की खा, वास्तव वास्तव के सम्बंध नियमों के अर्थात् वास्तव की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/वास्तव से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अर्थात् किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध वास्तव सरकार, पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.वा. 804(स), दिनांक 14/03/2017 के अर्थात् कोई प्रकरण का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India With Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जाएगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को भी Petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्बंध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा वास्तव सरकार के पर्यटन, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2020 को जारी ऑफिस मेमोरैंडम में दिये निर्देश का किन्तुवार पालन किया जाएगा।

श्रेणी	रीज	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 5.48 हेक्टेयर है।
--------	-----	--

1. प्रस्तुतीकरण की टीमान जमीनीयता प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सी.एम.एल. पर्वतों की मूलतः के माध्यम से अखंडीकरण किये जाने पर एवं सस्केल जियोसॉलियल प्लान में प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 1.5 मीटर की सीमा पट्टी (खानदान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में स्थापित खदान का कुछ भाग प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 1.5 मीटर की सीमा पट्टी (खानदान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में जाने वाले खदान के भाग को हटाये जाने की संबंध में समय पर (Immediate Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. लीज क्षेत्र की चारों ओर 1.5 मीटर की सीमा पट्टी में खानदान कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 1.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में खानदान किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। आतः जीव उपरान्त निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन जोन माइनिंग कोडैक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 11(a) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र की ओर 1.5 मीटर चौड़े क्षेत्रों जोन में कृषादेयता किया जाना आवश्यक है।

4. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय समिति (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.12	2%	1.08	Following activities at Nearby Village- Chorbhatti	
			Plantation around village pond	1.10
			Total	1.10

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत खानदान के चारों ओर कृषादेयता (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 70 नग चौड़ी विस्तर से 20 नग चौड़ी कुल पुरे से खानदान के चारों ओर अवस्थित है। बीच 20 नग चौड़ी के लिए राशि 5,000 रुपये, पेसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई तथा रक-रकान आदि के लिए राशि 15,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु

राशि 5,000 रुपये इस प्रकार प्रदान वर्ष में कुल राशि 38,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 73,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंचायत कोरभट्टी के सहमति उपरांत पर्याप्तोपयुक्त स्थान (उत्पन्न क्रमांक 1150, क्षेत्रफल 0.571 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 1151, क्षेत्रफल 0.583 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त प्रस्ताव की समिति द्वारा अमान्य किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोरभट्ट, काईल की वृक्षों के नष्टन से अवलोकन किये जाने पर खाली के चारों ओर वृक्षारोपण होना प्रदर्शित हो रहा है। इस समिति का मत है कि सी.ई.आर. का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिख गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा रामपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीक्युरिटी का चालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. अप्रैल 2023 में किये गये उत्खनन की दस्तावेज मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रत्यक्ष करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन की खदानों के संबंध में प्राप्त पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले उत्खनन की भवन को हटाये जाने के संबंध में तत्सम पत्र (Memorandum Understanding) प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय विकासकार्यों के कारण उत्पन्न उद्भूत निषेधन हेतु आवश्यक उपघाती तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपघाती की नियमित करने संबंधी संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्त, इटासी भवन, तथा रामपुर अटल नगर, जिला-रामपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में औसत उत्खनन किया जाना चाहे जाने पर जीव उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्त को एवं पर्यावरण की क्षति पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बंडल, तथा रामपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023 के परिणाम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 12/02/2024

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुई:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बंडल, किरासपुर के जयन क्रमांक 4112, दिनांक 12/02/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीक्युरिटी

का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त सारी का पालन किया जाना बताया गया है।

- कार्यालय कलेक्टर (ग्रामिण शाखा), जिला-जालंधीर-बोरा के इलाक़ प्रमाणिक 287/स.सि./2024 जालंधीर, दिनांक 14/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार अगस्त 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अप्रतिन जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
अगस्त, 2023	8,000
सितम्बर, 2023	8,000
अक्टूबर, 2023	8,000
नवम्बर, 2023	8,000
दिसम्बर, 2023	8,400
जनवरी, 2024	10,200
फरवरी, 2024	3,000
मार्च, 2024	निर्दिष्ट

- उत्खनन एवं उत्तर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत चौरावटी का दिनांक 08/12/2015 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- सर्वेक्षण मैप के अनुसार उत्तर की सीमा सीमा के अंदर 7.5 मीटर की सुरक्षा पट्टी से हटा लिया जाएगा। उत्तर की अनुमति उत्खनन योजना में उत्तर की लिए 7.5 मीटर की पट्टी के अलावा छोटे गये उत्खनन क्षेत्र में ही स्थापित करा लिया जाएगा। इस प्रकार से उत्खनन योजना में वर्णित रिजर्व में कोई कटौत नहीं जाएगा। उक्त आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

सीमा क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनित क्षेत्र को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान, सर्वेक्षण प्लान एवं डिमोन्स्ट्रेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सीमा क्षेत्र की 7.5 मीटर की चारों ओर 1,053 वर्ग फुटारेकन किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पीछे के लिए राशि 1,18,000 रुपये, बेंसिंग के लिए राशि 87,750 रुपये, खाद के लिए राशि 78,875 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,78,710 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,00,788 रुपये यदि एवं अन्य कार्य हेतु राशि 6,000 रुपये इस प्रकार प्रमाण वर्ष में कुल राशि 3,87,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,80,000 रुपये हेतु परावर्तन तथा का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सीईआर के तहत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.12	2%	1.08	Following activities at Nearby Village- Chorhatti	

		Plantation around village pond	1.38
		Total	1.38

सी.ई.आर. के अंतर्गत लालच के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 140 नम पीछी जिसमें से 40 नम पीछी वृक्ष पूर्व से लालच के चारों ओर अवस्थित है। बीच 100 नम पीछी के लिए रशि 10,000 रुपये, बंशिन के लिए रशि 10,000 रुपये, आव के लिए रशि 8,000 रुपये, सिंघाई के लिए रशि 8,000 रुपये तथा रस-रसाव आदि के लिए रशि 10,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु रशि 5,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 51,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रशि 84,000 रुपये हेतु पर्यवेक्षण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बोलभट्टी के सहमति उपरंत व्यवस्थित सदन (खसरा क्रमांक 1160, क्षेत्रफल 0.571 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 1161, क्षेत्रफल 0.053 हेक्टेयर) के संकेत में जलकारी समुदाय की गई है।

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (इंजिनियर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अखंडसमूह पर्यवेक्षण संस्थान मण्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित त्रि-पक्षीय समिति से समर्थित कराया जाना आवश्यक है।
7. मानवीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल डी. नई दिल्ली द्वारा सार्वभौम प्रादेशिक निरुद्ध भारत सरकार, पर्यवेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अनिवार्य एनिलोकेशन नं. 188 अंक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया गया कि सर्वसम्मति से आवेदनक - मेसर्स एच. एस. इंटरप्राइजेस (प्री- बी नीमज सन, बोलभट्टी लाईन स्टोन क्वारी) को ग्राम-बोलभट्टी, जहनील-फरनह, जिला-जाजगीर-राज के खसरा क्रमांक पार्स अंक 2010/1 में निधात शुन पत्थर (नीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-3.46 हेक्टेयर, समस्त-2,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परमिषिट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय सौकरुति दिर जाने की अनुशंका की गई।

राज्य सार्वभौम पर्यावरण प्रथम अकलन प्रधिकलन (एस.ई.आई.ए.ए.), अखंडसमूह की तयनुसार सुचित किया पर।

3. मेसर्स भरकाबाई शिवाजी अर्ब एम्प्लॉयमेंट कम्पनी (प्री.- श्री बलदेव प्रसाद जयसवाल), राम-भरकाबाई, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (अधिसूचना क्र. 2300)

जीएसटीएन आवेदन - प्रपोज़ल नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एम्प्लॉयमेंट/ 416980/ 2023, दिनांक 08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (मीन खनिज) खदान एवं विकास विध्वनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान राम-भरकाबाई, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज शिवाजी अर्ब क्रमांक 713/1, 713/2, 721, 722 एवं 714, कुल क्षेत्रफल-2.345 हेक्टेयर में से 1.31 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-712.28 टन्नीयर (14,24,520 क्व) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, कलौसगढ़ के द्वारा दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 45वीं बैठक दिनांक 28/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लक्ष्मीबाई जयसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई:-

1. भूमि में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान की भूमि में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. सार्वजनिक का ज्ञापनित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में राम प्रसाद भरकाबाई का दिनांक 18/08/2020 का ज्ञापनित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वार्टी प्लान एलिंग विध्वनी क्वार्टी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जनि अधिकारी, जिला-राजगढ़ के द्वारा क्रमांक 21/अति./सा./2023 राजगढ़, दिनांक 10/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर जनिज साखा, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा क्रमांक 80/अतिज/अखनि./2023 बलरामपुर, दिनांक 06/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सूची निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (अतिज साखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा क्रमांक 80/अतिज/अखनि./2023 बलरामपुर, दिनांक 06/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाइन, नहर, बांध, एनोकर भवन, स्कूल, अस्पताल, कान्ठ सफाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद, वास्तविक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. सू-साफिल - भूमि कासा क्रमांक 713/1, 721 की नारायण प्रसाद एवं श्री बलदेव प्रसाद, साखा क्रमांक 713/2 की निरंजनाकर, श्री देवशरण, श्री ईश्वर प्रसाद, सुधी अधिकार एवं सुधी प्रतिनिधि, साखा क्रमांक 722 एवं 714 की जीतेश्वर, श्री भुनेश्वर एवं श्री गोविन्द के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री नारायण प्रसाद, श्री ईश्वर प्रसाद एवं श्री जीतेश्वर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उत्खनन हेतु जंगल भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्राप्त किया जाता आवश्यक है।

7. एल.डी.आई. का विवरण – एल.डी.आई. की बलदेव प्रसाद (आयसवाल) के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर खनिज सागर, जिला-बलरामपुर-राजभुवनेश्वर के ज्ञापन क्रमांक 704/वीन खनिज/उत्खननपट्टा/2022 बलरामपुर, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत ज्ञापन पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल बलरामपुर, जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2018/7508 बलरामपुर, दिनांक 05/10/2018 से जारी अनाधिकृत ज्ञापन पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।
10. गहलपुर्ब संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी वाला-मकलखंड 1.38 कि.मी., गहलपुर्ब बाम-मकलखंड 1.38 कि.मी एवं अनपलाज राजपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.7 कि.मी. दूर है। प्लानरी 885 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की धरि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संरक्षक एवं खनन का विवरण – जिब्रोलीजिकल रिजर्व 26,200 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 21,607 घनमीटर है। जीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 548.33 वर्गमीटर है। खनन कर्मचारी नियुक्त विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। जीज क्षेत्र के भीतर 1,225 वर्गमीटर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भूतल स्थापित किया जाएगा जिसकी विकास विमनी की न्यूनतम ऊंचाई 30 मीटर प्रस्तावित है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत क्लॉई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टन बॉक्सा की आवश्यकता होगी। खदान से आयु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुसंधान क्लॉई जल अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (एन)
प्रथम	712.28	14,24,520
द्वितीय	712.28	14,24,520
तृतीय	712.28	14,24,520
चतुर्थ	712.28	14,24,520
पंचम	712.28	14,24,520

सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी (ड्रिफ्ट किलन) स्थापित किये जाने बाबत संबंधित सार्वजनिक स्थान अनुमोदित करताकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. आवेदित सीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में घास/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किलन स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. मिजेक्ट ब्रिक्स (Misject bricks)/डिब्रक ब्रिक्स (Disject bricks) एवं ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश के उपयोग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फलाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिए टिन शीट का उपयोग किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्बंध सिद्ध तथा यह था—

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की जायूरी स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. सीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी (ड्रिफ्ट किलन) स्थापित किये जाने बाबत संबंधित सार्वजनिक स्थान अनुमोदित करताकर प्रस्तुत किया जाए।
4. जिन-जैंग किलन की स्थापना किये जाने हेतु तकनीकी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. आवेदित सीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में घास/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किलन स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. मिजेक्ट ब्रिक्स (Misject bricks)/डिब्रक ब्रिक्स (Disject bricks) एवं ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश के उपयोग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से धुआँ/डिस्टिब डस्ट उत्पन्न होगा, इन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. वाइनिंग सीज क्षेत्र के अंदर सचन कुल्लेपत्र किये जाने एवं संयित पौधों का समयईवाल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फलाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिए टिन शीट का उपयोग किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन करताकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्टॉक स्थापित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. आवेदित खदान में जिन-जैंग पद्धति का चिमनी किलन प्रतिस्थापित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह वास्तविक जल संधि, नाला, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसकी संरक्षण किने जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवेदन का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसकी विस्तृत इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश की अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवेदन का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसकी विस्तृत नाला सफाई, परीक्षण, एवं और जलवायु परिवर्तन संरक्षण की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्त्थान का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त प्रतिष्ठित जानकारी/वक्तव्य प्रत्येक कोने पर चिंतित आगामी कार्यवाही की जायेगी।

मुदानुसार एम.ई.ए.सी., इण्टीनग्रेड की इम्पेन दिनांक 15/06/2023 की परिधिषय में परिधिषय प्रसारक द्वारा दिनांक 11/07/2023 को जानकारी/उपस्थापन प्रस्तुत किया गया।

(ब) माहिती की 47वीं वेबक दिनांक 27/08/2023

सन्धिपति द्वारा सन्धि, प्रस्तुत ध्यानकारी का सहायकन एवं परीक्षण करने का निम्न विधिति पाई गई—

1. जलसंचयन हेतु भूमि सवर्णियों का सहाय्यता पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 713/1, 721 की नारायण प्रसाद एवं श्री बलदेव प्रसाद, खसरा क्रमांक 713/2 की गिरजाशंकर, श्री देवशरण, श्री ईश्वर प्रसाद, सुधी बतिका एवं सुधी सतिश्वरि, खसरा क्रमांक 722 एवं 714 की बीलेश्वर, श्री मुनेश्वर एवं श्री गोविन्द के नाम पर है। जलसंचयन हेतु श्री नारायण प्रसाद, श्री ईश्वर प्रसाद की गिरजाशंकर, श्री देवशरण, श्री मुनेश्वर, श्री गोविन्द एवं श्री बीलेश्वर का सहाय्यता पत्र प्रस्तुत किया गया है। जलसंचयन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 713/2 सुधी बतिका एवं सुधी सतिश्वरि भूमि सवर्णियों का सहाय्यता पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परिचोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आवश्यकता धाम पंचायत द्वारा टैंकरी के माध्यम से की जावेगी। इस संबंध धाम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. सीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पहली (जलसंचयन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए विषम (ड्रिप सिस्टम) स्थापित किये जाने संबंध संशोधित समर्थन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि सख्त अधिकारी से अनुमोदित नहीं कराया गया है एवं सीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पहली के बाहर विषम का कुछ भाग स्थापित होना प्रतीत हो रहा है। जल उपयोगता लोगों से संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हुए सख्त अधिकारी से अनुमोदित कराकर संशोधित समर्थन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. जिन-जिन विषय की स्थापना किये जाने हेतु तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वाक्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवंटित सीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में धाम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई विमान/विमान स्थापित है अथवा नहीं? जो जानकारी दी जायेगी। इस संबंध में समिति का मत है कि

अवशिष्ट लीज क्षेत्र को 800 मीटर की दूरी में घास/आबादी क्षेत्र एवं 1 किमी. की दूरी में कोई किनारी/किल्ला स्थिति है अथवा नहीं? के संकेत में तार्किक कलेक्टर (खनिज साख) से प्रमाण पत्र संसाधन ज्ञान आवश्यक है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि रिजैक्ट ब्रिक्स (Rejected bricks)/टूटे हुए ब्रिक्स (Broken bricks) जो खदान से निकाले जा सकें उपयोग इस पौड़ी के संरक्षण जैसे किनारे पैकिंग ट्री लाई की तरह तथा रोड मेंटेनेंस के लिए करने तथा कोयला जलने के बाद जो एक निचलेगा उसका उपयोग इस ग्रास मिट्टी के साथ मिश्रण ईट निर्माण में उपयोग करने।
7. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पपुलिस्टिड इस्ट उद्धारित होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचन का व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर राखन कुल्लेयण किये जाने एवं रोपित पौधों का संवर्धन रीट (Survival rate) का प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश की उचित रख-रखाव के लिए सिंचन/डिग क्षेत्र का उपयोग किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउण्ड्री फिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्टॉक स्थापित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. अवशिष्ट खदान में जिन-जिन पद्धतियों का किसी किल्ला प्रतिरक्षित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ताजा, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों में किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह नहीं किये जाने एवं जल स्रोतों के संरक्षण व संवर्धन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में अस्तित्व नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध नाला संचयन, पार्श्वकर्म, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रलंबन का प्रकरण अस्तित्व नहीं है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान में सतहिया जलों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को संरक्षण में व्यवस्थापन के अन्तर्गत पर नियंत्रित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. खदान के चारों तरफ 1 मीटर की बाउण्ड्री छोड़ी गई है। उस पर बीसिंग कराकर कुल्लेयण का कार्य कराया जाता है। तथा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी एवं सीढ़ियाँ के तहत निर्धारित कार्य की जानकारी गिबोटम (Geobot)

कोटीरक्षण सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय क्षीयता प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन प्रभाव से अधिक उत्खनन कार्य नहीं करने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. आवेदित क्षेत्र में स्थित कुलों की अवस्थितियों की जानकारी प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही उक्त कुलों की अवस्थिति बदलने पर ही कटाई स्थल अधिकारी से अनुमति प्राप्त हो किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. सी.ई.आर. के अन्तर्गत किये जाने वाले कुलोपम का 5 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्खनन कार्यक्षमता से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 713/2 सुधी वसिका एवं सुधी सतिमति भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के बाहर विमनी का कुछ भाग स्थानित होना प्रतीत हो रहा है। उक्त उपरीक्त लम्बी के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु स्थल अधिकारी से अनुमोदित करारना संबंधित सरकारी पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में खान/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई विमनी/विप्लव स्थानित है अथवा नहीं? के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा) से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त याचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., प्रदीपगढ़ के कामन दिनांक 21/09/2023 के परिपत्र में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 51वीं बैठक दिनांक 12/03/2024

समिति द्वारा पक्की प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 713/2 सुधी वसिका एवं सुधी सतिमति भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के बाहर विमनी का कुछ भाग स्थानित होना प्रतीत हो रहा है। स्थल अधिकारी से अनुमोदित करारना संबंधित सरकारी पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. अग्नि निरीक्षण, जिला-बलरामपुर-तमानुजगंज द्वारा प्रभाती अधिकारी, जिला-बलरामपुर को दिनांक 27/09/2022 द्वारा स्थल निरीक्षण के संबंध में प्रेषित प्रत्येक अनुसार "आवेदित लीज क्षेत्र से नजदीक खान की दूरी 800 मीटर से अधिक है तथा आवेदित क्षेत्र से 1,000 मीटर पर कोई ईट कट्टा नहीं है।" का उल्लेख है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग कार्य को सीमितरूप एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईज/प्रतिनिधि, ग्राम-विकास की परामर्शदात्री/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसिंचन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के परामर्शदात्री/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति को संचालित कराया जाना आवश्यक है।

5. कानूनीय एन.जी.टी. डिस्ट्रिक्ट बेस, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पारंपरिक विस्मय प्राप्त संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिएण्टल एम्प्लोयेशन नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 12/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय बलसहर खनिज खाना, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के क्षेपण क्रमांक 80/खनिज/उत्खनि./2023 बलरामपुर, दिनांक 08/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित अन्य खदानों की संख्या निम्न है। आवेदित खदान (ग्राम-मरकाडांड) का क्षेत्रफल 1.31 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में सीक्यूट/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की माने गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स मरकाडांड खिन्सा अर्ब एम्ब डिप्लो कार्पो (प्रो- बी बालदेव प्रसाद चट्टोपाख्य) को ग्राम-मरकाडांड, तहसील-उखानुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के खाना क्रमांक 713/1, 713/2, 721, 722 एवं 714 में सिता मिट्टी उत्खनन (सीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2245 हेक्टेयर में से 1.31 हेक्टेयर, खाना-713.28 घनमीटर (14,24,820 मग) प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय सीक्यूति दिए जाने की अनुमति की गई।

साथ राष्ट्रीय पर्यावरण अन्वेषण आयोग (एस.ई.आई.ए.), जलसिंचन को उपानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स बंदरा इंटरप्राइजेस (प्रो- सुनील कुमार खट्वा, बेलसरा डीलोमाईट स्टोन माईन्स), ग्राम-बेलसरा, तहसील-उखानुर, जिला-बलरामपुर (सावित्राजय का गल्ली क्रमांक 1780)

डीलोमाईट आवेदन - पूर्व में प्रयोजन क्रमांक - एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 64481/2021, दिनांक 09/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। प्रस्ताव में प्रयोजन क्रमांक - एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 64482/2021, दिनांक 17/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय सीक्यूति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डीलोमाईट (सीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बेलसरा, तहसील-उखानुर, जिला-बलरामपुर सिता खाना क्रमांक 218/1,

218/2, 218/3, 218/4, 218/1, 218/2, 218/1, 218/2, 218/3 एवं 220, कुल बीजफल-1.948 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-13,303.75 टन प्रतिवर्ष है।

पूरु में एल.ई.ए.सी. जलतीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/03/2021 द्वारा प्रकल्प की कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टू. 2019 में प्रस्तुतित स्टीम्बर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीआरआर) और ईआईए/ईएमपी, रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज रिक्वायरी इन्फार्मेशन फॉर्मेट (सीआईए) अथवा ईआईए, नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सभी 1(ए) का स्टीम्बर्ड टीआरआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी. जलतीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 45वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील कुमार अग्रवाल, प्रोमोटाईटर एवं पर्यावरण सलाहकार की सम में बैठकी के एच एम सौजन्यन, सीएम, जलारक्षेत्र की ओर से सुनी पूनम मंगलम अवस्थित हुए। समिति द्वारा मल्ल, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुई-

1. पूरु में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूरु में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. छान पंचायत का अनाथित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में छान पंचायत विलसात का दिनांक 28/03/2020 का अनाथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - कचरी प्लान, इन्फार्मेशन मेनेजमेंट प्लान एच वगैरह स्वीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो वन मंत्रालय (अ.प्रसा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/खनि/कोलोमाईट ज.प्र./2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/कोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.823 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/कोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार कक्षा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदी, नहर, नाला, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं एनोकेट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. वेबसाईट डेटाबेस में नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2021/वीन खनिज/न.अ.11/2020-21 बिलासपुर, दिनांक 02/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रतिलिपि जारी दिनांक की 4 वर्ष की अवधि तक थी। तदनुसार एल.ओ.आई. संचालनलय, भौमिकी तथा खनिकर्मी, नवा रायपुर, छत्तस गढ़ के ज्ञापन क्रमांक 142/खनि 02/उप-अनु.विभा./न.अ. 00/2017(3),

नया रायपुर दिनांक 10/01/2022 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 31/01/2023) तक अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया था।

प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.जी. आई की सहाय्य वृद्धि बाबत कम्प्यूटर कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक 2128/गीम खनिज/न.ऊ.17/2022-23 बिलासपुर, दिनांक 18/11/2022 द्वारा संयोजक संयोजनालय, भीमिडी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर को 12 लाख की अतिरिक्त लागतवधि बढ़ाये जाने बाबत पत्र प्रेषित किया गया है, जो अतिव्यापीन है।

7. **भू-स्वामित्व** - भूमि खसरा क्रमांक 216/1, 216/4, 219/2, 219/3 की मूलीयान एवं खसरा क्रमांक 216/2, 216/3, 219/1, 216/2, 219/1 एवं 220 की जागेदार धुव के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, रायपुर के द्वारा क्रमांक/381, दिनांक 21/06/2021 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्षेत्रीय वनमन्त्रालयकारी, बिलासपुर तथा वनसंयोजक, अमानसमार्ग टाँगन रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से समस्थित दूरी का उल्लेख करता हुए अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. **सहायपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी घाट-बेलराघ 1 कि.मी., राहुल घाट-बेलराघ 1.1 कि.मी. एवं अमरापाल घाट-बेलराघ 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। नहर 100 मीटर, नाला 275 कि.मी. एवं खनिजारी नदी 3 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आसानीय क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिकली पौल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबोधित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - विपरीतविकल रिजर्व लगभग 1,91,800 टन, साईनेबल रिजर्व लगभग 1,38,087 टन एवं निकलरिबल 1,38,303 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,445 वर्गमीटर है। खोपन कलर सेमी मेकनाईज्ड सिंचि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपनी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 28,470 घनमीटर है, जिसमें से 4,480 घनमीटर अपनी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर पुनःस्थापन के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 23,990 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 778, भूमि स्वामी-श्री कलछा राम, क्षेत्रफल 0.42 एकड़) में 1 मीटर की ऊंचाई तक संकलित कर रखा जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की क्षमकित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टाबिलिटी किया जाएगा। खदान में आयु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का किण्वकण किया जाएगा। सर्वोपर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,818.25	चतुर्थ	13,003.13
द्वितीय	12,708.25	पंचम	13,181.25
तृतीय	12,801.25	अष्टम	13,323.75
चतुर्थ	12,811.25	नवम	12,488.75
पंचम	12,825.00	दशम	12,898.25

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **कुशलरोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,228 मग कुशलरोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए रशि 1,88,178 रुपये, काच के लिए रशि 18,718 रुपये, सेम लिल पेंसिंग एवं सीमेंट मिलानों के लिए रशि 1,38,400 रुपये, सिंचाई के लिए रशि 1,20,000 रुपये एवं रस-सखाव आदि के लिए रशि 1,48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में रशि 8,80,288 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल रशि 8,80,472 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-**

1. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मौनितरीय कार्य अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अर्धगोल 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
2. **मौनितरीय परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यन लेवल-**

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	22.12	37.31	60
PM ₁₀	32.25	50.42	100
SO ₂	10.58	35.08	80
NO ₂	9.42	29.32	80

3. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता-** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of surroundings में दर्शाये गये लेवल अनुसार अमोराइडस, नाइट्रेटस, सल्फर, कार्बोनेटस, लेड, अमोनियम एवं अन्य सामयिक तत्वों का मान्यन लेवल भारतीय मानक से कम है।

4. **परिवेशीय ध्वनि स्तर-**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	40.22	59.13	75
Night L _{eq}	32.13	41.34	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

५. पीसीयू की गणना- चारों बाइनों / काल्टीएसाल हेवी बाइनों को सम्मिलित करते हुये टैरिफिक आवयपन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार ५५ पी सीयू प्रतिघंटा एवं की/सी अनुसार (MCD 1999) 0.05 है। सी-मटेरियल / प्रोजेक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0-0.2) के भीतर है।

१७. लोक सुनवाई दिनांक ०७/०९/२०२२ को दोपहर १२:०० बजे स्थान - सातखीव हाई स्कूल मैदान, ग्राम सिन्हा, तहसील-रायपुर, जिला-बिलासपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दशांगीज सदस्य सहित, छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पाठ दिनांक १३/१०/२०२२ द्वारा प्रेषित किया गया है।

१८. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विषय प्रस्तुत किये गये हैं:-

- खदान संरक्षण से निकलने वाले धूल गिट्टी तथा सड़कों में उड़ने वाली धूल के लिए संवर्धन किया जाए।
- खदान खुल जाने से धूल, पत्थर, कंकड़ आदि खेत में आवेगा जिससे फसलों को नुकसान होगा। इसी खेत से मैं अपने घर का पालन पोषण करता हूँ।
- खदान के आसपास सड़क में गड़दे निर्मित हो चुके हैं, उनका निराकरण किया जाए।
- स्थानीय कौशलमो को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाने गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- दिन में दो बार पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा अधिक से अधिक झाड़ोपन किया जाएगा।
- इन छोटी ब्लॉकिंग एरिया लॉन्गरीज कान्टेनर के द्वारा कनकाईने जिससे की पत्थर खदान के बाहर हो गिरे जिससे आपसी कसाल की कोई नुकसान हो हो। अगर हमारे द्वारा अधिक से नुकसान हुआ तो हम उसका मुआवजा देंगे।
- सड़क में गड़दे हो गए हैं उनकी समय समय पर परम्पत की जाएगी।
- स्थानीय लोगों को ही खदान में रोजगार दिया जाएगा।

१९. कंसल्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये कंसल्टर में कुल ६ खदानें जाती है। जब कंसल्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पहला मार्ग (कुल सम्बाई 2.5 कि)	पूरासोपन (५० प्रतिशत घरेलू रशि वर्ग)	1,38,000	12,816	12,816	12,816	12,816
	वैशेषीय हेतु	13,33,800	-	-	-	-

सी.ई.आर. के विवरण (1,000 रु.)	विवरण					
कृषासेवा केन्द्र	खाद रक	12,510	1,280	1,280	1,280	1,280
	सिंचाई एवं सह-सहाय केन्द्र रक	4,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000
	कुल रक = 38,88,308	21,54,802	4,45,878	4,45,878	4,45,878	4,45,878

कृषि एवं कृषासेवा केन्द्रों में परियोजना प्रस्तावों की सहायता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
388 मीटर वर्ग के सी.ई.आर. (258 रु.) कृषासेवा केन्द्र	18,808	1,878	1,140	1,140	1,140
सी.ई.आर. केन्द्र	2,08,400	—	—	—	—
खाद केन्द्र रक	1,880	210	120	120	120
सिंचाई एवं सह- सहाय केन्द्र रक	98,601	98,601	53,081	53,081	53,081
कुल रक = 5,58,388	3,24,589	98,787	54,341	54,341	54,341

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (द्वितीय संशोधित) के प्रावधानों एवं मानकीय वन जी.टी. द्वारा जारी आवेदन के अनुसार सम्पूर्ण बजट केन्द्रों के कृषि एवं कृषासेवा केन्द्रों में परियोजना प्रस्तावों को प्रदान किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बजट में शामिल सभी खर्चों के द्वारा खानों के पर्यावरणीय दृष्टिकोणों की देखभाल केन्द्रों की वित्तीय एवं भौतिक सहायता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बजट में आने वाले खर्चों की पर्यावरण गतिविधियों से पर्यावरणीय घटनाओं पर पड़ने वाले दृष्टिकोणों की देखभाल केन्द्रों में आने वाली सभी खर्चों को शामिल करने के लिए, बजट केन्द्रों के कृषि एवं कृषासेवा केन्द्रों में परियोजना प्रस्तावों को प्रदान किया जाने लगे। ई.आई.ए. के निष्कर्षों के आधार पर, सहायता, सहायता, भौतिक तथा खनिज, ईंधन, वन, नया समुदाय, वन, वन, वन - समुदाय (वर्गीकृत) के रूप में समुदाय को प्रदान किया जाना चाहिए।

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावों के द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) केन्द्रों की सहायता से पर्यावरणीय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	2%	0.90	Following activities at	

			Village- Darri Baluara	
			Paved	Van
			Number	
				12.22
			Total	12.22

22. बी.ई.ओ. के अंतर्गत 'पब्लिक वर्क निमोन' के तहत (सीम, आर, जलपुन, कवर, कनेक्ट, अडवांस, अमलागत, बरगद आदि) कुलनीयत हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नम पीपी के लिए राशि 20,140 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 21,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये, लाइट के लिए राशि 1,300 रुपये तथा पथ-सड़क आदि के लिए राशि 1,55,000 रुपये, इन प्रकार प्रथम चर्च में कुल राशि 3,49,720 रुपये तथा आगामी 4 चर्च में कुल राशि 8,73,048 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रशासक द्वारा काम पंचायत दली वेल्फेयर के सहयोगी उपरंत सहायोगी स्थान (खसत जमात 134, क्षेत्रफल 0.105 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
23. पब्लिशिटेड डस्ट एन्ड एन्वायरन के नियंत्रण हेतु निर्धारित जल सिंचिकाय किये जाने बाबत सप्ल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
24. कंसटर ने जाने वाले सस्ता खदानों द्वारा कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध कलकन जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
25. कंसटर हेतु कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर सस्ता खदानों को एक नक्शे में इंगित करती हुई जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही कंसटर ने जाने वाले सस्ता खदानों द्वारा कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
26. कंसटर ने जाने वाले सस्ता खदानों के लिए तैयार कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अवगत एवं वेबसाइट सहित नक्शे में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।
27. सटीकनद आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सप्ल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. जलपुनराई के दौरान विभिन्न कुदरों के निष्कालन की दिशा में परियोजना प्रशासक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिरे नये आलाचान को पुरा करने हेतु सप्ल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. एक्सप्लोसिव लाइसेंस होल्डर द्वारा अधिकृत लिमिटेड लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सप्ल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत राब की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत सप्ल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1.5 मीटर की पट्टी में पेंसिंग कराकर कुलनीयता किये जाने बाबत सप्ल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. जमीन मिट्टी की लीज क्षेत्र की बाहर मजदुरी कर संरक्षित रखी जाने हेतु मिट्टी का दुरुलयोग न करने, डिग्न न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्वास में किये जाने बाबत सप्ल पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. सी.ई.आर. के तहत तय की गई दृष्टि का उपयोग चोर के द्वारा दी गई भूमि में परिवर्तित कराकर पुनर्वासित किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. माईनिंग जीवा देव के अंदर राखन पुनर्वासित किये जाने एवं समित पौधों का सत्यापन रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा चर्चित नियमों के तहत बाजलूही मिलन द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, खाता में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देव के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उपलक्षण का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. एल.ओ.आई. की पैदाश दृष्टि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. क्षेत्रीय कमन्सलैबिबरी, बिलासपुर तथा तमसातालक, जखानकमार्ग टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से गारंटीक दृष्टि का तस्वीर कलेक्ट हुये अनिवारित प्रमाण पर प्रस्तुत किया जाए।
3. क्यूडिटिव डस्ट परामर्शन के निर्वाहन हेतु नियमित जल विश्लेषण किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. अक्सटर में जाने वाले समय खदानों द्वारा सीमा इन्फ्रस्ट्रक्चर में मैजरीट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुमति कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त खदानों को खोला जायेगी।

उपानुसार एस.ई.ए.सी., अतीरलव के द्वारा दिनांक 06/06/2023 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की 51वीं बैठक दिनांक 12/03/2024

समिति द्वारा मंत्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय पड़े गई:-

1. एल.ओ.आई. की पैदाश दृष्टि बाबत न्यायालय संचालक पीमिडी तथा चानिकन, गवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 11/2023 द्वारा जारी पत्रित आदेश दिनांक 03/01/2024 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के अन्तर्गत पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार कलेक्ट हुये, कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला बिलासपुर के पत्र क्रमांक/2023/वीम अग्निज/न.अ./2023, दिनांक 03/02/2023 को अपरान्त

किया जाता है। छत्तीसगढ़ ग्रीन कनिज नियम, 2015 के नियम 42(b) के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण बर्हीकृति प्रभाव करने एवं पर्यावरण बढ़ता बर्हीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु आवेदिका समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण बर्हीकृति, जिला बिलासपुर को प्रेषित किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. क्षेत्रीय वनभारविहारी, बिलासपुर तथा उपसंचालक, अधिनियमार्ग टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए अनारक्षित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है, जो कि प्रतिक्रियाधीन है। जानकारी प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाए।

वन विभाग द्वारा जारी अनारक्षित प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि सीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (बी योगेश खड़ी, राम-बेलसरा तहसील-तख्तपुर, जिला-बिलासपुर, खाना क्रमांक 188, 191/1-2-3 क्षेत्रफल 7.48 एकड़) को वन विभाग द्वारा जारी अनारक्षित प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यलय वनभारविहारी, बिलासपुर वनमंडल, जिला-बिलासपुर के ज्ञान क्रमांक एच.जी./3157 बिलासपुर, दिनांक 17/08/2015 से जारी अनारक्षित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वनक्षेत्र की सीमा से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर है। समिति द्वारा चला गया कि सीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (बी योगेश खड़ी, राम-बेलसरा तहसील-तख्तपुर, जिला-बिलासपुर) का उल्लेख आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी प्रमाण पत्र में नहीं है। उक्त समिति का मत है कि क्षेत्रीय वनभारविहारी, बिलासपुर तथा उपसंचालक, अधिनियमार्ग टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए अनारक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. पर्यावरण इस्ट इमर्सन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव का उचित प्रकरण किये जाने संबंधी समझ पत्र (Memorandum Understanding) प्रस्तुत किया गया है।
4. क्लस्टर में होने वाले समस्त खदानों द्वारा सीज इन्फ्लायमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
5. सी.ई.आर., सीज इन्फ्लायमेंट मैनेजमेंट प्लान, सीज इन्फ्लायमेंट मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशलरोपण कार्य के सीमितनिय एवं परीक्षण हेतु कि-सीज समिति (सीपईटीए/प्रतिनिधि, राज्य मंत्रालय के महासचिव/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण समिति के महासचिव/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., सीज इन्फ्लायमेंट मैनेजमेंट प्लान, सीज इन्फ्लायमेंट मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशलरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित कि-सीज समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेव, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय विवाद समाधान, पर्यावरण, वन और पर्यटन परियोजना मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एडिजेशन नं. 188 ऑफ 2015 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2015 को जारी आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) if a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कर्णोलय बलेसर (अग्निज साखा), जिला-बिलासपुर को इलाक़ा क्रमांक 111 / डोलीमार्डेट / प्रमाण पत्र / 2021 बिलासपुर, दिनांक 27 / 08 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.523 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घाम-बेलसरा) का क्षेत्रफल 1.918 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-बेलसरा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 12.441 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (पंचा संचालित) के प्रावधानों एवं मानवीय एवं जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार बलसर में आने वाली खदानों की जांचकर गतिविधियों से पर्यावरणीय घटनाएँ या पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु बलसर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, बलसर हेतु जीवन इन्फ़ायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा डिन्वायिड करने हेतु संचालक, संचालनलय, भूमिहीन तथा अधिभूत, इदादती मगर, नया संप्रभु अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. क्षेत्रीय वनमन्त्रालयारी, बिलासपुर तथा उपसंचालक, अचानकभारी टाईगर रिज़र्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए अनपेक्षित प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अर्द्धन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों अनुमति की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से आवेदक - केसरी वंदना इंटर्नैटिनेज (प्री- सुनील कुमार अग्रवाल, बेलसरा डोलीमार्डेट स्टॉन माईन) को घाम-बेलसरा, तहसील-रायपुर, जिला-बिलासपुर को बारात क्रमांक 218 / 1, 218 / 2, 218 / 3, 218 / 4, 218 / 1, 218 / 2, 218 / 1, 218 / 2, 218 / 3 एवं 220 में स्थित डोलीमार्डेट (भूमि अग्निज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.918 हेक्टेयर, कुलतमन क्षमता-13.523.75 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अर्द्धन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रविक्कन (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. केसरी आका निगला (प्री- की सुनील तंबोली, बालपुर लाईन स्टॉन माईन), घाम-बालपुर, तहसील-बालपुर जिला, जिला-बिलासपुर को बारात क्रमांक 2021)

जीनलाईन आवेदन - प्रपोज़ल नम्बर - एस.आई.ए.ए. / सी.टी. / एस.आई.ए.ए. / 2023 / 2023, दिनांक 22 / 08 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परिशिष्टाना जलसंचयन द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अगिनी होने के कारण दिनांक

27/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तित जानकारी दिनांक 28/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्ण में संयोजित मूल प्रस्ताव (पीएन एनआईए) खदान है। खदान घाट-ठासपुर, तहसील-साहसपुर जिला-कबीरधाम विभाग खसरा क्रमांक 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8 एवं 45, कुल क्षेत्रफल 3.199 हेक्टेयर में है। खदान की आवधिक उत्पादन क्षमता-28,979.83 टन प्रतिवर्ष है। भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संश्लेषण दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिससे पैरा 4 में निम्न व्यवधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त अधिसूचना संश्लेषण के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला सार्वजनिक पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्रधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमोदन (re-appraisal) हेतु एच.ई.ए.सी., फरीदाबाद के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., फरीदाबाद के द्वारा दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 49वीं बैठक दिनांक 27/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु की सूचित तारीखी, प्रोत्साहित उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्ण में मूल प्रस्ताव खदान खसरा क्रमांक 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8 एवं 45, कुल क्षेत्रफल-3.199 हेक्टेयर, क्षमता-28,979.83 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्वजनिक पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्रधिकरण, जिला-कबीरधाम द्वारा दिनांक 08/08/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति अनुमति जारी दिनांक (28/08/2018) से 5 वर्ष की अवधि अवधि दिनांक 28/08/2023 तक वैध है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"84. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिनियम के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 28/08/2024 तक वैध होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के प्रावधान में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. निर्धारित कार्यानुसार 800 लघु कुआरों का निर्माण किया गया है।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन), जिला-कबीरगंज के द्वारा क्रमांक 999/ख.नि./खनिज/2023, दिनांक 28/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	10.721
2019-20	8.657
2020-21	10.480
2021-22	22.838
2022-23	26.879

2. दाम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र — उत्खनन की संख्या में दाम पंचायत राजपुर का दिनांक 18/06/2023 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. सांख्यिक योजना — जारी प्लान इम्प्लीमेंटमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं जारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बेगूसराय के द्वारा क्रमांक 1338/खनि.नि./स.प./2017 केसब, दिनांक 03/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन), जिला-कबीरगंज के द्वारा क्रमांक 494/ख.नि./उत्खनिमेटा/2023 कबीरगंज, दिनांक 03/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 2 खदानें, होम्पल 1800 टेम्पेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षित — कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन), जिला-कबीरगंज के द्वारा क्रमांक 495/ख.नि./उत्खनिमेटा/2023 कबीरगंज, दिनांक 03/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे परिवार, परिवार, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, हॉटेल, बांध एवं अन्य आगुर्ति आदि अतिरिक्त क्षेत्र स्थित नहीं है। पक्की सड़क 10 मीटर की दूरी पर है।
6. सीज का विवरण — सीज मेसर्स आर मिमल्स प्रोपर्टीजर्स- श्री सुनील तखोली के नाम पर है। सीज बीच 30 वर्षों अवधि दिनांक 28/08/2018 से 28/08/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. भू-स्वामित्व — भूमि खसत क्रमांक 44/8 की तिलेला, खसत क्रमांक 44/3, 44/8 की सदा तखोली, खसत क्रमांक 45 की पुरवा एवं खसत क्रमांक 44/1, 44/2 44/5, 44/7 आवेदन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामिनी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिमंड्ड सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिमंड्ड सर्वे रिपोर्ट (Demand Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. इन विभाग का अनायति प्रमाण पत्र — कार्यालय जनसंख्याविकासी, कर्नाट संग्रामदास, ताल-कर्नाट के ज्ञान कर्मक/ता.अधि/10829 कर्नाट दिनांक 06/10/2023 में जारी अनायति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निम्नलिखित जन क्षेत्र से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निम्नलिखित आबादी घान-तालपुर 770 मीटर, स्कूल घान-तालपुर 880 मीटर एवं अस्पताल लोहात 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 मीटर दूर है। कर्ना नदी 7.3 कि.मी., तालाब 880 मीटर, दमर नाला 580 मीटर एवं नहर 400 मीटर दूर है।

11. परिसिद्धितीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसिद्धि में अंतराजतीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटिकली चैम्प्युटेड एरिया, परिसिद्धितीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण — अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार जिमोनीजिकल रिजर्व 7,59,762 टन, माइनेबल रिजर्व 2,88,823 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 2,88,870 टन था। वर्तमान में जिमोनीजिकल रिजर्व 8,04,881 टन, माइनेबल रिजर्व 1,83,441 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 1,78,878 टन क्षेत्र है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,086.29 वर्गमीटर है। लीज कास्ट सेमी सेल्फमाइंग विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल गांज 7,788 घनमीटर है, जिसमें से 2,123 घनमीटर ऊपरी मिट्टी की 7.5 मीटर (माइनिंग काउन्ट्री) क्षेत्र में फैलाकर पुनारोपण के लिए उपयोग एवं क्षेत्र 5,675 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सड़ की भूमि (खसरा क्रमांक 36/7, क्षेत्रफल 0.324 हेक्टेयर) में मण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अंतर व्यवस्था है, जिसका क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर है। क्षेत्र हेमर से ड्रिलिंग एवं अटॉल बसस्टिंग जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जाल का विस्थापन किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023-24	25,972.9
2024-25	25,972.9
2025-26	25,972.9
2026-27	25,975.8
2027-28	25,918.3

13. जल आवृत्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आवृत्ति कोल्ल के बाधन से की जाती है। इस बाधन सेन्ट्रल बाधनक वीटर अधीनस्थ से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. पुनारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में कर्ना लीज 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,824 टन पुनारोपण किया जाएगा। पर्यवेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावक द्वारा बताया गया कि 7.5 मीटर की पट्टी में पूरी रिजर्व की लंबाई 122 मीटर

जबे भाग में प्राचलन होने तथा दक्षिणी दिशा में 112 मीटर जबे भाग में कटार के कन्वेंशन सेल होने के कारण कुलरोपण संभव नहीं है।

इससे कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र से संलग्न सामग्री प्राप्त भूमि (संसार क्रमांक 45, भू-स्वामी - श्री पुरुषोत्तम) में 400 मग कुलरोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 1,824 मग कुलरोपण हेतु पौधों के लिए प्रति 1,82,400 रुपये, बेलिय के लिए प्रति 1,43,000 रुपये, छात्र के लिए प्रति 81,200 रुपये, सिमार्ह एवं रस-रखाव आदि के लिए प्रति 2,06,340 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 3,82,840 रुपये एवं रस-रखाव के लिए लगभग 4 वर्ष तक प्रति 7,48,760 रुपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. छाया की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में प्रत्यक्ष - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के कुछ भाग में प्रत्यक्ष कार्य किया गया है। प्रतिबिम्बित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में प्रत्यक्ष किया जाना पर्यावरणीय लक्ष्य की शर्तों का उत्तराव है। अतः लीज उपर्युक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त वर्णनित क्षेत्र को पुनर्वास करने वाले हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. उत्तरावनीय है कि भागत सरकार पर्यवरण, वन एवं प्रत्यक्ष परियोजना मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा तीन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 513 (3) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नई लीज क्षेत्र को अंतर 7.5 मीटर चौड़े सेवेटी ज़ोन में कुलरोपण किया जाना आवश्यक है।

17. गैर माइनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र में 2,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल को कटार तथा 7,321.176 वर्गमीटर क्षेत्र में संभारण पक्ष के सम्भारण हेतु गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उत्तराव अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है।
18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपर्युक्त नियमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48.53	2%	0.98	Following activities at Village- Talpur	
			Plantation around Mukdham	1.30
			Total	1.30

18. सीढ़ीदार के अंतर्गत घास तालपुत्र निम्न भूमिस्थान के चारों ओर (आम, कटहल एवं जामुन) 80 सें. कुशासेन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए चरित 5,000 रुपये, बाईलि के लिए चरित 7,500 रुपये, बाव के लिए चरित 2,500 रुपये, सिंचाई तथा एवं-रक्षा एवं के लिए चरित 25,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल चरित 40,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल चरित 90,000 रुपये हेतु परावहार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घास संसाधन तालपुत्र के सहस्रति अन्तर्गत पर्याप्ततम सदन (अवगत अन्तर्गत 232, संवत्स 1,214 हेक्टर) के संकट में जलकारी प्रस्तुत की गई है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी जल में 1 मीटर की ऊँचाई तक सम्मिलित किये जाने, बीच अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में सम्मिलित किये जाने। इस प्रकार सम्मिलित अपनी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुर्लभयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उसके निरीक्षण/प्रकार के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से निर्धारित समझौते को अनुसार बी.बी.एम.एम. अधिकृत एवं पंजीकृत प्लानिग विभाग के द्वारा ही स्मार्टिंग कराया जाएगा।
21. पर्यावरण बचत उत्पन्न के निर्धारण हेतु निर्धारित जल विकसाल किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सदन कुशलरूप किये जाने एवं संयुक्त पीछे का संसाधन गैर (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. अतीव्य अवरत पुनर्भरण नीति के तहत स्थानीय लोगों को संयोजन किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज विभाग के तहत बाधक विभाग द्वारा सीमाओं का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा। अपने द्वारा खदान के संयोजन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल स्रोतों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संयोजन और संयोजन हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे : -
 - i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जायेगा।
 - ii. खदान कार्यलय के पासमें परितु अवशिष्टों के निपटार के लिए सैफिक टैंक और लेख नदी प्रदान किये जायेंगे।

38. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारंटीड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपस्थापित करके ही अन्य सतहों में छोड़ा जायेगा।
39. खदान के अंदर वर्षों द्वारा संचित जल को उपस्थापित करके अवसथागतानुसार हानीयों को उपसलब्ध कराया जायेगा।
40. खदान की चापट्टी के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।
41. तथा संचित जलार के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

समस्त आवेदन में आवेदित स्थल से लगभग 820 मीटर तथा नहर 400 मीटर की दूरी पर है जो कि उत्तीर्णनद गौन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। जल खदान संभालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (iv) के चलन से तात्पर्य एवं नहर पर प्रभाव को रोक रखा जा सकेगा।

27. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिशोधन/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में अविद्यमान है।
28. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोह, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई परस्परता का प्रकरण अविद्यमान है।
29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए विचार निर्देश का पालन करने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की Writ Petition (C) Civil No. 114/2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए विचार निर्देश का पालन करने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भूमि स्वामियों से निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा सौजन्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक का आसार भूमि स्वामियों को उपसलब्ध कराया जाएगा।
32. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.7 कि.मी., अस्पताल 3 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 770 मीटर की दूरी पर है जो कि उत्तीर्णनद गौन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। जल स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे-
 - I. खदान के माईन चापट्टी में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - II. मूल (ग्रॉउ) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का पंपकरण किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - III. हमारे द्वारा खनिज का परिक्षण लापरवाही से इकट्ठा किया जायेगा, जिससे हमारे चलो में खनन से खनिज ना मिले।

30. हमारे द्वारा बसनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

31. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में वीथी लगाकर स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा।

32. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.डी.आर. की दर से चार्ज किया जाएगा।

33. सड़कों का अधिक सफाया एवं बूझ आदि से मुक्त हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में बूझ का प्रभाव नगण्य होगा।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समर्थ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सी.ई.डी.आर. की दर से प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित काम कंपाउंड से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, डिपॉजिट फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यवेक्षण स्वीकृति हेतु जमा किया जाने वाले आवधिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर प्रस्तुत किया जाएगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समर्थ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा वाकफा हेतु आवंटित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि के संबंधित समस्त हिस्से की खा. माता के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी होगी।

36. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत खनन योजना की कमीशनर गौन खनिज नियम 2015 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्मित कराकर स्वयं अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित खनन योजना में राजमार्ग से सीधे क्षेत्र की दूरी 10 मीटर होने के कारण नियमानुसार कमीशनर गौन खनिज नियम 2015 के नियम 5 (2) (ग) के अनुसार राजमार्ग से माइनिंग पिट की 100 मीटर की अधिकतम दूरी छोड़ते हुए खनन योजना बनायी गयी है। छोड़े गए गैर वाकफा क्षेत्र का कुल सतह 10,200.12 वर्गमीटर है, इस क्षेत्र की स्टोरज एवं कवर स्थापना के क्षेत्र के रूप में अनुमोदित माइन प्लान में बताया गया है। वर्तमान में राजमार्ग से अंतर 23 मीटर की दूरी पर है।

इस संकट में परियोजना प्रस्तावक का कहना है कि मेरी खदान में स्थापित अंतर को संलग्न मैप के अनुसार राजमार्ग से 100 मी. की दूरी छोड़ते हुए मेरे द्वारा स्वयंमोदित कर दिया जाएगा। इस संकट में समर्थ पत्र, वर्तमान लोकेशन ऑफ़ अंतर मैप एवं प्रस्तावित लोकेशन ऑफ़ अंतर मैप प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समर्थ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवंटित खदान में स्थापित अंतर को संलग्न मैप के अनुसार राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी छोड़ते हुए स्वयंमोदित कर दिया जाएगा।

समिति का मत है कि आवंटित खदान की सीमा एवं स्थापित अंतर की दूरी राजमार्ग से 10 मीटर है, कम-से-कम 100 मीटर होना चाहिए। आ. राजमार्ग से न्यूनतम 100 मीटर दूरी छोड़ते हुए अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तालाब एवं सारणी से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदित खदान की खनन क्षेत्र एवं कटन क्षेत्र से राज्यमार्ग से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखते हुए तथा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा मट्टी में किये गये राजस्थान क्षेत्र का चलेख बनाते हुये अखतान स्थिति में निजर्ग की मर्याद कर घोषित अनुमोदित कटनी पटन प्रस्तुत किया जाए।
2. राजस्थान 7.5 मीटर चौड़ी सीमा मट्टी के क्षेत्र को पुनःभरण किये जाने हेतु रेगुलेशन पटन प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिनियम नमोदधन में दिने नये निर्देश का विन्दुवार पालन किये जाने बाबत कार्य पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्योत्तर कलेक्टर (खनिज सारणी), जिला-कसीरवाड के भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम नमोदधन दिनांक 28/04/2023 के तहत धनियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमोद (re-approval) हेतु सम्बन्धित मशीन को इस कार्योत्तर में अधिलम्ब स्थित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. नाईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा जोन को कुछ भाग में किये गये खननन के कारण इस क्षेत्र के उपकारी उपकारी (Abandoned Mine) के संकेत में तथा लीज क्षेत्र के अंदर नाईनिंग क्रियाकलापों के कारण खनन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकारी पत्र पुनःकरण अदि के किये समुचित उपकारी को क्रियास्थित करने बाबत संघालक, संघालनलय, भीमिकी तथा खनिकर्मी, इटावली मकर, नवा तपपुर अटल मकर, जिला - तपपुर (अलीमगढ़) को लेख किया जाए।
6. अधिलम्ब 7.5 मीटर चौड़ी सीमा मट्टी में अति राजनन किया जाना चदे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनलय, भीमिकी तथा खनिकर्मी को एवं पर्यावरण को अति धट्टाने हेतु अलीमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा तपपुर अटल मकर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/संरक्षण प्राप्त होने उपरांत अगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एसईएसी, अलीमगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/12/2023 के परिच्छेद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/संरक्षण दिनांक 14/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(8) समिति की 81वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नसी, जगदुत जानकारी का अवलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. आवेदित खदान की खनन क्षेत्र एवं कटन क्षेत्र से राज्यमार्ग से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी के संकेत में समीकरण निम्नानुसार है:- प्रस्तुत खनन योजना की अलीमगढ़ गीम खनिज नियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्मित कटनन खनन अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित खनन योजना में राज्यमार्ग से लीज क्षेत्र की दूरी 60 मीटर होने के कारण नियमानुसार अलीमगढ़ गीम खनिज नियम, 2013 के नियम 3 (2) (ग) के अनुसार राज्यमार्ग

से माइनिंग गिट की 500 मीटर की प्रतिबंधित दूरी छोड़ते हुए खनन योजना बनानी नहीं है। छोड़े गए रैर परावन क्षेत्र का कुल पक्का 10,388.13 वर्गमीटर है। इस क्षेत्र की रेस्टोरेशन एवं कृषि कृषि के क्षेत्र की रूप में अनुमोदित माइनिंग प्लान में बताया गया है। वर्तमान में राजमार्ग से कृषि 80 मीटर की दूरी पर है।

माननीय राज्य सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय समिति को निर्देशानुसार खदान में स्थापित कृषि को संरक्षण के रूप में अनुसार राजमार्ग से 100 मी. की दूरी छोड़ते हुए स्थापित कर दिया जाएगा, इस संबंध में राज्य पर प्रस्तुत की गई है। वर्तमान लोकोटन और कृषि क्षेत्र में एवं अनुमोदित लोकोटन और कृषि क्षेत्र में की प्रति प्रस्तुत की गई है।

क्षेत्र क्षेत्र की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी की खुद हुए रूप पर प्रस्तुत पुनर्वास प्लान को अनुसार पुनर्वास किया जाएगा तथा प्रस्तुत पुनर्वास प्लान को अनुसार तीन पाठकों में पर्यावरण करके रूप तथा संरक्षण करके हुए पर्यावरण की आवधिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाने बाबत राज्य पर (Mitigated undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. परावर्तित 7.5 मीटर सीमा पट्टी की क्षेत्र की पुनर्वास किए जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिनियम के दिशे में निर्देश का अनुसार प्लान किए जाने बाबत राज्य पर (Mitigated undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. समिति का यह है कि सी.ई.आर. एवं कृषि क्षेत्र कार्य के नियंत्रित एवं पर्यावरण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (प्रिपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम संरक्षण के पर्यावरण/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या कृषि क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण समिति के पर्यावरण/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं कृषि क्षेत्र का कार्य पूर्ण किए जाने की उपरान्त गठित त्रि-स्तरीय समिति से सहायित कराया जाना आवश्यक है।
5. माननीय एन.जी.टी. दिल्ली में, नई दिल्ली द्वारा सार्वजनिक विवाद भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अधिकतम एडिशन में 100 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 03/09/2018 को जारी अधिनियम में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. सार्वजनिक क्लस्टर (समिति क्षेत्र), जिला-कबीरधाम के खाना इलाका 494/ख. वि./उत्तरनिर्देश/2003 कबीरधाम, दिनांक 03/07/2003 के अनुसार आवधिक खदान से 500 मीटर की सीमा आवधिक 2 खदान, क्षेत्रफल 1,000 हेक्टेयर है। आवधिक खदान (ग्राम-तालपुर) का क्षेत्रफल 3,100 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवधिक खदान (ग्राम-तालपुर) की मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4,100 हेक्टेयर

है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संघटित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 बंसी की गनी गयी।

2. बेसर्स आटा निगराना (प्रौ.- बी. सुनील चव्हाण, तातपुर जाईम स्टोन माईन) को ग्राम-तातपुर, तहसील-सहसपुर जिल्हा-कोल्हापूर के समस्त जमांक 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8 एवं 45 में विधायक सुधा पावार (बीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-3.538 हेक्टेयर, समता-25,976.83 टन प्रतिवर्ष हेतु परमिषिट-04 में संशोधन कार्य के अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकरण (एआईआईएए) प्रतीकपत्र को खदानुसार सुचित किया जाए।

3. बेसर्स हावाकुला सेम्ब माईन (समर्थ, ग्राम पंचायत हावाकुला, ग्राम-हावाकुला, तहसील-बासगा, जिल्हा-तातार-बस्तर-कोडन (परिवारिक का पत्नी जमांक 2917)

स्वीकृत/अवेदन - प्रक्षेत्र नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431345/2023, दिनांक 15/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत उत्खनन (बीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-हावाकुला, तहसील-बासगा, जिल्हा-तातार-बस्तर-कोडन विधायक चारु जीक समस्त जमांक 1207, कुल क्षेत्रफल-41.04 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महामदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

खदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एमआईएसी, प्रतीकपत्र के ज्ञापन दिनांक 15/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के चार दिनांक 23/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अधिकांश कर्मों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्खनन सर्वेक्षण प्रति निर्देश दिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई सूचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 13/12/2023

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण के संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
बैठक का विवरण	482वीं बैठक दिनांक 13/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		महेन्द्र सिंह नावडे, समर्थ एवं सचिव कुमार पीसा, सचिव उपस्थित हुये।

पूरुब में जारी ई.सी.	इन खदान को पूरुब में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
घाग पंचायत एम.ओ.सी.	घाग पंचायत हावाबुला दिनांक 07 / 10 / 2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 24 / 08 / 2023	
800 मीटर	दिनांक 30 / 08 / 2023	अधिकतम अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 30 / 08 / 2023	अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित - नहीं
एम.ओ.आई.	एम.ओ.आई. धारक - साजग, घाग पंचायत हावाबुला दिनांक - 25 / 04 / 2023 क्षेत्र अक्षरि - 1 वर्ग	जारी एम.ओ.आई. में "उत्खनन में ग्रीन खनिज मिश्रण साधारण रेत का उपयोग एवं ब्यासाप (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 नियम 7 के तहत रेत खदान उत्खनन हेतु अक्षरि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए किन्तुलिखित शर्तों के पुरि हेतु यह ब्याप पत्र जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
वन विभाग एम.ओ.सी.	वनरक्षणाधिकारी, कॉर्पोरेट वनमंडल, कॉर्पोरेट हाग जारी दिनांक 14 / 03 / 2023	वन क्षेत्र से दूरी - 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	अधारी घाग - साजग 250 मीटर सकुल घाग - साजग 1 कि.मी. असमात घाग - हावाबुला 1.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 3.5 कि.मी. राज्यमार्ग - 20 कि.मी.	
खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 325 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई अधिकतम - 440 मीटर, न्यूनतम 430 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 150 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 25 मीटर है।	नदी तट के किनारे से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़ी गई है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई -	स्थल पर रेत की मोटाई - 4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई - 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-1,00,000 टन/मीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार - स्थल पर किले बंधे गढ़वे (Pits) की संख्या 5, रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर रेत की वास्तविक मोटाई हेतु संयोजना	

	प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलिंग	रिट्रिब्यू - 25 मीटर X 25 मीटर लेवलिंग Levels। दिनांक 28/08/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।	
पूछाछीपन कार्य	नदी तट पर 1,000 मग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 11.48,290
धरो	बी-2	अवैधित खदान को निष्कायन कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. कोर्टोरेट पर्यावरणीय समिति (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के अध्यक्ष विस्तार से कार्य उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48	2%	0.96	Following activities at Village- Haradula	
			Pavitra Naman Van	6.40
			Total	6.40

बीईआर के अंतर्गत "परिवार वन निर्माण" के तहत (बड़, पीपल, नीम, आम, इमली, अरजुन, करंज आदि) कुलार्थन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,015 मग पौधों के लिए राशि 78,125 रुपये, परियोजना के लिए राशि 8,14,880 रुपये, खदान के लिए राशि 10,130 रुपये, मिट्टाई तथा रेत-रेंदाव आदि के लिए राशि 80,300 रुपये, इस प्रकार कुल राशि में कुल राशि 2,48,290 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,02,248 रुपये हेतु परदकयन व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम चंडावत हारादुला के समिति उपरान्त कक्षाधीन स्थान (खसरा क्रमांक 1280/2 क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संक्षेप में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 मग पूछाछीपन हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का प्रस्तोच करते हुए राम चंडावत का समिति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- कार्यालय कोलेक्टर (खनिज संचालन), जिला-राजकोट द्वारा जारी जीएल क्षेत्र का निष्कायन/सीमांकन प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 मग पूछाछीपन हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का प्रस्तोच करते हुए राम चंडावत का समिति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना के दिन-दिन स्वलों से पब्लिशिंग करत जागरण होना, उन स्वलों पर नियमित जल रिक्कात की व्यवस्था किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. खदान क्षेत्र के जल-पान नदी तट एवं पशुधन मार्ग में खदान कुदरतजन किये जाने एवं रोपित पेड़ों का समवायन रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरणद्वारा पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, ताजाब, नदी, झील में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनकी विषय इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विषय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रलम्भन का प्रकरण ललित नहीं है।
9. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India and petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को and petition (C) Civil No.114 (2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विवाद निर्देशों का पालन किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये माईनेशन रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में ललत खनन के दौरान समुद्रीतल से 8 माईनेशन माईकलाईन 2018 एवं ईन्फोर्सेमेंट एन्ड नॉनितिव माईकलाईन काँर सोम्ब 2020 के प्राधानों का पालन किया जाएगा।

परमोक्त बलिष्ठ जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने परमोक्त आपसी कार्यवाही की जाएगी।

तयानुसार एन.ई.ए.सी., पर्यावरणद्वारा की 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023 के परिष्कृत में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 18/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 318वीं बैठक दिनांक 12/03/2024

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अद्यतनीकरण एवं परिष्करण करने पर विम्वर किया गया है।

1. कार्यलय कार्यालय (कनिष्ठ शाखा), जिला-उदयपुर की द्वारा क्रमांक 2020/कनिष्ठ/14/न.क. 07/2020 तारीख दिनांक 14/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार नैत सचयन विनिर्दिष्ट/संश्लेषित वन घोषित किया गया है।
2. नदी तट का किमी जाने वाले 1.000 गां कुलमीटर हेतु घास संयोजन द्वारा कुल के सहमति उपरोक्त प्रमाण पत्र (क्रमांक 1387 एवं संयोजन 5 ईस्टेवट) बाबत सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से अनुविनिर्दिष्ट वन प्रसज्जित होगा वन स्थलों पर निम्नलिखित जल प्रवाह का नैत सचयन किमी जाने बाबत सचयन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. सचयन क्षेत्र के असा-पास नदी तट एवं वन संयोजन में सचयन कुलमीटर किमी जाने एवं घोषित पौधों का सचयन नैत (Sachayana nait) वन से वन 00 प्रतिशत सुनिश्चित किमी जाने बाबत सचयन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. प्रतीतिगत अवधि पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को संयोजन दिने जाने हेतु सचयन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रसायक द्वारा किमी की वन का वृक्षित जल का प्रवाह प्रत्यक्ष जल सचयन, सचयन, नदी, गांव में नहीं किमी जाने एवं इसके संयोजन किमी जाने बाबत सचयन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रसायक द्वारा इस आशय का सचयन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वन के विरुद्ध इस सचयन से संबंधित कोई नैत सचयन प्रसायक देश के अंतर्गत किमी की नैत सचयन में लक्षित नहीं है।
8. परियोजना प्रसायक द्वारा इस आशय का सचयन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध वन सचयन, पर्यावरण, वन जीव जलवायु परिवर्तन संयोजन की अधिनियम का 2004/20, दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रसायन का प्रसायन लक्षित नहीं है।
9. सचयन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India was petition (C) 114 of 2014 में दिने गये निर्देश का प्रसायन किमी जाने बाबत सचयन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. सचयन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की was petition (C) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिने गये निर्देश का प्रसायन किमी जाने बाबत सचयन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रसायक द्वारा इस आशय का सचयन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत गया है कि अनुविनिर्दिष्ट प्रसायन योजना में दिने सचयन नैत का 00 प्रतिशत सचयन ही प्रसायन किमी जाया।
12. परियोजना प्रसायक द्वारा इस आशय का सचयन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सचयन में सचयन का प्रसायन सचयन नैत

माइनिंग माईक्रोलाईन 2018 एवं इन्फोर्सेमेंट एण्ड नॉनिएटिव माईक्रोलाईन कोर सेक्टर 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

13. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माइनिंग क्षेत्र में लीज सतह लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों ओरों तथा सीमा लाईन के साथ में सीमेंट की खानें गहना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट परिभाषा हो सके।
14. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में कुआरीयन कार्य के नॉनिएटिव एवं पर्यावरण हेतु वि-धायी समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि द्वारा पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में कुआरीयन का कार्य पूर्ण किये जाने की अपेक्षा गठित वि-धायी समिति से सत्यापित करवा जाना आवश्यक है।
15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे बड़े भारी यन्त्रों की सहायता से भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति होगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की अधिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालाबों आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। गहराई वाली नदी है तथा इससे वर्षाकाल में सतहनाल 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किये गए अपेक्षाएँ सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्धारित किया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाकू वाली आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जल एवं सूखे जैसी पर प्रभाव तथा नदी के चारों की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।
2. लीज क्षेत्र की सतह का सेवलाईन आटा -
 - a. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसकी आंकड़े तालाब एल.ई.आई.ए.ए. जलसंग्रह को प्रस्तुत किये जावे।
 - b. रेत खनन अपेक्षाकृत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी छिद्र बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अउपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक लम्बा खनन लीज के बाह्य/नदी तट (टोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - c. इसी प्रकार चौक-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - d. रेत सतह के पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून

की आंकड़ों अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं
पोस्ट-मनसून के आंकड़ों दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
तक अधिशेष रूप से एस.ई.आई.ए.ए. अतीसमई की प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार किया गया सार्वजनिक सर्वसम्पत्ति से बेसाल हाथदुला सीप्ट माईनिंग (सिलव, घाम पंचायत हाथदुला) को घाम-हाथदुला, तहसील-घातगा, जिला-रायचूर-बसत-उदोहर, गार्ड ऑफ ससत क्रमांक 1287, कुल लीज क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 मजदीदर प्रतिवर्ष रेत प्राप्त करना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन घटौटे के निष्पादन की तारीख से घांव तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों की अधीन दिए जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई अधिबो द्वारा (Monthly) की जाएगी। रेत रेत (Rethal Sand) में भारी बालों का प्रदेत प्रतिबलित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pit) से अधीन बाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर टोली द्वारा किया जाएगा।
4. सार्वजनिक सीप्ट माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इम्प्लेमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स और सीप्ट माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार गहराई से प्रालन सुनिश्चित किया जाय।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.) अतीसमई की तदनुसार सुचित किया जाय।

7. बेसाल अटर्न क्रिया एवं बेसाल (प्रो- बी अर्जुन भगताणी), घाम-अटर्न, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नवरी क्रमांक 2703)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिबिस केमिनेशन दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त अधिबिस केमिनेशन की तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निरीक्षण प्रक्रिया के जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमति (re-appraisal) हेतु एस.ई.आई.सी. अतीसमई के सक्क ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण के संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाइन आवेदन	ई.सी. - 443065 एवं 17/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (ग्रीन खनिज) खदान	संचालित

	राष्ट्रीय राजमार्ग - 28 कि.मी. राज्यमार्ग - 215 कि.मी.	
परिस्थितिकीय / जैवविविधता संबंधनशील क्षेत्र	8 कि.मी. की परीधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जलवायु, कौन्टीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली पोल्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संबंधनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संस्था एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट मैनुअल रिजर्व - डिपोजीशनल 79,340 टन माईनेबल 76,328 टन निकटरेबल 83,288 टन प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बैंक की ऊंचाई 1 मीटर बैंक की चौड़ाई 1 मीटर संचारित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ प्रयोग हेतु गहराई रेत का प्रतिशत - 50% एक लाख ईट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा - 12 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 7704.8 घनमीटर द्वितीय 7704.8 घनमीटर तृतीय 7704.8 घनमीटर चतुर्थ 7704.8 घनमीटर पंचम 7704.8 घनमीटर षष्ठम 7704.8 घनमीटर सप्तम 7704.8 घनमीटर अष्टम 7704.8 घनमीटर नवम 7704.8 घनमीटर दशम 7704.8 घनमीटर
सीज क्षेत्र के नीचे भग्ना श्वाशित	टी. शेडफल- 2.188 वर्गमीटर मिथुन मिमरी की खुदाय गहराई-35 मीटर	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	सीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी का शेडफल - 1.188 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं।
जल आपूर्ति	पात्र - 8 घनमीटर स्कोल - घास संकलन	घास संकलन का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
कुआरीयन कार्य	सीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर कुआरीयन - 500 मम समीप में कुआरीयन - 300 मम क्षेत्र प्रस्तावित कुआरीयन - 200 मम	200 मम पीसी के 5 वर्षों का घटकवार अवकाश किराना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना के संबंधित स्थल पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्मूथिडिब कस्ट उत्पादीन नियंत्रण, सखन कुआरीयन एवं 80 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि संस्थानों की निश्चित गुआरांटी एवं संरक्षण की प्रत्यक्षता, बी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित सखन के कार्य पूर्ण इतिवदन डिपोजीट फोटीवाक सहित जनकारी अवकाशिक रिपोर्ट में समाहित करने सखा, कनिज मिथुन के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल संयंत्रों के संस्थापन एवं संयंत्र हेतु, भूमि संस्थानों के भूमि से संबंधित समस्त हिस्सों की सखा, भारत सरकार के समस्त नियमों	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न स्थल पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिधान नगरालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिशियल मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जावेगा। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/संधान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण

	के अंतर्गत चलन की जिम्मेदारी, कलाई ऐन के उचित मन्तरान हेतु दिन सेक का निर्माण, विद्यमान दिल्ली किलन को 2 वर्ष के भीतर डिम-डिम चट्टति में प्रतिस्पर्धित किये जाने, लीज सेक के बाहर किसी भी प्रकलन का खनन एवं ईट निर्माण संकली कर्त नही किये जाने अदि बाका शक पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत कियत गया है।	देस के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नही है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.का. 604(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकलन ललित नही है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिसा निर्देशों का बरे द्वारा चलन कियत जायेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिसा निर्देशों का चलन कियत जायेगा।
सेमी	सी-2	आवेदित प्रकलन का सेक्टर 3, 367 इन्डोअर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के ललत विस्तार से बरत उल्लंघन निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कियत गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
20	2%	0.4	Following activities at nearby Village-Aterna	
			Positive Visit	2.00
			Total	2.00

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिवर वन निर्माण" के ललत (अंधला, पीरल, नीर, आम, कर्तुन, सिंगू, जलून अदि) कुलसेवक हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 750 वन पीरों के लिए ललत 37,500 रूपये, पीरल के लिए ललत 15,000 रूपये, लाव के लिए ललत 5,000 रूपये, सिंगू ललत 15-ललत अदि के लिए ललत 20,000 रूपये, इस प्रकार प्रकलन वर्ष में कुल ललत 1,37,500 रूपये ललत अलानी 4 वर्ष में कुल ललत 68,000 रूपये हेतु घटकवार ललत का विवरण प्रस्तुत कियत गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन पंचायत अलत के ललत उल्लंघन ललतसेवक

स्थान [सतत क्रमांक 74 क्षेत्रफल 0.864 हेक्टेयर में से 0.3 हेक्टेयर] के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मनिघरी नदी से प्रतिबंधित दूरी छोड़ने के कारण सार्वजनिक डिपॉजिटिजेशन प्लान में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार 2,451 वर्गमीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिससे कुल क्षेत्र का लगभग 4,002 वर्गमीटर सम्भार प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाता है। राज्य सरकार के अनुसार इस प्लान से उपखनन किया जा चुका है, अतः उपखनन योजना में दर्शाये गये कुल सम्भार की गणना का प्रभाव नहीं जाता है, क्योंकि चलायित किये गये इस भू-भाग को पुनर्भरण कर सतत पुनर्भरण सौध प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी, जिला-जिलासपुर को संबंधित सार्वजनिक डिपॉजिटिजेशन प्लान हेतु दिनांक 20/12/2023 को आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के संकेत में समिति का मत है कि पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुसार मनिघरी नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर गैर माइनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये सार्वजनिक प्लान (Surface plan) एवं माइनिंग प्लान को संबंधित जन खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही मनिघरी नदी की वास्तविक दूरी के संकेत में खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सीमा क्षेत्र के 1 मीटर की घाटी और किये जाने वाले रीम 200 मग चौड़ी के 5 वर्षों का घटकवार खसरा विवरण प्रस्तुत किया जाए।
2. मनिघरी नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर गैर माइनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये सार्वजनिक प्लान (Surface plan) एवं माइनिंग प्लान को संबंधित जन खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. मनिघरी नदी की वास्तविक दूरी के संकेत में खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त सविष्ट जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कलेंडर की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. प्रतीक्षण की 503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023 के परिचय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/02/2024 एवं दिनांक 19/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 513वीं बैठक दिनांक 12/02/2024:

समिति द्वारा नवी. प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. सीमा क्षेत्र की सीमा में घाटी और 1 मीटर की घाटी में 200 मग कुसारेयन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौष्टी के लिए रशि 15,200 रुपये, खेसिंग के लिए रशि 2,89,000 रुपये, खाद के लिए रशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रक्षा-रक्षण के लिए रशि 1,15,000 रुपये, इस प्रकार कुल रशि में कुल रशि 4,34,200 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल रशि 4,34,800 रुपये हेतु घटकवार खसरा का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्योन्मुख कारोवटर (खनिज साधन), जिला-बिलासपुर के ज्ञान क्रमांक 3436/खनि/मिट्टी र.प. /2024 बिलासपुर, दिनांक 18/02/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार संबंधित सखेस प्लान में पर्यावरण निम्नानुसार नदी से प्रतिबंधित दूरी 100-103 मीटर की प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने उपरंत रिजर्व, उत्पादन समता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही संबंधित सखेस जिपोजीग्रिकल प्लान एवं संवालय (ख.प्रसा.), जिला-बिलासपुर से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया गया है।
3. मनिघारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में कार्योन्मुख कारोवटर (खनिज साधन), जिला-बिलासपुर के ज्ञान क्रमांक 3436/खनि/मिट्टी र.प. /2024 बिलासपुर, दिनांक 18/02/2024 द्वारा जारी पत्र की प्रति को ही प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि मनिघारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सी.ई.आर. एवं पूंछारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-ज्तीय समिति (ओभरसईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) मणित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं पूंछारोपण का कार्य पूर्ण होने जाने के उपरंत मणित कि-ज्तीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. वननीय एन.जी.टी., विलियम बेच, नई दिल्ली द्वारा सखेस परांक्षेय विस्मय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिएजनाल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पणित आदेश में पुनः रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. मनिघारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर एस.ई.आर.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की तारी के अधीन पर्यावरणीय सुविधुति की मागत अनुमता की जाती है।
2. मेसर्स क्लार्क मिंस अर्ध कपरी (प्री- की कर्तुन कालनी) की ग्राम-कटरी, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर के तारा क्रमांक 20, 21, 28, 30/1-2, 31, 34, 35/1, 36/1, 38/2, 37/1-2, 38, 39/1, 40/1, 41/1-2, 41 में निचा मिट्टी उत्पादन (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-5.887 हेक्टर, समता-1704 मनीटर प्रतिवर्ष हेतु परिसिध-08 में पणित कर्ती के अधीन पर्यावरणीय सुविधुति दिए जाने की अनुमता की गई।

राज्य सारीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकल्प (एस.ई.आर.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सुधित किया जाय।

8. मेरठ चारदीवारा जिला एवं जमीनी (डी- सी गोविंद भगवानी), ग्राम-चारदीव, तहसील-किन्हा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2704)

समस्त सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस केनोटेन्सम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रस्ताव है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 12.09.2016 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस केनोटेन्सम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला सार्वजनिक पर्यावरण समयागत निरीक्षण प्रक्रियकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमोदन (re-appraisal) हेतु एल.ई.ए.सी., बिलासपुर के समस्त ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय संक्षेप	आवेदित प्रकल्प से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 448877 एवं 17/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (सील खनिज) खदान	संघर्षित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.692 हेक्टेयर एवं 3.887.2 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	1293, 1302, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2	
पू-स्थिति	निजी भूमि खसरा क्रमांक 1302 बीमारी जंगल, खसरा क्रमांक 1293, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2 की गोविंद भगवानी (आवेदक) के नाम पर है।	सहमति प्राप्त प्राप्त
कैचक का विवरण	803वीं कैचक दिनांक 28/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 18/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		डी गोविंद भगवानी, प्रोमोटाईंग उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - मिट्टी (सील खनिज) खदान खसरा क्रमांक - 1293, 1302, 1315, 1316, 1317, 1320/2 क्षेत्रफल - 1.692 हेक्टेयर क्षमता - 3.887.2 घनमीटर/वर्ष दिनांक - 02/02/2017	डी.ई.आई.ए.सी. जिला-बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27/04/2026 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	नव-प्रस्तावित - हाँ	निर्धारित सार्वजनिक 200 मग वृत्तावेधन किया गया है।
विवाद वर्षों में निर्दिष्ट गये उत्खनन	दिनांक - 05/10/2023 वर्ष 2018-2019 में 9,98,000 मग	

	वर्ष 2018-2020 में 8,14,000 मग वर्ष 2020-2021 में 8,83,000 मग वर्ष 2021-2022 में 11,82,000 मग वर्ष 2022-2023 में 14,17,000 मग	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पालीव दिनांक 20/12/2023	
प्राथमिक योजना अनुमोदन	दिनांक 28/10/2016	
600 मीटर	दिनांक 08/10/2023	खदानों की संख्या निर्धारित है।
200 मीटर	दिनांक 08/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीथ	लीज प्रावक - श्री गोविंद भगताजी आदि-28/04/2006 से 27/04/2006	पूर्व में लीज प्रावक - श्री कीलन कुमर मिश्राजी
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलधिकारी बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 10/11/2023	वन क्षेत्र से दूरी - 21.38 कि.मी.
सहायक संपन्नता की दूरी	आसपास ग्राम पालीव-2 कि.मी. शास. प्रमुख शास. विद्यालय-1.5 कि.मी. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धरदोही-12 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग-34 कि.मी. राज्यमार्ग - 25 कि.मी.	जे.एन.एल. से देखने पर 80 मीटर से 88 मीटर की दूरी पर अवकाश नहीं प्रदानित हो रही है।
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	6 कि.मी. की परिधि में अंतरजैविक सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जैविकता पॉइन्ट्स एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खान संस्था एवं खान का विवरण	प्राथमिक विधि - जीवन कस्ट मैनुअल रिजर्व - जियोटेक्निकल 33,880 घनमीटर मार्बल 30,204 घनमीटर स्क्वैरेंडल 27,183 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर रेक की चौड़ाई 1 मीटर रेक की चौड़ाई 1 मीटर समाहित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु कलाई रेत का प्रतिशत - 60 प्रतिशत	वर्षावन प्रस्तावित प्राथमिक आम 3,887.2 घनमीटर द्वितीय 3,887.2 घनमीटर तृतीय 3,887.2 घनमीटर चतुर्थ 3,887.2 घनमीटर पंचम 3,887.2 घनमीटर षष्ठम 3,887.2 घनमीटर सप्तम 3,887.2 घनमीटर अष्टम 3,887.2 घनमीटर नवम 3,887.2 घनमीटर दशम 3,887.2 घनमीटर
लीज क्षेत्र के भीतर वास्तु स्थापित	नहीं	
प्राथमिक से लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा परती का क्षेत्रफल - 800 वर्गमीटर	अवस्थिति - नहीं
जल आवृत्ति	स्रोत - 8 घनमीटर स्रोत - ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत का अनामतित अनाम मग प्रस्तुत किया गया है।

कूआरोपन कार्य	जीज बेंच के 1 सदस्य के कार्य और कूआरोपन - 240 नग वर्तमान कूआरोपन - 200 नग सैन्य प्रस्तावित कूआरोपन - 40 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 6 वर्ष की सीमा - 1.11.2020 तक
परियोजना से संबंधित संपन्न पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा वास्तुनिर्देशक बल्ट जमावर्जन निवेदन, संपन्न कूआरोपन एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामिनी को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्रत्याशिता, सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित संपन्न से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन डिजिटल फोटोग्राफ सहित जानकारी आवधिक रिपोर्ट में सम्मिलित करने कावत्, कनिष्ठ नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल संकेतों के संरक्षण एवं संरक्षण हेतु, भूमि स्वामिनी के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा भारत सरकार के समस्त विषयों के अंतर्गत चलन की जिम्मेदारी, पलाई एन के उचित भण्डारण हेतु दिन रोज का निर्माण, विद्यमान विनयी किलन को 2 वर्ष के भीतर जिन-जिन पद्धति में प्रतिस्पर्धित किये जाने, जीज बेंच के बाहर किसी भी प्रकार का खनन एवं ड्रेट निर्माण संबंधी कार्य नहीं किये जाने आदि कावत् संपन्न पत्र (Notarized Undertaking) प्राप्त किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न संपन्न पत्र (Notarized Undertaking) प्राप्त किये गये हैं:- 1. हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26/04/2023 को जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम में विद्ये गये निर्देशों का विन्दुबद्ध पालन किया जायेगा। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का धरे द्वारा पालन किया जायेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में विद्ये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।
श्रेणी	बी-2	आवधिक खदान का क्षेत्रफल 1.692 हेक्टेयर है।

1. ऑपरेटिव पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा कनिष्ठ के
सम्मान विस्तार से चर्चा अंतर्गत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)
---	---	---	--

10/11/2023

10/11/2023

		(In Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10	2%	0.3	Following activities at Government higher secondary School Village-Pasid	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Portable Drinking Water Facility	0.30
			Running Water Facility for Toilet	0.15
			Plantation in School/Community Health Centre	0.15
			Total	1.0

2. सीईआर के तहत प्रस्तावित का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रिंसिपल (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. खनि निरीक्षक, जिला-बिलासपुर द्वारा उप संचालक (ख.प्रसा.) जिला-बिलासपुर को प्रेषित जीव प्रतिवेदन दिनांक 19/12/2023 अनुसार "अवैधित सीज क्षेत्र के उत्तर-पूर्व दिशा में अवैधित अरवा नदी से 100 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित किया जाकर खनन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसमें एलबनिस्टटागरी के द्वारा सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, और क्षेत्र में कोई वाहनन कार्य नहीं किया गया है। अब उपरोक्तानुसार अवैधित क्षेत्र में किया भुनि खनन क्रमांक 1293, 1302, 1318, 1319, 1317 एवं 1320/2, कुल रकबा 1.802 हेक्टेयर में से विनियमित खनन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित क्षेत्र को छोड़कर सीज खनन क्रमांक 1302, 1318, 1319, 1317 एवं 1320/2 कुल रकबा 1.548 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कार्य किया जाना प्रस्तावित है।" का उल्लेख है।

उपरोक्त के संका में समिति का मत है कि सर्वेक्षणों के अनुसार अरवा नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर रैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुए सर्वेक्षण प्लान (Surface plan) एवं माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही अरवा नदी की वास्तविक दूरी के संका में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस संबंध प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कक्षा जागजादी/एलबनिज प्राप्त करने हेतु खनिज विभाग से आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. अरवा नदी की वास्तविक दूरी के संका में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. अरवा नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर रैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुए सर्वेक्षण प्लान (Surface plan) एवं माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तक अग्रणी कार्यवाही की जायेगी।

अनुसार एन.ई.ए.सी., फरीदाबाद के 803वीं बैठक दिनांक 20/12/2023 के परिशिष्ट में परिशोधन दस्तावेज द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/02/2024 एवं दिनांक 18/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की 819वीं बैठक दिनांक 12/03/2024

समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई—

1. अराव नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3438/खनि/मिट्टी प.पौ./2024 बिलासपुर दिनांक 18/02/2024 द्वारा जारी ज्ञापन पर की ही प्रस्तुत किया गया है। अतः समिति का मत है कि अराव नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित करके प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3438/खनि/मिट्टी प.पौ./2024 बिलासपुर दिनांक 18/02/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार संशोधित सर्वेक्षण प्लान में सर्वेक्षण विधमानुसार नदी से प्रतिबंधित दूरी 100-103 मीटर को प्रतिबंधित क्षेत्र ध्वजित करने उपरंत रिजर्व, उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही संशोधित सर्वेक्षण जिओलॉजिकल प्लान एवं संभावक (स.प्रसा.), जिला-बिलासपुर से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. एवं क्लारिफिकेशन कार्य के भीमिडिनि एवं फरविकल हेतु डि-जॉय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम मंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या फरीदाबाद पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं क्लारिफिकेशन का कार्य पूर्ण किया जाने के उपरंत गठित डि-जॉय समिति से संचालित कराया जाना आवश्यक है।
4. कानूनी एन.पी.टी., डिफिजल वेव नई दिल्ली द्वारा सत्यद कांटेक्ट विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एडिशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 12/09/2018 को जारी आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25-ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over 5 is not provided.

b) If a cluster or an individual lease area exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वेक्षण विधि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. अराव नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित करके एन.ई.आई.ए.सी., फरीदाबाद से आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की तारी के अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की तारी अनुसंधान की जाती है।

2. मेसर्स पासीद डिम्बा जर्ब ज्योरी (जे.-बी रोविंद भगवानी) को ग्राम-पासीद, तहसील-बिन्हा, जिला-बिजनपुर के खसरा क्रमांक 1293, 1302, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2 में स्थित मिट्टी कलखन (जीन खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल-1.662 हेक्टेयर, समता-3.667.2 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिसिद्ध-टा में वर्णित खानों के जमीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

ग्राम स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियामय (एस.ई.आई.ए.ए.), परीक्षणद को तदनुसार सुधारा किया जात।

8. मेसर्स मुझपार लाईम स्टोन माईन (जे.-बी कमलेश देवांगन), ग्राम-मुझपार, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सबिनास्य का खसी क्रमांक 1771)

ऑनसाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 66874/2021, दिनांक 28/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416380/ 2023, दिनांक 17/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए माईनल ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

अवकाश का विवरण - यह प्रस्तावित घुना खाना (जीन खनिज) खदान है। ग्राम-मुझपार, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 31/1(पाटी), 31/2(पाटी), 33, 34, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/2(पाटी), 65/1(पाटी), 65/2(पाटी) एवं 66/2(पाटी), कुल क्षेत्रफल-1.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित आकलन समता-23,004.26 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी, परीक्षणद को प्राप्त दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कंटेनरी का होने के कारण भासा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी, 2015 में प्रकाशित सौंपवाई रनर्स ऑफ रिकरेंस (टी.ओ.आर) और ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिकामरनेट इन्फामरमेंट कमीटीज अपर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेमी 1(1) का सौंपवाई टी.ओ.आर (जीन कुलवाई सस्टि) जारी किया गया है।

तदनुसार परीक्षणद प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, परीक्षणद को प्राप्त दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधारा किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु बी कमलेश देवांगन, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एमड एम सौंपुखन, मोपडा, जालखदेक की ओर से सुधी घुना मंत्रालय प्रकाशित हुए। समिति द्वारा मल्ली, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनारती प्रमाण पत्र - परखनन की संबंध में ग्राम पंचायत मुझपार का दिनांक 23/03/2021 का अनारती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **कायान्वय योजना** – जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 887/खनि. अनु-01/2021 दुर्ग, दिनांक 02/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यलय कलेक्टर (खनिज सखार), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 776/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 27 खदानें, क्षेत्रफल 48.428 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विभागीय खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (प्राप्त संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक सीमा के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजीनिटीयस मिश्रण क्षेत्र में विद्यमान खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के सीमा सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण** – कार्यलय कलेक्टर (खनिज सखार), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सैनिक काल, मंदिर, मस्जिद, मस्जद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनोकर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जन आपूर्ति आदि प्रतिष्ठित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **यूनि एवं एल.ओ.आई. संरक्षित विवरण** – यूनि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सखार), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 821/खनिज/प.प./2021 दुर्ग, दिनांक 08/07/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कक्षा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनलय, भीमबरी तथा खनिकर्मी, नवा दम्पुर अटल नगर के पु. द्वारा क्रमांक 8106/खनि 02/प.प.-अनुमिषा./प.अ.अ/2017(4) नवा दम्पुर, दिनांक 30/08/2023 द्वारा एल.ओ.आई. की कक्षा वृद्धि बाधक पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार "अन्तीमपत्र सीमा खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 28.06.2020 (प्रकाशन दिनांक 30.06.2020) के नियम 42 के उप-नियम (b) परन्तु के तहत संचालक को प्रदात अधिकार का प्रयोग करती हुए प्रकरण में पर्यावरण लीक्युति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् वातावरणलाई लीक्युति आदिह जारी करने हेतु अतिरिक्त समयवधि प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **कम विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** – कार्यलय वनमन्त्रालयकारी, दुर्ग वनमन्त्राल, जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक /तक.अभि./2020/4937 दुर्ग, दिनांक 14/12/2020 को जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी. की दूरी पर है।

9. महावपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाट-मुहाना 320 मीटर, कुल घाट-मुहाना 320 मीटर, जलमाला घाट-सिलुड 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.5 कि.मी. एवं राजधानी 1.5 कि.मी. दूर है। जिवनाथ नदी 20 कि.मी. एवं ताताब 5.15 मीटर दूर है।
10. वास्तुस्थितिकीय/जैवस्थितिकीय सर्वेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जलवायव्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट पोल्सुटेड एरिया, वास्तुस्थितिकीय सर्वेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवस्थितिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिपसोलैजिकल रिजर्व 8,20,000 टन, माईनिंग रिजर्व 3,51,883 टन एवं विकसित रिजर्व 3,18,487 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5.382 वर्गमीटर है। खनन कार्ट लेवी पैकेजबद्ध विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में कच्ची मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,151 घनमीटर है। बेंब की कंधाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कच्चा संचालित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक डैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल मॉनिटरिंग किया जाएगा। खदान में आयु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विश्लेषण जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,001.25
द्वितीय	25,001.25
तृतीय	25,001.25
चतुर्थ	25,001.25
पंचम	25,001.25

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के निकट स्थित मेहरास निम्न स्टीन क्वार के संभावित खदान सैवज कंटर के माध्यम से की जाएगी। इस क्वार मेहरास निम्न स्टीन क्वार का अपघटित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पीने योग्य पानी (1.35 घनमीटर प्रतिदिन) के संकट में संभवित मात्रा का अपघटित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,348 वन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। कुल 1,348 वन पौधों के लिए रकम 1,002,448 रुपये, खार के लिए रकम 10,150 रुपये, वन जलक वॉशिंग के लिए रकम 2,87,800 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव व्यय के लिए रकम 8,08,000 रुपये, इस प्रकार प्रमाण पत्र में रकम 5,385,000 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल रकम 8,79,000 हेतु पटकथान व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. गैर माईनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र में 232 वर्गमीटर क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होने के कारण एवं चौड़ाई कम होने के कारण 4,834 वर्गमीटर क्षेत्र की 13.5 मीटर गहराई के बरखा गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. δ and η finite and $\delta \neq \eta$ —

1. जल एवं वायु आदि मूलकला संबंधी जानकारी - मॉडलिंग कार्य आवृत्त 2021 से दिसंबर 2021 के लक्ष्य विभाज्य भाग है। 10 विस्तारित के अंतर्गत 8 स्थलों पर परिवर्तनीय वायु मूलकला भाग, 8 स्थलों पर सु-जल मूलकला भाग, 8 स्थलों पर आदि सार भाग, 2 स्थलों पर सहायी जल मूलकला भाग 8 स्थलों पर मिट्टी के नमूने वृद्धित कर विस्तारित किया गया है।

- ॥ नॉमिटरिंग परिणामी नो अनुसार पीएम, एलजी, एलजी, का मानक लेवल-

Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
$\text{PM}_{2.5}$	26.26	43.58	60
PM_{10}	47.2	66.50	100
SO_2	9.08	14.63	80
NO_x	11.33	20.24	80

3. परियोजना स्थल से आसपास जल स्रोतों की सुलभता- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of Environmental में दर्शाये गये टैबल अनुसार कसीरइमरा, पलीराईट, चाइटेडर, सल्फर कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, क्रोमियम एवं अन्य सांघनिक तत्वों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

- by ~~offending with~~ ~~etc~~

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	49.54	61.23	75
Night L_{eq}	40.07	52.41	70

एक ही संख्या को दो विभिन्न मानों में बाँटने से क्या होता है ?

- घ. पीसीयू की गणना— सभी वाहनों/मशीनरियां हेवी वाहनों की समतुल्य बनते हुए ट्रेडिंक आवकाने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वर्तमान में 830 पीसीयू प्रतिघंटा एवं बी/सी अनुपात (B/C ratio) 0.13 है। प्रस्तावित परिवर्धन उपर्युक्त 42 पीसीयू की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 872 पीसीयू प्रतिघंटा एवं बी/सी अनुपात (B/C ratio) 0.14 होगी। जिसका केंद्र उपर्युक्त बी सी—मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लंबाई औरिन क्रमता निर्धारित मानक (Exceeds 0-0.2) को भीतर है।

17. कलकट्टा हेतु कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट फंड — परिषदीय प्रस्तावक द्वारा कहा जा रहा कि आवेदित खर्च को शामिल करने हेतु बजट में कुल 28 खर्चों को शामिल किया है। यह कलकट्टा में शामिल खर्चों द्वारा कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट फंड प्रस्तुत किया गया है। कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट फंड की तालिका निम्न कार्य प्रस्तुत है:-

विषय		प्रमाण (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पट्टीय मार्ग 10 कि.मी. के दोन्ही	कुलार्थक (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु	5,00,000	50,016	50,016	50,016	50,016

वर्ष (२०२२ तक)	वर्ष					
पूजायोग हेतु	पेंसिंग हेतु रशि	61,33,600	—	—	—	—
	खाद हेतु रशि	50,010	5,010	5,010	5,010	5,010
	सिंचाई एवं पत्र-पत्राव हेतु रशि	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000
	कुल रशि =	1,77,12,606	88,50,302	22,15,620	22,15,620	22,15,620

कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचालन प्रस्तावक की सहायिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पट्टी वाली 344 (229 पूजायोग हेतु)	पूजायोग (60 प्रतिशत जीवन दर) हेतु रशि	17,404	1,748	1,748	1,748	1,748
	पेंसिंग हेतु रशि	2,13,300	—	—	—	—
	खाद हेतु रशि	1,710	180	180	180	180
	सिंचाई एवं पत्र- पत्राव हेतु रशि	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167
कुल रशि =		8,10,881	88,095	76,095	76,095	76,095

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.डी.डी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कलक्टर हेतु कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन की पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहायिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा सड़वाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, सीनिकी तथा खनिक, इंदरावती मण्डल, नया रायपुर जिला नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को तत्पर से अनुमति कार्यवाही किया जाना सुचित होगा।

19. कीर्षित पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिचालन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत बजट प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(In Lakh Rupees)
Sl	Part	1.12	Following activities at Village- Mahabale	
			Paatra Van Nirman	14.14
			Total	14.14

20. सीईआर के अंतर्गत "रॉडिंग वन मिशन" के तहत (नीम, आम, कर्कज, कदंब, आमुन, अंबला, अमलजश, बरगद, पीपल आदि) कृषादेयक हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 80 नम चौकी के लिए राशि 38,458 रुपये, रॉडिंग के लिए राशि 3,13,000 रुपये, सिंचाई व खाद के लिए राशि 3,810 रुपये तथा सड़-रखाव आदि के लिए राशि 2,08,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,63,768 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,50,760 रुपये हेतु छटाकार प्राय का निरूपण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पीछायत महकमला के सहर्षी उपरांत चम्पदेन्द्र स्नाम (खसरा क्रमांक 196, क्षेत्रफल 2.2 हेक्टेयर में से 0.5 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
21. कचरी मिट्टी के सड़-रखाव हेतु कचरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाया आवश्यक है।
22. स्कूल लाईमिंग के दौरान स्थापित न किये जाने बाबत संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
23. मधुजिदिव बस्त उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल सिंचकन किये जाने बाबत संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
24. सीज रोड की चौक के 7.5 मीटर की गड्ढी में निर्मित सीज को छटाकार कृषादेयक किये जाने बाबत संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
25. कलस्टन हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में इंगित करती हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही कलस्टन में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
26. कलस्टन में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्वाक एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
27. छातीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर पर रोजगार में प्राप्तिमता दिये जाने हेतु संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राणीयों के संध दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. कंट्रोल लाइसेंसिंग का कार्य लिक्विटक लाईसेंस प्रायक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. कॉमन इन्फ्रामरीटल कोऑर्पेट सभन के तहत छप की गई सति का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की गहराई में बेसिंग करार कर वृक्षारोपण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. जारी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, मिश्रण न करने एवं अन्य कार्य न करने किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग कुचरावर में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. सीईआर के तहत छप की गई सति का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में बेसिंग करार कर वृक्षारोपण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. मरुमिग लीज क्षेत्र के अंदर सभन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का संतर्पण रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विमरलस कॉन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउन्ड्री गारंटी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान के संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प वेस के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.अ. 80(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकल्प का प्रकल्प लंबित नहीं है।
39. लोक सुनवाई दिनांक 18/08/2022 दोपहर 12.00 बजे शाम-बधावत मुकदमा, वाम-मुकदमा, लखौल-घाटन, जिला-बुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावक सदस्य लखौल, लखौलगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया लखौल अटल नगर, जिला-सपपुर के पत्र दिनांक 11/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
40. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
 1. इसी वसतिग के दौरान सभन घनों व स्कूलों तक जा जारी है। दिन में एक बार वसतिग होता है, जिससे मुख्य जैसी स्थिति बनी लगी है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों तथा गांव वसिधों के महिलाओं का सामना करना पड़ रहा है।
 2. लगातार बढ़ती खदानों से गांव का जलवायु अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य

किया जाए। खदान से निकालने वाले घुल से किसानों की फसलों, मनुष्यों एवं जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

- क. वायुमल धान बसिंधी में खदान खोलने का विरोध किया है। इसी बसिंधी की वजह से धान बसिंधी के घरी में दूध-घुट हुआ है उसको निरीक्षण करने के उनके मुकसान का उचित मुआवजा दिया जाये।
- ख. मेरी जमीन खदान से लगी हुई है। मैं अपनी जमीन खदान वाली को बेच रहा हूँ क्योंकि खदान वाले मुझे अपनी जमीन में जाने के लिए मसारा नहीं देते हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रसाधक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कॉन्सल्टेंट का कम्बन मिन्नानुसार है:-

1. अनुमती कॉन्ट्रैक्टर की निगदानी में ही कॉन्ट्रोल बसिंधी किया जायना, बसिंधी निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। बसिंधी के पूर्व हुए बजाकर लोगों को सूचना दी जायनी, जिससे ग्रामीनों को कम मुकसान या परेशानी होगी।
 2. घुल कासर्जन को रोकने के लिए जल सिंचकाय किया जायना। खदान के वाली ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे कुआरक्षण किया जायना, जिससे घुल का कासर्जन कम हो जायना।
 3. हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम सभी निघनों का मुआयल कम से घालन करेगे जिससे आपको परेशानी नहीं होगी।
 4. हमने जो जमीन खदीदी है, उसने हम बसिंधी कराएंगे। उसके बाहरी किनारे से आग जा सकती है।
41. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रतीनगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, मिलाई तथा अधिकृत जिला दण्डविधायी, जिला-दुर्ग द्वारा अनुमोदित किये गये लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोग सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्ति (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार घुल कासर्जन) द्वारा 333 व्यक्ति द्वारा जायति, सुझाव, विचार एवं टिका-टिप्पनिया प्रस्तुत हुई, जिसमें लगभग सभी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है। समिति का मत है कि जन सुनवाई में उपस्थिति लगभग सभी व्यक्ति द्वारा विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान की अनुमति किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिणाम में आदेशित प्रकरण को डि-लिस्ट / निरस्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श एवमात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु किये गये जन सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोक सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्ति (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार घुल कासर्जन) द्वारा 333 व्यक्ति द्वारा जायति, सुझाव, विचार एवं टिका-टिप्पनिया प्रस्तुत हुई, जिसमें लगभग सभी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान की अनुमति किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिणाम में आदेशित प्रकरण को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुमति की गई। समिति का मत है कि इस निर्णय को कॉन्सल्टर, जिला-दुर्ग एवं प्रतीनगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को अवगत कराया जाय।

अधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर अधिकरण की दिनांक 07/08/2023 को संलग्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकरण द्वारा नसी/दस्तावेज का अंशलीकन किया गया। अधिकरण द्वारा नोट किया गया कि

आर्षेदित खदान एक नवीन खदान है। लोक सुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों से ज्ञात होता है कि कलक्टर में शामिल अन्य संघातित खदानों में से किन्हीं खदानों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन संभव नहीं किया जा रहा होगा। उक्त के संख्य में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों के संख्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय एवं तकनीकी दृष्टिकोण से निराकरण किये जाने हेतु बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं?
2. आर्षेदित खदान एवं कलक्टर में शामिल अन्य खदानों का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु पूर्व में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 29/03/2022 के सदस्य श्री एन.के. बंदाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं श्री. मोहम्मद रहीम खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई-दुर्ग को सम्मिलित कराते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति निरीक्षण का कार्य करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त सभी के परिषेध में परीक्षण उपरान्त उपयुक्त अनुसंधान किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 28/08/2023:

समिति द्वारा वसती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों के संख्य में पर्यावरणीय एवं तकनीकी दृष्टिकोण से निराकरण किये जाने हेतु बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के आग्रज क्रमांक 1152, दिनांक 28/07/2023 द्वारा श्री एन.के. बंदाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं श्री. मोहम्मद रहीम खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई-दुर्ग को निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया। प्रका के परिषेध में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई-दुर्ग द्वारा दिनांक 28/01/2024 को जानकारी/वस्तुवेत तथा उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27/02/2024 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 512वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा वसती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई-दुर्ग के आग्रज क्रमांक 3559, दिनांक 24/01/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार लोक सुनवाई के संख्य में कार्यालय दाम पंचायत-मुकुण्ड, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग से लक्षा खदान के संख्य में समस्त जानकारी से सम्बन्धित पत्र आया हुआ है, जिसकी मुद्रा प्रति प्रस्तुत किया गया है।

2. निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित ऊपर निम्नानुसार है:-

बैसाई मुहम्मद लाईन स्टेशन लघु (बी कन्स्ट्रक्शन् डेवलपर्स) द्वारा आवेदित घास-मुहम्मद, लखौल-वाहन, जिला-दुर्ग (विस्थापन संसद क्रमांक - 31/1पार्ट, 32/2पार्ट, 33, 34, 60, 61/1, 62/2, 63/2पार्ट, 65/1पार्ट, 66/2पार्ट, 66/3पार्ट) कुल क्षेत्रफल 1.84 हेक्टेयर प्रस्तावित घुना घास (बीम खनिज) उत्खनन समता-25,001.25 टन प्रतिवर्ष से पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचारणीय प्रस्ताव का राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति खरीनसद के पास डॉ. 1321/एच.ई.ए.सी., एन. दुर्ग/1371 नया रावपुर जटल नगर, दिनांक 28/08/2023 के माध्यम से सहित तीन सदस्यीय समिति डॉ. मोहम्मद लकीक खान, बी.एन. के. चन्दाकर सदस्य, राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी काफ़ीजद 13.7 पर्यावरण संरक्षण मंडल, गिलाई-दुर्ग के द्वारा दिनांक 14/10/2023 को स्थल निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय खनिज निरीक्षक, बी.मता बजादे, परियोजना प्रस्तावक बी कन्स्ट्रक्शन् डेवलपर्स, विस्थापन डेवलपर्स एवं कुल दायीय उपस्थित थे, मौके पर संघर्षता किया गया।

(क) परियोजना से संबंधित सहित जानकारी निम्नानुसार है:-

- प्रस्तावित घुना घास खदान घास-मुहम्मद
- संसद नं.- 31/1पार्ट, 32/2पार्ट, 33, 34, 60, 61/1, 62/2, 63/2पार्ट, 65/1पार्ट, 66/2पार्ट, 66/3पार्ट
- एका- 1.84 हेक्टेयर
- भूमि का प्रकार- गिरी
- प्रस्तावित उत्खनन समता 25,001.25 टन प्रतिवर्ष

(ख) एच.ई.ए.सी. द्वारा 28/08/2023 को क्लस्टर में होने के कारण TOR दिया गया

- कंटेनरी- बी-1 नवीन प्रस्तावित
- क्लस्टर में कुल स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों की संख्या कुल 28 एवं लम्बा 48, 428 हेक्टेयर कुल खदान
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित उत्खनन पीजन, 200 एवं 500 मीटर की जानकारी एवं हाल पंचायत, एन विभाग का NOC प्रस्तुत किया है

प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र से हाल आवासीय एवं स्कूल की दूरी- 320 मीटर

(ग) परियोजना प्रस्तावक बी कन्स्ट्रक्शन् डेवलपर्स ने क्लस्टर में होने के कारण ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया है विवरण निम्नानुसार है:-

Concentration level (mg/m ³) of criteria pollutants			
Criteria pollutants	Minimum (mg/m ³)	Maximum (mg/m ³)	CPCB Standard (mg/m ³)
PM 2.5	26.28	43.68	60
PM 10	47.2	66.60	100
SO ₂	9.08	14.83	80
NO ₂	11.33	20.24	80

बी जानकारी प्रस्तुत किया गया है जो सी.पी.बी. के द्वारा निर्धारित Limit एवं पी.पी.पी. पी निर्धारित सीमा के अंदर है साथ ही साथ 10 कि.मी. के अंदर क्षेत्र का Score

Factum का मत अवधान रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसमें Schedule-1 जीव-जन्तु एवं वनस्पति नहीं है।

उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त भारत सरकार, जलवायु एवं वन मंत्रालय के द्वारा निर्धारित शर्तें एवं पर्यावरण सौकर्य में दिए जाने वाले निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु राज्य पर भी प्रस्तुत किया गया है। एक परियोजना के संबंधित भारत के किसी भी मंत्रालय में कोई भी अवधान उचित नहीं है।

(द) लोक सुनवाई दिनांक 16/02/2023 को अतिरिक्त जिला सम्पदाधिकारी जिला दुर्ग की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग-जिलाई की उपस्थिति में हुई। जनसुनवाई में 51 लिखित एवं 331 मौखिक लोगों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों/विषयों पर चर्चा की-

1. डीपी स्टाडिंटिंग के दौरान पथर गटों व कटौती तक जा जाती है। जिन में घर का स्टाडिंटिंग होता है, जिससे मुख्य जमीन बिगड़ी बची रहती है, जिससे बहुत से पड़ने वाले छावनी तथा ग्राम बागियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
2. लगातार बढ़ती खदानों से गांव का वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए कृत्रिम रूप से कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों की फसलें, मनुष्यों एवं जीव-जन्तुओं को स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।
3. समस्त ग्राम बागियों ने खदान खोलने का विरोध किया है। डीपी स्टाडिंटिंग की वजह से जिन ग्राम बागियों के पत्ते में टूट-फूट हुआ है उनकी निरीक्षण करके उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए।
4. नयी जमीन खदान से लगी हुई है। ये अपनी जमीन खदान वालों को बेच रहा है क्योंकि खदान वाले मुझे अपनी जमीन में जाने के रास्ता नहीं देते हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिशीलना प्रयासक की ओर से उचित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का क्वान निम्नानुसार है:-

1. अनुमति कन्ट्रोलर की नियुक्ति में ही कटौत स्टाडिंटिंग किया जाएगा। स्टाडिंटिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। स्टाडिंटिंग के पूर्व हटान बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे बागियों को कम नुकसान या परेशानी होगी।
2. धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए निर्धारित जल सिंचन किया जाएगा। खदान से बाईं ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे बुझाव किया जाएगा, जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।
3. हम आपकी आवश्यकता करते हैं कि हम सभी नियमों का सुचारु रूप से पालन करेंगे जिससे आपकी परेशानी नहीं होगी।
4. हमने जो जमीन खरीदी है उसमें हम बेसिंग करएंगे। उसकी बाइंडे किनारे से आय जा सकते हैं।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु किसी गरीब जन सुनवाई की कार्यवाही किरण अनुदान लोक सुनवाई काल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्ति द्वारा 62 वन पुन उद्घरण हेतु 333 व्यक्तियों द्वारा अवधि सुझाव विचार एवं टिका-टिकनिंग प्राप्त हुई, जिसमें लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया

था है, ऐसी स्थिति में खदान देने हेतु पर्यावरण की अनुसंधान किया जाना उचित नहीं है। परियोजना के परिशिष्ट में आवेदन प्रकरण को कि-लिस्ट/गिरला खिसे जाने की अनुसंधान की गई। समिति का मत है कि इस निर्णय से कलेक्टर जिला-दुर्ग एवं जमीनदा पर्यावरण सम्बन्ध की अवगत कराया जाए।

(ii) समिति के द्वारा प्रकरण का कि-लिस्ट करने की अनुसंधान प्रविकरण की की गयी उक्त के संकेत में प्रविकरण द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया कि:-

1. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न विदुषी तथा अवस्थित के संकेत में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय एवं तकनीकी युक्तियों से निराकरण किये जाने हेतु विदुषार जानकारी प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं?
2. आवेदित स्थल एवं अन्तर्गत में शामिल अन्य खदानों का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्रविकरण को अवगत कराने हेतु पूर्व में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रविकरण (एसईआईएए) जमीनदा द्वारा जारी कार्यवाह आदेश दिनांक 29/03/2022 के प्रावधानों संदर्भ की एन के बन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मोहनदा शर्मा, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय कार्यवाह, जमीनदा पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई दुर्ग को सम्मिलित करते हुए तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति निरीक्षण का कार्य करेगी तथा अवगत स्थिति से अवगत कराते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

(एक) प्रविकरण के उपरोक्त निर्णय के आधार पर उपरोक्त वर्गीत समिति का गठन कर जीव का निर्देश दिया गया जीव उपर्युक्त गठित समिति का मत है कि -

1. श्री कमलेश कुमार देवानन द्वारा प्रस्तावित नया खदान की भूमि- 1.84 हेक्टेयर निम्नी है एवं अभी तक वनको द्वारा किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं की गयी है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह खदान खोलने हेतु जमीनदाद्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित (अ) (ब), (ग) जो आवश्यक सर्तें हैं उससे पूर्ण किया है।
3. परियोजना प्रस्तावक ने किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक ने कामन / विधान द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में दिए जाने वाले समस्त अधिनियम सर्तों का पालन करने का पालन करने का तथ्य यह प्रस्तुत किया है।

निरीक्षण में यह समिति ने यह भी पाया कि प्रस्तावित खदान के अधिनियम अनु 25 खदान स्वीकृत है जिसका लम्बा लम्बा 48.428 हेक्टेयर है इससे अधिनियम 2 प्रस्तावित भी है, जिसमें मुख्य, बुनकट्टा एवं पारीय क्षेत्र शामिल है।

उपसमिति ने यह तथ्य पाया कि वर्तमान में संघारित 25 खदानों में से अधिकांश खदान गतिविधि द्वारा पर्यावरण सर्तें/खनन सर्तें एवं अन्य निर्धारित सर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है संभवतः इसी कारण ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया गया है यह तथ्य जनसुनवाई के द्वारा परिलक्षित हुआ जिसका निवर्तन दिया जा चुका है। जनसुनवाई एवं परियोजना प्रस्तावक के विपक्ष में उल्लेखित है।

यद्यपि अधिनियम लोगों ने उक्त प्रस्तावित खदान को खोलने का विरोध किया है, निरीक्षण रिपोर्ट के भाग (द) में वर्णित है। लेकिन अधिनियम लोगों ने विरोध का कोई

में कारण लिखित या मौखिक में नहीं बताया है केवल विरोध है। तथा कुछ लोगों ने लिखित में खदान खोलने हेतु समर्थन किया है। विवरण जनश्रुतियाँ प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

समाज ग्राम पंचायत मुख्यालय में 10/01/2024 को एक पत्र क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई के माध्यम से अध्यक्ष/सदस्य सचिव को खदान खोलने की समर्थन में उचित किया है जिसमें गांव के ही कुछ पंच एवं 30-35 लोगों ने खदान खोलने की सहमति में हस्ताक्षर किया है इस पत्र भी विचार किया जाना उचित होगा।

तीन सदस्यीय समिति का यह अवलोकन है कि कलक्टर में सम्मिलित एक खदान संघालकों द्वारा जनश्रुतियाँ ने पठाये गए मुद्दों पर निराकरण वांछन में जब यह खदान संघालकों द्वारा किया जाता है तो दानीयों का समस्या का समाधान हो सकता है इसलिए संबंधित विभागों द्वारा पर्यावरण ठीक करने हेतु निर्देश दिया जाना आवश्यक है एवं विभागों का कड़ाई से पालन जैसे डूल को रोकने हेतु - फुल्लोपन, पानी का सिंचन, आवागमन हेतु निर्मित सड़क का रख रखाव, हेवी मशीन को रोकना एवं आस-पास के जल स्रोतों का संरक्षण इत्यादि कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन को एसईआईएए, फलीगढ़ को समक्ष विचार किये जाने हेतु उचित किया जाए।

पञ्च क्षेत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिकरण (एसईआईएए), फलीगढ़ को ज्ञानुमान सुविधा किया जाए।

10. मेसर्स तरेगांव कैदान लाईन स्टोन माईन (पी-बी बिस्मयध वनी), ग्राम-तरेगांव कैदान, तहसील-बोडला, जिला-कबीरधाम (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2278)

ऑनलाइन आवेदन - पर्यावरण नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एचआईएन/ 414945/ 2023, दिनांक 18/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघलित युवा पत्थर (पीग खनिज) खदान है। खदान ग्राम-तरेगांव कैदान, तहसील-बोडला, जिला-कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 215, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5,287.7 टन प्रतिवर्ष है।

खदान में कानूनी एनजीटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 01/12/2022 द्वारा आवेदित किया गया है कि "Mining lease in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15/01/2016 are still continuing even after passing of order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Salendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12/11/2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Salendra Pandey (supra) by re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986".

उपरोक्त के आदेशों द्वारा सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना नंबर 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसमें पैरा 4 अनुसार "The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.08.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जलौलपुर के द्वारा दिनांक 21/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु भी दिखनाच नर्मा प्रोजेक्ट पर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं चर्चा करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में कुल चार खदान खोदने के लिए दिनांक 21.5, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर, क्षमता-5,000 TPD टन प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण विभाग, प्रविजन, जिला-कबीरवाहन द्वारा दिनांक 21/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति तीन जारी दिनांक 01/08/2018 से 8 वर्ष अवधि दिनांक 31/03/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"8A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2024 तक वैध होगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. निर्दिष्ट तार्तिनुसार 370 नम दस्तावेज किया गया है।

16. कार्यलय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-कबीरगढ़ के डायन क्रमांक 882/ख.लि./खनिज/उ.प./2022 कबीरगढ़, दिनांक 12/08/2022 द्वारा जिला वर्डी में किये गये परखन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 03/08/2018 से 31/03/2019 तक	20
2019-20	400
2020-21	20
2021-22	निरंक
दिनांक 01/04/2022 से 04/08/2022 तक	निरंक

समिति का मत है कि दिनांक 04/08/2022 के उपरान्त किए गए परखन की सांख्यिक माता की आधार जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित उत्पादन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं उत्पन्न की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत तरेगांव पैदास का दिनांक 28/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - जारी प्लान इन्फार्मेशन मैनेजमेंट प्लान एंव जारी कालियर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बेमेतर के डायन क्रमांक 1208/खनि.लि./उ.प./2017 बेमेतर, दिनांक 15/12/2017 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-कबीरगढ़ के डायन क्रमांक 882/ख.लि./खनिज/उ.प./2022 कबीरगढ़, दिनांक 12/08/2022 अनुसार अवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-कबीरगढ़ के डायन क्रमांक 881/ख.लि./खनिज/उ.प./2022 कबीरगढ़, दिनांक 12/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उत्पन्न खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, काल्डा, कुल, गढ़ी, पेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एंकीकट बांध एवं जल संपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। लीज की विस्तारता वर्डी के नाम पर है। लीज क्षेत्र 30 वर्ष काला् दिनांक 01/08/2018 से 31/08/2048 तक की अवधि हेतु किया है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यलय वनसम्पदाधिकारी, कबीरगढ़ वनसम्पदा, कबीरगढ़ के डायन क्रमांक/उ.प.अधि/10829 कबीरगढ़, दिनांक 15/11/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. एवं वन अधालय से 15 कि.मी. की दूरी पर है।
- महाकूर्म संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-कैरगांव 560 मीटर व ग्राम तरेगांव पैदास 620 मीटर, स्कूल ग्राम-तरेगांव पैदास 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल बौदल 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 236 कि.मी.

एवं राजधानी 39 कि.मी. दूर है। चौक नदी 800 मीटर चौकानी भाला 325 कि.मी. लम्बाय 600 मीटर एवं गहरा 50 मीटर दूर है।

10. **परिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिबती वोल्टुटेज एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. **खनन संयोजन एवं खनन का विवरण** - जिपसोलोजिकल रिजर्व 4,88,805 टन, माईनेबल रिजर्व 2,81,822 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,37,275 टन है। वर्तमान में जिपसोलोजिकल रिजर्व 4,88,708 टन, माईनेबल रिजर्व 2,82,722 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,38,175 टन से है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,387.27 वर्गमीटर है। लीज कास्ट बोर्ड की कैंडीडाईज सिद्धि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर एवं पहाड़ी क्षेत्र की ऊँचाई 11 मीटर है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में जमीन निरुद्धी अवस्थिति नहीं है। क्षेत्र की ऊँचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 34 वर्ष है। जैक ड्रम से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,739.1	षष्ठम	5,840.8
द्वितीय	5,840.8	सप्तम	5,840.8
तृतीय	5,840.8	अष्टम	5,840.8
चतुर्थ	5,840.8	नवम	5,939.5
पंचम	5,840.8	दशम	5,967.7

12. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वर्तमान में उत्तर लीज क्षेत्र के बाहर एवं 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के मध्य स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। उत्तर को लीज क्षेत्र में स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाएगा, जिसका बल्लेख अनुमोदित जमीनी प्लान में किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस उत्तर का बाध्य पत्र (Mandatory Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित जमीनी प्लान स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाएगा। समिति का मत है कि उत्तर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित जमीनी प्लान स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में कुशासन कर, पौधों में नुकसान कम कर,एन,एल. कर्टील सहित फोटोवाक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।**
13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घु-जल के माध्यम से की जाती है। इस बाध्य सेन्ट्रल बायपास मीटर क्वांटिटी का अनुपपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **कुशासन कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में बाकी क्षेत्र 7.5 मीटर की पट्टी में 875 नम कुशासन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 375 नम कुशासन किया गया है। क्षेत्र 440 नम कुशासन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के

लिए राशि 4,400 रुपये, महिला के लिए राशि 70,000 रुपये, खाद्य के लिए राशि 40,000 रुपये, मिठाई एवं सब्जि-सब्जाय आदि के लिए राशि 1,90,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,64,800 रुपये प्रदान की हेतु एवं सब्जि-सब्जाय हेतु कुल राशि 7,62,000 रुपये आगामी फंड की हेतु परतकवार खाद्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा घट्टी में उत्खनन – जीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा घट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. रैर बर्डनिंग क्षेत्र – जीज क्षेत्र में 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र में अक्षर 428.88 वर्गमीटर क्षेत्र में स्टोन स्टेनर, 100 वर्गमीटर क्षेत्र में रैर निर्माण एवं 1008.88 वर्गमीटर क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु रैर बर्डनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खास पत्रान में किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रत्येक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा करवाते निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.34	2%	0.78	Following activities at Govt Primary School Village- Taregaon Maidan	
			Installation of separate water tank for drinking	0.28
			Installation of UV water filter and its AMC	0.28
			Pipeline sanitary ware and installation	0.18
			Donation of books related to Environment Conservation	0.10
			Total	0.80

18. सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के आधार (Foundation) का वास्तविक पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. अक्षर की 7.5 मीटर की सीमा घट्टी में स्थापित का जीज क्षेत्र की ओर अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार निम्न स्थान पर स्थापित किये जाने बाबत खास पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. ऊपरी मिट्टी की जीज क्षेत्र की ऊपर सेमटी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक संवर्धित कर संरक्षित रखने हेतु विभिन्न एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःस्थाप हेतु किये जाने तथा सम्भारित क्षेत्र

उपरोक्त विटुली का निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उपरोक्त निरीक्षण/प्रमाण के दौरान निरीक्षण कराई जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र की अवधि एवं बाहर समय पुनरावीक्षण किये जाने एवं सीमा पौड़ी का समतुल्यता पैर (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु समय पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22. अतीसमय आदर्श सुचारु गति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. खदान में गश्कर उत्खनन हेतु कम सीमा गुप्त लाइसेंस का कार्ड बी.बी.एन.एस. द्वारा अधिभूत एवं पंजीकृत लाइसेंस धारिता (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माईनिंग लीज क्षेत्र में पर्यावरण अथवा उत्खनन के समस्त विन्दुओं/स्थानों पर पर्यावरण प्रभावक द्वारा नियमित जल विश्लेषण कराई जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र में खनिज विषयों के अनुसंधान सीमांकन करके खदान की सीमा में नियमानुसार सार्वजनिक कराई जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माईनिंग लीज क्षेत्र से किसी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्खनन होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, नाला, तालाब आदि में नहीं किया जाएगा। इस बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. पर्यावरण प्रभावक पर प्रस्तावित खदान के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में अहित नहीं होने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. पर्यावरण प्रभावक पर भारत सरकार, कम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.आ.आ.आ. (अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण अहित न होने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्यवस्था संचालन के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राधपुर जटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रमाण प्रमाणित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 04/08/2022 के उपरोक्त किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अवधान जानकारी खनिज विभाग से उपलब्ध कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. खदान की लीज क्षेत्र में अनुमोदित स्थानीय प्लान समन्वयिका कम 7.5 मीटर पौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पुनरावीक्षण कर, सीमा में कन्वेरिंग कर के.एन.एस. फाईल सहित फोटोप्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/समाधान प्राप्त होने तकता आगामी कार्रवाई की जाएगी।

3. अक्षर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण किये जाने संबंध पूर्व में भी राज्य पत्र (Notarised Undertaking) प्रस्तुत किया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुमोद किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि अक्षर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण कर, पौधों में नम्बरिंग कर के.एन.एल. फाईल सहित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्खनन सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के चलन प्रतिवेदन मंगाने जाने हेतु अतीतमास पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।
2. अक्षर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण कर, पौधों में नम्बरिंग कर के.एन.एल. फाईल सहित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त अगामी कार्यवाही की जाएगी।

तथातुसार एच.ई.ए.सी., अतीतमास के ज्ञापन दिनांक 22/08/2023 के परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन अतीतमास पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं:-

क) प्रस्तावित चलन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करते हुए सम्मानित चलन प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण एवं राज्य पत्र:-

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, MOEFCC तथा राज्य सरकार नगर से पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का सर्टिफाईड कॉम्प्लायंस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सर्टिफाईड कॉम्प्लायंस के संबंध में समिति के 476वीं बैठक दिनांक 18/01/2023 में विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से MOEFCC नई दिल्ली से "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion" के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में MOEFCC नई दिल्ली द्वारा हुने जो भी दिश निर्देश दिया जावेगा वी उत्तराव चलन करना इस संबंध में राज्य पत्र प्रस्तुत किया गया है।

ख) MOEF के ऑफिस मेमोरंडम क्रमांक F. No. IA3822/110003&IA.19 [E 208230] दिनांक 28/04/2023 - उक्त ऑफिस मेमोरंडम के अनुसार पैरा क्रमांक 5 में बिंदु 1 से 10 तक में निम्नलिखित के प्रकरणों में आवश्यक / बखित प्रपोज की सूची में प्रस्तावित चलन प्रतिवेदन की जानकारी जमा कराए जाने का चर्चा नहीं है।

कार्गिल में SEAC/SEMA द्वारा विधेयक के प्रकरणों में प्रस्तावित फालन प्रतिवेदन के स्थान पर स्वप्रमाणित फालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा रही है। गैर द्वारा स्वप्रमाणित फालन प्रतिवेदन अप्रामाणिक समझा जाता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गैर प्रकरण में प्रस्तावित फालन प्रतिवेदन की अप्रामाणिकता को निरस्त करने का अनुरोध है।

इस हेतु MOEFCC नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से विधेयक के निर्देश का विस्तृत फालन किया जाने के संदर्भ में सलाह पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त स्वीकृतियों को स्वीकार करते हुए प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा पाया गया कि परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के फालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एन.एल. फाईनल रजिस्ट्रार के फालन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion" के संकेत में सलाह सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र भेजा गया था, इस परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तत्पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।

2. अंतर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्यारी प्लान अनुसार स्थानांतरित कर 7.5 मीटर घीली सीमा पट्टी (अवधान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृद्धिकरण कर, पौधों में नग्नरीय कर को.एन.एल. फाईनल रजिस्ट्रार कोटेशन प्रस्तुत किये जाने के संकेत में परिवर्तनक प्रस्तावक द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं:-

प्रस्तुत मैप के अनुसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में स्थित अंतर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित अवधान योजना के अनुसार स्थानांतरित कर दिया जायेगा एवं 7.5 मीटर की पट्टी में वृद्धिकरण किया जाएगा इस संकेत में सलाह पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

समिति का मत है कि अंतर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्यारी प्लान अनुसार स्थानांतरित कर 7.5 मीटर घीली सीमा पट्टी (अवधान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृद्धिकरण कर, पौधों में नग्नरीय कर को.एन.एल. फाईनल रजिस्ट्रार कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्य पूर्ण होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त कार्यवाही के निर्णय किया गया कि अंतर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्यारी प्लान अनुसार स्थानांतरित कर 7.5 मीटर घीली सीमा पट्टी (अवधान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृद्धिकरण कर, पौधों में नग्नरीय कर को.एन.एल. फाईनल रजिस्ट्रार कोटेशन प्रस्तुत किये जाने उपर्युक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिवर्तनक प्रस्तावक को तत्पश्चात् सूचित किया जाए।

11. केमाली रोड आईनस्टी स्टोन माईन (बी जलवायु क्लब की स्टोन क्लब, फाटींग- बी जीवेन्द नाम निपाटी), डाम-रोड, पहरील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2283)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 413804/ 2023, दिनांक 10/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट से सम्बन्धित सम्पूर्ण पथर (ग्रेन खनिज) खदान है। खदान डाम-रोड, पहरील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 655, कुल क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-873.8 टन (281 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छातीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की आजीव कुमार जलवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का समीक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. प्लॉट में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. प्लॉट में सम्पूर्ण पथर खदान खसरा क्रमांक 655, कुल क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर, क्षमता - 281 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्पादन निर्धारण प्रधिकरण, जिला-सुरजपुर द्वारा दिनांक 12/12/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूसा तालाब, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"GA, Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 11/12/2021 तक वैध थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लॉट में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकिकृत क्षेत्रीय साधन, भूसा तालाब, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रामपुर को दिनांक 27/02/2023 के माध्यम से प्लॉट में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाने हेतु आवेदन देखा किया गया है। समिति का

मत है कि परिवर्तनमा इच्छाशक्त द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पटविकरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संज्ञालय, तथा सूरजपुर अटल गगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबेदन द्वारा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. निर्धारित कार्यनुसार 03 नम वृक्षादीरण किया गया है।
15. कार्यलय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 4152/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 08/02/2023 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार जिला वर्गी में स्थित गरी उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

दिनांक	उत्खनन (चमकीटर)
01/12/2017 से 31/12/2017	20
01/01/2018 से 30/06/2018	230
01/07/2018 से 31/12/2018	निरक
01/01/2019 से 30/06/2019	230
01/07/2019 से 31/12/2019	30
01/01/2020 से 30/06/2020	210
01/07/2020 से 30/06/2020	निरक
01/07/2020 से 31/06/2021	निरक

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2021 से उत्खनन स्थिति तक किए गए उत्खनन की तालविक साखा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कन्वजन प्रस्तुत किया जाए।

2. ग्राम पंचायत का कन्वर्जित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चमकीटर का दिनांक 03/10/2012 का ज्ञापनित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेगई का ज्ञापनित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - जारी प्लान प्लान विषय जारी कलेक्टर प्लान विषय इन्फार्मेशन केनेजरीट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1721/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 08/08/2017 द्वारा अनुषेधित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 463/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 07/03/2022 अनुसार अधेधित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 463/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 07/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जिला खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण - लीज मेसार्स में उपरान्धे मकानी स्टोन कर्मी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अवधि दिनांक 25/05/2010 से 24/05/2020 तक

की अवधि हेतु वैध थी। लगभग 20 वर्षों अवधि में 26/06/2020 से 24/06/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. भू-स्वामित्व — भूमि की मूलांक घोषण के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि माली का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का आवधिकित प्रमाण पत्र — कार्यालय वन्यजन्तुविभाग, उत्तराखण्ड वन्यजन्तु, अधिकारपुत्र से प्रमाण प्रमाण/मा.वि./201 अधिकारपुत्र, दिनांक 23/02/2018 से जारी अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा में निवृत्त वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन्यजन्तुविभाग, वन विभाग से जारी अनुरोधित प्रमाण पत्र की आधारित प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निवृत्त वन क्षेत्रीय धाम-सेमाई 1 कि.मी., वल्लु धाम-सेमाई 1.20 कि.मी. एवं अलकानंद प्रतापपुर 2.80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21.1 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.1 कि.मी. दूर है। तालाब 400 मीटर, पहाड़ी गली 500 मीटर, पीपली नाला 500 मीटर एवं नहर 7.5 कि.मी. दूर है।
11. पर्यावरणीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र — पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की पर्यावरण में अंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित कृषि/कृषि सीमा/सीमा पर्यावरण, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण — जिपस/जिपस रिजर्व 37,100 टन, माइनेबल रिजर्व 8,708 टन एवं रिफ़ाइनबल रिजर्व 8,089 टन है। खनन में जिपस/जिपस रिजर्व 37,100 टन एवं रिफ़ाइनबल रिजर्व 8,217 टन क्षेत्र है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,720 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेमी केरीयर/इन्फ़्रस्ट्रक्चर से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 6.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 430 घनमीटर है। इस मिट्टी का उपयोग लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पीसावन पुनर्स्थापन हेतु किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संयोजित आयु 10 वर्ष है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं खंडों का बसिस्टन किया जाता है। लीज क्षेत्र में उत्खनन सम्पन्न नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाता है। वर्षाण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित परीक्षण (टन)	वर्ष	प्रस्तावित परीक्षण (टन)
प्रथम	585	चतुर्थ	702
द्वितीय	604.5	तृतीय	764.4
तृतीय	713.7	अष्टम	721.5
चतुर्थ	733.2	नवम	715
पंचम	760	दशम	442

13. **जल क्षम्यता** – धनियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की क्षम्यता घु-जल के माध्यम से की जाती है। घु-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल प्राथमिक बीटा अधीनस्थ की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 100 नम वृक्षारोपण किया जाया प्रस्तावित है। वर्तमान में 60 नम वृक्षारोपण किया गया है, शेष 100 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,000 रुपये, बीसों के लिए राशि 30,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,400 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,42,400 रुपये प्रयाग वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,32,800 रुपये आगामी तीन वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में फलकन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में फलकनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – धनियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपराल निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4.53	2%	0.0906	Following activities at Government High School Village-Mayapur-I	
			Donation of books related to Environment Conservation	0.075
			Steel Almira	0.050
			Total	0.125

17. सीईआर के लक्ष्य प्रभावित स्कुल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. जंगली मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर लेगटी ज़ोन में 1 मीटर की चौड़ाई तक संक्षालित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विखर न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. फ्लेमिंग का कार्य डी.जी.एन.एन. द्वारा अभिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. बाह्यनिर्णय लीज डीय के अंतर्गत संपन्न क़ाबिलेगिरी किये जाने एवं रीतिगत चीज़ों का समझौदागत रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन क़्वाटों से समुचित क़ाबिलेगिरी प्राप्त होगी, उन क़्वाटों पर नियमित जल विद्युत का वी व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स क़ाबिलेगिरी नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाबतगी क़िस्मती द्वारा ख़ीमाक़न का क़ाबिलेगिरी सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. क़ाबिलेगिरी बाबतगी पुनर्वास नीति के तहत क़्वाटों के लोगों को रोज़गार किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. क़िस्ती की प्रक़ार का दूधित जल का प्रक़ार प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, झील से नहीं किये जाने एवं इसकी संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि इसकी विरुद्ध इस परियोजना/क़ाबिलेगिरी से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रक़ार देश के अंतर्गत क़िस्ती की न्यायालय में लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि इसकी विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंपदा परियोजना मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई एपेलेशन का प्रक़ार लंबित नहीं है।

समिति द्वारा सत्यपत्र सत्यपत्र की निम्नानुसार निर्देश किये गए थे:-

1. क़ाबिलेगिरी क़ाबिलेगिरी बाबतगी सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलसंपदा परियोजना मंत्रालय, तथा बाबतगी क़ाबिलेगिरी बाबतगी से पूर्व में जारी पर्यावरणीय क़ाबिलेगिरी का प्रक़ार अधिसूचना प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/04/2021 के अंतर्गत क़िस्ती तक क़िस्ती पर एपेलेशन की क़ाबिलेगिरी बाबतगी क़ाबिलेगिरी क़िस्ती विभाग से प्रस्तुत क़ाबिलेगिरी प्रस्तुत किया जाए।
3. एपेलेशन की क़िस्ती में बाबतगी बाबतगी बाबतगी का क़ाबिलेगिरी बाबतगी प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज बाबतगी से निरक़ार वन क्षेत्र की क़ाबिलेगिरी दूरी के बाबतगी वनसंरक्षणक़ाबिलेगिरी, वन विभाग से जारी क़ाबिलेगिरी बाबतगी प्रक़ार की अंतर्गत अधिसूचना क़िस्ती किया जाए।

उपरोक्त क़िस्ती क़ाबिलेगिरी/क़ाबिलेगिरी प्राप्त होने उपरंत आगामी क़ाबिलेगिरी की जाएगी।

समानुसार एन.ई.ए.सी., क़ाबिलेगिरी के बाबतगी दिनांक 13/04/2023 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क़ाबिलेगिरी/क़ाबिलेगिरी दिनांक 27/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(अ) समिति की 51वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निष्कर्ष पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन असीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण संझल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं:-

अ) प्रामाणिक पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करते हुए स्वप्रामाणिक पालन प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण एवं शपथ पत्र:-

पुष्पकृत सीवीए कार्यालय, MOEFCC नए रायपुर बटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का सर्टिफाईड सम्प्रापक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सर्टिफाईड सम्प्रापक के संबंध में समिति के अग्रणी बैठक दिनांक 19/07/2023 में विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से MOEFCC नई दिल्ली में "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion" के संज्ञा में स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में MOEFCC नई दिल्ली द्वारा हुने जो भी दिश निर्देश दिया जावेगा मैं उसका पालन करूंगा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

ब) MOEF के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक F. No. IA3622/11/2023&IA.3A [II 208230] दिनांक 25/04/2023 - उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार पैरा क्रमांक 2 में बिंदु 1 से 10 तक में रिजोल्वर के प्रकल्पों में आवश्यक / अधिकतम प्रपक्षों की सूची में प्रामाणिक पालन प्रतिवेदन की जानकारी प्राप्त करण करने का उल्लेख नहीं है।

संज्ञान में SEAC/SEIAA द्वारा रिजोल्वर के प्रकल्पों में प्रामाणिक पालन प्रतिवेदन के स्थान पर स्वप्रामाणिक पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा रही है। मैंने द्वारा स्वप्रामाणिक पालन प्रतिवेदन आपसे सन्ध जमा किया जा चुका है। उक्त उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरे इकल में प्रामाणिक पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करने का अनुरोध है।

इस हेतु MOEFCC नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का सिन्दुरा पालन किये जाने के संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त उपरोक्त स्पष्टीकरणों को स्वीकार करते हुए इकल में पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिध्व में समिति द्वारा पाया गया कि परिशोधन प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स-प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एसईएसी, असीसगढ़ के इापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion" के संज्ञा में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संझलय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र डेवित किया गया था, इस

परिदृश्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-सुरजपुर के आश्रय क्रमांक 86/खनिज/2022-24 सुरजपुर, दिनांक 02/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 01/04/2021 से दिनांक 11/12/2021 तक निर्वाह है तथा दिनांक 12/12/2021 से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् से परामर्श कार्य पूर्णतः बंद माना गया है।
3. परखनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमई का दिनांक 04/10/2023 का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. कार्यालय वनसंरक्षणधिकारी, सुरजपुर वनसंरक्षण, जिला-सुरजपुर के आश्रय क्रमांक/नामि./548 सुरजपुर, दिनांक 13/02/2024 से जारी अनुरोधित प्रमाण पत्र अनुसार अपेक्षित क्षेत्र का क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है तथा 10 कि.मी. की परिधि में नेशनल पार्क एवं अभयारण्य स्थित नहीं है।
5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु जि-पक्षीय समिति (ओरगनाइजर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के महाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतीक्षित सर्वेक्षण संस्थान सख्त के महाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया जाने के उपरान्त गठित जि-पक्षीय समिति से समाप्तित करना जाना आवश्यक है।
6. माननीय एन.जी.टी. डिप्टी कमिशनर, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्रादेश दिनांक 04/04/2018, पत्रादेश, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 अधि 2018 एवं अन्य) में दिनांक 12/06/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease area exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-सुरजपुर के आश्रय क्रमांक 483/खनिज/2022 सुरजपुर, दिनांक 07/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से मीटर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्वाह है। आवेदित खदान (घास-सेमई) का क्षेत्रफल 0.38 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संरक्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आदेशक - मेसर्स सेमई आर्किटेक्ट स्टोन पाईन (पी जेम्सके ब्यागी स्टोन वर्क्स, पार्टनर- श्री जीवेन्द्र नाथ त्रिपाठी) को ग्राम-सेमई, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर के आश्रय क्रमांक 856, में विगत सप्ताह पत्रादेश (गीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर, क्षमता - 4798.8 टन (251 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिसिफ्ट-08 में

अर्जित सती के अर्पण पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई। साथ ही यह अनुमति अधिनियम में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रमाण क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के मार्गदर्शन प्राप्त होने पर जारी अनुसार प्रभावित होगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ की तदनुसार संचालित किया जाए।

11. मेसर्स कोट आईरॉनरी स्टोन माईन (पी-बी एचि कुमार गुप्ता), ग्राम-कोट, छत्तीस-कैकुलपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2988)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए/ सीडी/ एसआईए/ 437608/2023, दिनांक 29/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित संधारण प्रस्ताव (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोट, छत्तीस-कैकुलपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 247, 248 एवं 249, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 15,307.87 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरैंडम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरैंडम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सचिवालय निर्धारण प्रक्रिया के जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमति (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रमाण दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 29/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु पी बी एचि कुमार गुप्ता, प्रोजेक्ट आईरॉनरी स्टाफ हेतु। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में खदान (पीन खनिज) खदान खसरा क्रमांक 247, 248 एवं 249, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर, क्षमता-15,307.87 टन प्रतिवर्ष

हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्वजनिक पर्यावरण समन्वयक निर्देशन अधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 27/08/2018 को जारी की गई।

- g. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राधपुर इस्ट लेन राध प्रतीरामपुर पर्यावरण संरक्षण मंडल को आवेदन किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिकृत गैरनिष्पन्न अनुसार डिजिटल के प्रकरण के लिए जारी गई जानकारी के लिए पैरा क्रमांक 5 में बिंदु 1 से 10 तक में आवश्यक/अतिरिक्त जगहों की सूची में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की जानकारी जमा कराए जाने का उल्लेख नहीं है अर्थात् डिजिटल के प्रकरणों में डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है।

अतः डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को एआईआईएए के द्वारा डिजिटल का प्रकरण है एवं उपरोक्त जगहों के आधार पर आवेदित प्रकरण में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं बन रही है। परामर्श दोनों अधिकृत गैरनिष्पन्न पर प्रस्तुत जगहों के आधार पर लेख सर्टिफाईड पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

- h. लीज क्षेत्र में 300 नम नौका का नुकसान किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (अतिरिक्त राध) जिला-कोरिया के ज्ञान क्रमांक 228/अतिरिक्त/राध/2023/कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये जांचन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (ग्रामों/टन)
2018	175
2019	2,770
2020	3,720
2021	4,010
2022	180
2023 माह जून तक	50

शक्ति का मत है कि सितम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2017 तक किये गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी अतिरिक्त विभाग के प्रमाणित कलेक्टर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं उत्खनन के संघ में ग्राम पंचायत सचिव/उप-सचिव (अतिरिक्त ग्राम कोट) का दिनांक 09/12/2009 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - कच्ची प्लान, इन्फार्मेटिफ मैनेजमेंट प्लान एवम् कच्ची कौशल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अति अधिकारी, जिला-कोरिया के

ड्राफ्ट क्रमांक 644/समिति/सवि/2018/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 28/06/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. 300 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (समिति छात्रा), जिला-कोरिया के ड्राफ्ट क्रमांक 228/समिति/उ.प./2023/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2023 के अनुसार अधोदित खदान से 300 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्धारित है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (समिति छात्रा), जिला-कोरिया के ड्राफ्ट क्रमांक 228/समिति/उ.प./2023/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी ड्राफ्ट पर अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, बाइक, गलियारा, गलियारा, मंदिर, मठ, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, दुकान, मरगट एवं एनोकर आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्धारित नहीं है। कम्ती गलियारा 25 मीटर एवं गलियारा 110 मीटर है।
6. भूमि एवं सीमा का विवरण – यह सार्वजनिक भूमि है। सीमा की रवि कुमार गुप्ता के नाम पर है। सीमा सीमा 10 वर्षों अवधि दिनांक 13/10/2004 से 13/10/2004 तक की अवधि हेतु वैध होगी। अतः सीमा सीमा 20 वर्षों अवधि दिनांक 13/10/2004 से 13/10/2004 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमोदित ड्राफ्ट पत्र – कार्यालय वनसंरक्षणविभाग, कोरिया वन मंडल, बैकुण्ठपुर के ड्राफ्ट क्रमांक/सवि./229 बैकुण्ठपुर, दिनांक 20/06/2008 जारी अनुमोदित ड्राफ्ट पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से अधोदित क्षेत्र की दूरी का उत्तरदायक कर्ता हुए कार्यालय वनसंरक्षणविभाग, जिला-कोरिया का अनुमोदित ड्राफ्ट पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. सार्वजनिक संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय घर-कोट 800 मीटर, स्कूल घर-कोट 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 8.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.75 कि.मी. एवं राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। गलियारा 110 मीटर, गलियारा 800 मीटर, भीमारी गलियारा 1.5 कि.मी. एवं गलियारा 8.75 कि.मी. दूर है।
10. परिसरभित्तीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परिसरभित्तीय प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सेंट्रीक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिफ्टली चैलेंज्ड एरिया, परिसरभित्तीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना अधोदित किया है।
11. खनन संयोजन एवं खनन का विवरण – पूर्व में जिब्रोलैटिकल रिजर्व 2,18,018 टन, माइनेबल रिजर्व 1,44,170 एवं निकरबल रिजर्व 1,39,753 टन है। वर्तमान में जिब्रोलैटिकल रिजर्व 1,67,389 टन, माइनेबल रिजर्व 93,443 एवं निकरबल रिजर्व 84,099 टन है। सीमा की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए अधोदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,999.33 वर्गमीटर है। खनन कार्यालय सेमी मेकेनाइज्ड विधि से खनन किया जाता है। खनन की अनुमति अधिकतम गहराई 8 मीटर है। सीमा क्षेत्र में कम्ती मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा

10,103.83 घनमीटर है। जिसमें से 1,308 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (आवजन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में सीलाकार कुसारीकरण के लिए तथा सेब 8,775 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सड़कें तथा खुनि (खसरा क्रमांक 337/1, खसरा 0.43 डेकटेयर क्षेत्र) में संरक्षित किया जायेगा। सेब की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में जल संयोजित नहीं है। जल सेप से डिजिटल एवं सटीक स्टाडिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिपकाया किया जाता है। वर्षावा प्रसारित आवाहन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित आवाहन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित आवाहन (टन)
प्रथम	8,908.72	चतुर्थ	15,307.87
द्वितीय	13,540.18	पंचम	15,307.87
तृतीय	15,307.87	अष्टम	15,307.87
छठवें	15,307.87	नवम	15,307.87
सप्तम	15,307.87		

12. **जल आपूर्ति** – परिवीक्षण हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोल के माध्यम से की जाएगी। इस मात्रा सेम्टल हाउसिंग बोर्डर अवॉरिटी का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. **कुसारीकरण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 783 नम कुसारीकरण किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में 350 नम कुसारीकरण किया गया है तथा क्षेत्र 433 नम कुसारीकरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 433 नम पट्टी के लिए राशि 43,300 रुपये, पेंडिंग के लिए राशि 60,000 रुपये, साव के लिए राशि 30,200 रुपये, सिवाई तथा सब-तलाब के लिए राशि 1,00,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,03,500 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 7,58,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में आवाहन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 3069.33 वर्गमीटर है जिसमें से 1002.00 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका जलसंचयन करीब प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय सुरक्षा की शर्तों का उत्पन्न है। इस लीज उत्पन्न नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. **जलसंचयनीय** है कि मात्रा संचयन, पर्यावरण, घन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 43.15 के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

इस मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा ज़ोन में कुसारीकरण किया जाना आवश्यक है।

16. पैर माइनिंग क्षेत्र – क्वारी प्लान अनुसार 343 कर्मचारी क्षेत्र को डेय निर्माण हेतु पैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।
17. इंटीग्रेटेड पर्यावरणीय दायित्व (C.E.A.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त विन्दनानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.47	2%	0.26	Following activities at Village-Modipara	
			Plantation at Village pond	0.52
			Total	0.52

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत जलसंधि पर (जल, कटोरा एवं जलमय) कुशादेयता हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नए पेयों का कुशादेयता किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जलसंधि के घाटे जोर 15 नए वृक्ष हैं तथा तीन 20 नए पेयों के लिए राशि 2,800 रुपये, सीसिंग के लिए राशि 8,250 रुपये, खाद के लिए राशि 1,250 रुपये, सिंचाई तथा सब-सुखा जल के लिए राशि 8,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 17,000 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल राशि 68,000 रुपये हेतु घटकवार व्यवसाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाम पंचायत बोर्डिंग के सहजता उपरोक्त पंचायत स्थान (जलसंधि जमीन 500 एवं 547, क्षेत्रफल 0.47 हेक्टेयर में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
19. क्वारी मिट्टी को ग्रीन क्षेत्र के बाहर संकलित कर संकलित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुसमयन न करने, मिट्टी न करने एवं जमा कचरे में संकलन नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का संकलन पुनरावृत्ति में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. प्रान्तिन का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से क्लेयटिव डायर प्रासादन होता, इन स्थलों पर निर्दिष्ट जल डिपोजल की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सामान कुशादेयता किये जाने एवं सीमित पेयों का संरक्षणित वेत (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. लीज क्षेत्र के अंदर किये गये कुशादेयता का संकलन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. प्रतीक्षणक आधारों पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित कर्तव्यनियम (Minerals Concession Rule) की तहत बालूगुट्टी फिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने काबतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संभालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटस्थ जल स्रोतों को किसी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संभालन व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

- i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत नहीं किया जाएगा।
- ii. खदान कार्यलय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेंट्रल टैंक और सीख नकड़े प्रदान किये जाएंगे।
- iii. सही जल के संभालन के लिए खदान के चारों ओर गार्डरूड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करने की अन्य स्रोतों में छोड़ा जाएगा।
- iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा जलित जल को उपचारित करने आवश्यकतानुसार प्राचीनी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- v. खदान की बालूगुट्टी के चारों ओर सभन कुआरक्षण किया जाएगा।
- vi. सभ सभक तालाब के चारों ओर भी सभन कुआरक्षण किया जाएगा।

अस्तु आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 830 मीटर तथा नहर 4.75 कि.मी. की दूरी पर है जो कि अभीसंगत नीम खनिज अधिनियम, 2015 में उचित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संभालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु उपायों को ध्यान में रखकर एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसकी विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 से अंतर्गत कोई संशोधन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India and others (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा इस काबतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को well position (B) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा इस काबतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. अतः संप्रेशन हेतु बोरहोल को पानी का उपयोग नहीं किये जाने तथा खदान में भरे हुए पानी का उपयोग किये जाने काबतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण बन लेने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत को कार्यपूर्ण प्रॉटेक्शन प्राप्त कर, डिस्टेंस फोटेग्राफ स्थित जानकारी पर्यवेक्षण स्टेशन से हेतु जमा किये जाने वाले अवलंबीक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने वाला सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का किन्तुआ पालन किये जाने वाला सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्सव्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्ष माह सितम्बर, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक किये गए काटखन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करताकर प्रस्तुत किया जाए।
2. मिस्टेशन वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का पल्लेख करते हुए कार्यालय कमन्सलटिकरी, जिला-कोरिया का अंगारति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. सन्तानित 7.5 मीटर की सीमा घट्टी का पुनर्भार्य प्लान (Reclamation plan) प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का किन्तुआ पालन किये जाने वाला सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बांठित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीरागढ़ के ज्ञान दिनांक 22/12/2023 के परिणाम में परियोजना प्रभावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा मसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-कोरिया के ज्ञान क्रमांक 888/खनिज/प.प./2024/कोरिया, कैम्पुपुर, दिनांक 27/03/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रिगत वर्ष में किये गए काटखन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार-

वर्ष	काटखन (घनमीटर)
सितम्बर 2016	1,060
2017	4,360
2018	178
2019	2,770
2020	3,720
2021	4,010

2022	160
2023	607

- कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के द्वारा क्रमांक/तक.क./607 बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/02/2024 से जारी अध्यापित खदान पर अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. निकटतम वनपट्टीय अध्यापन की दूरी 10 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 40 कि.मी. पर है।
- पल्लवित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भरण किये जाने के संबंध में पुन भराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया गया है।
- भावा सनकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस कमेन्टेशन में दिये गये निर्देश का विन्मुक्त चलान किये जाने बाबत साक्ष्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- समिति का मत है कि सी.ई.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग कार्ड के नॉन्फिटिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-क्षेत्र समिति (ओपरटोवर/प्रतिनिधि, वन पंचायत के सदस्यिकाई/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या क्लस्टरिंग पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सदस्यिकाई/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग का कार्ड पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित वि-क्षेत्र समिति से साधारित कराया जाना आवश्यक है।
- माननीय एन.जी.टी, डिप्लोम वेध, नई दिल्ली द्वारा साबैड चार्टर्डड रिकव्ड भराव सनकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिचालन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अडिक्शनल एमिलेसन न. 138 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by BEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा दिवाल विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 226/खनिज/च.प./2023/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर के भीतर अधिभूत अन्य खदानों की संख्या शिरोक है। आवेदित खदान (खान-कोट) का क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की गतिवि में स्वीकृत/संघर्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की गानी गयी।
- समिति द्वारा दिवाल विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदन - मेसर्स कोट अर्किनरी स्टोन साईन (जे- बी सी कुमार गुप्ता) को खान-कोट, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के खाना क्रमांक 247, 248 एवं 249, में स्थित सधारण पल्ल (गीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर

अमल-15,307.87 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-09 में वर्णित शर्तों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एसआईएए), प्रतीभागद की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।

13. मेसर्स विरट मिश्राला (अमलमेसाल अडिनिटी स्टोन क्वीरी, प्री- श्री रमेश कुमार सुतना), ग्राम-धुरली, तहसील-दोटावाड़ा, जिला-दक्षिण बलार दोटावाड़ा (सविधानिक का नक्का क्रमांक 2018)

अमलमेसाल आरंभ - प्रपोजल नम्बर - एसआईएए/ सीडी/ एसआईएए/438871/ 2023, दिनांक 02/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पुरी के संघर्षित की साधारण फाल (ग्रीन खनिज) खदानों का अमलमेसाल है। अमलमेसाल खदान ग्राम-धुरली, तहसील-दोटावाड़ा, जिला-दक्षिण बलार दोटावाड़ा निम्न पार्टी ऑफ खसरा क्रमांक 888/2, कुल क्षेत्रफल-3.24 हेक्टेयर में है। खदान की कुल आवेदित उत्खनन अमल-1,82,888 टन प्रतिवर्ष है।

व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक श्री एसआईएए, प्रतीभागद के आवेदन दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 12/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार सुतना, प्रपोजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्का, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि हुई गई-

1. संघर्षित, भीमिटी तथा खनिजमें अमल नगर नगर तालपुर के नू, खदान क्रमांक 172/खनि 02/1.4, अमलमेसाल/न.क. 04/2021 तथा तालपुर दिनांक 10/01/2023 द्वारा मेसर्स विरट मिश्राला (प्री- श्री रमेश कुमार सुतना) की स्वीकृत खदान खसरा क्रमांक 888/2 क्षेत्रफल 1.42 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 888/2 क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर का कुल क्षेत्रफल 3.24 हेक्टेयर हेतु अमलमेसाल किया गया है।

2. पुरी में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पुरी में मेसर्स धुनिज मिश्राला, प्री- श्री आशीष नालवीय की साधारण फाल खदान पार्टी ऑफ खसरा क्रमांक 888/2, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर, अमल-32,823 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निरीक्षण प्रक्रिया, जिला-दक्षिण बलार दोटावाड़ा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/12/2018 को जारी की गई।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाना), जिला-दक्षिण बलार दोटावाड़ा के आवेदन क्रमांक 803/खनिज/जा/2023-24 दोटावाड़ा, दिनांक 20/09/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (थनमीटर)
2018-19	2,387
2019-20	10,868
2020-21	11,813

2021-22	14,500
2022-23	19,553

- अ. पूर्व में मेरठ स्थित नेशनल जै. बी. जैविक मॉडर्न बायो स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनैबल फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 848/2, कुल क्षेत्रफल-1.425 हेक्टेयर, क्षमता-21,130 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निधीयन प्रयोजन, जिला-दक्षिण बस्तर एटीआर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02/12/2018 को जारी की गई।
- ब. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साठा), जिला-दक्षिण बस्तर एटीआर को ज्ञापन क्रमांक 804/खनिज/सा/2023-24 एटीआर, दिनांक 20/09/2023 द्वारा निम्न वर्षों में किने गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (मिनीटर्स)
2018-19	3,754
2019-20	13,268
2020-21	11,106
2021-22	11,440
2022-23	10,885

- क. वर्तमान में 705 नए पौधों का रोपण कर पोटीआर सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- ख. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रशासक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ग. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02/12/2018 से दिनांक 21/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करताकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में किने गये उत्खनन की जानकारी इन में उल्लेखित करते हुए खनिज विभाग से प्रमाणित करताकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं खनन की संधि में ग्राम पंचायत सुप्ली का दिनांक 04/01/2023 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - जैविक प्लान (अप्लेनमेंट) विथ इन्फार्मेशन केजिनेट प्लान एन्ड जैविक क्लेयर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ज.र.), जिला-दक्षिण बस्तर कोडर के पु. ज्ञापन क्रमांक 848-849/खनिज/उत्ख.पो. अनु./उ.प./2023 कॉपीर, दिनांक 28/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परियोजना में निम्न खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साठा), जिला-दक्षिण बस्तर एटीआर को ज्ञापन क्रमांक 170/खनिज/उ.प./2023-24

दोषाहा, दिनांक 11/06/2023 अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निर्धारित है।

6. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संयोजन - कारपोरेट कॉलेक्टर (स्थिति: खाना), जिला-दक्षिण कला दोषाहा के ज्ञापन क्रमांक 171/समिति/स.प./2023-24 दोषाहा, दिनांक 11/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वक्ता खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बरिद, पुल, राज्यमार्ग, अस्पताल, स्कूल, एनिकेट बंगला एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। संकलन, सीमित लब्ध समीक्षा अटल नगर नवा राधपुर के पु. ज्ञापन क्रमांक 172/समिति 02/स.प. समीक्षण/स.प. 04/2021 नवा राधपुर, दिनांक 10/01/2023 द्वारा वक्ता लीज का समीक्षण (amalgamation) मेसर्स विराट मिनरल्स प्रो.- श्री रमेश कुमार सुराना के नाम पर किया गया। समीक्षा (amalgamation) लीज क्षेत्र की विस्तार दिनांक 20/01/2022 तक है। लीज का समीक्षण (amalgamation) विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	पट्टेदार का नाम	खसरा क्रमांक	सीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर)	अवधि
1.	मेसर्स विराट मिनरल्स प्रो.- श्री रमेश कुमार सुराना	888/2 (पार्ट)	1.42	दिनांक 21/01/1987 से 20/01/2022 तक
2.	मेसर्स विराट मिनरल्स प्रो.- श्री रमेश कुमार सुराना	888/2 (पार्ट)	1.82	दिनांक 21/01/1987 से 20/01/2022 तक
समीक्षण पर्याप्त कुल क्षेत्र			3.24 हेक्टेयर	

पूर्व में लीज मेसर्स पुनिक मिनरल्स दोषाहा प्रो. श्री ज्ञानी मालवीय के नाम पर की जा चुकी हस्तांतरण दिनांक 09/04/2021 की मेसर्स विराट मिनरल्स प्रो.- श्री रमेश कुमार सुराना के नाम पर किया गया।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति संलग्न की गई है।
9. वन विभाग का अनाथित प्रमाण पत्र - कारपोरेट कमन्डलरिजली, दोषाहा वनमंडल, जिला-दोषाहा के ज्ञापन क्रमांक/क.प.क./4916 दोषाहा, दिनांक 19/07/2023 से जारी अनाथित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बुडली 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-भासी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-भासी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। सोनली नदी 2.7 कि.मी. दूर है।
11. पर्यावरणीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय वन्यजीव निवास क्षेत्रों द्वारा घोषित जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्रों, पर्यावरणीय

संवर्धनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र विद्यत नहीं होगा प्रतिबोधित किया है।

12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व 13,04,383 टन एवं माईनेबल रिजर्व 6,37,278 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतियोगिता क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,127.5 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सीरी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। यू-एल से उत्खनन की अधिकतम गहराई 8 मीटर तथा उत्खनन हेतु पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में कपड़े मिट्टी उपस्थित नहीं है। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लैस्टींग किया जाता है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 430 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। सर्वेक्ष प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,68,888.00
द्वितीय	1,87,641.65
तृतीय	1,87,328.95
चतुर्थ	1,88,833.40

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरी के माध्यम से की जाती है। इस मात्रा ग्राम पंचायत का अनायास व्ययन वह प्रस्तुत किया गया है।
14. कुशलोधन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में करीब 7.5 मीटर की पट्टी में 1,740 नग कुशलोधन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए रशि 1,14,840 रुपये, पेंसिंग के लिए रशि 3,48,000 रुपये, खाद के लिए रशि 13,050 रुपये, सिंचाई एवं पत्र-पत्राज आदि के लिए रशि 3,75,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 8,50,890 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रशि 4,55,888 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के करीब 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

आयोज्य कनेक्टर (खनिज हाब्स) जिला-दक्षिण बस्तर कोटाड़ा के ज्ञान जगत 887 / खनिज / एन. / संप.01 / 2022-23 वित्तवर्ष, दिनांक 25/11/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार रैन (Slaps) निर्माण हेतु स्वीकृत क्षेत्र के बाहर लगभग मात्रा 250 घनमीटर खनिज का अधि उत्खनन किया गया है। पत्र के संकेत में इनके विरुद्ध अधि उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर रुपये 1,22,000/- अर्थात् अनायास कर रशि वसूल की गई है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपर्युक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh)

				Rupese)
45	2%	0.50	Following activities at Village- Dharti	
			Pavitra san	5.20
			Total	5.20

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिष्कृत एवं निर्माण" के तहत (आवासीय, वीथी, जल, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नम चौकी के लिए राशि 3,300 रुपये, ट्री-साई के लिए राशि 10,000 रुपये, खाद के लिए राशि 150, सिंचाई तथा बरछ-रखाव आदि के लिए राशि 1,49,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,63,050 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,57,440 रुपये हेतु परामर्शक जल का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत धुरली के सह्यति उपर्युक्त परामर्शक स्थान (खसरा क्रमांक 1258, बीजफल 0.95 हेक्टेयर में) के संकल में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्ष विधौलीयिकल प्लान अनुसार जल, लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (राजस्व के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में प्रदर्शित हो रहा है। समिति का मत है कि जलक्षेत्र के लिए प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर लीज क्षेत्र के भीतर जल संचयित किया जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्तानुसार सर्वेक्ष प्लान (Surface plan) को संशोधित कर जलिय विभाग के प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवंटित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग वृक्षारोपण किये जाने एवं सीमित चौकी का 5 वर्षों तक जलित देखभाल व रख-रखाव करने हेतु समझौदा रेट (Survival rate) 50 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने संबंध संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सर्वेक्षण सौकरिता प्राप्त होने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अंतर्ग सी.ई.आर. प्रयोजन राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए सार्वजनिक समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रयोजन के अनुसार कार्य करने संबंध संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. फ्लॉटिंग का कार्य बी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत लिसेन्सीटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने संबंध संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण नीति के तहत स्थानीय लोगों एवं निरक्षर आबादी क्षेत्र के निवासियों को राजस्व में प्रभावित दिये जाने हेतु संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के नियंत्रण हेतु नियमित जल विश्लेषण किये जाने संबंध संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत काल्पुष्पि विनर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने संबंध संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट के अनुसार विभिन्न जलवायु क्लाइमेट सिम्युलेशन किये जाने बाबजू राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. जलवायु रिपोर्ट को जलवायु से संबंधित कठोर बनाने जाने एवं सुझाव का ध्यान राखे जाने बाबजू राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दूधिया जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, पोखर, नदी, नाला नहीं किये जाने बाबजू राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/प्रदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश की अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause no. Union of India and petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबजू राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause no. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबजू राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा वास्तव्य सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भासा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/12/2016 से दिनांक 31/03/2018 तक किन्हीं नए उत्खनन की कार्यावधि भासा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किन्हीं नए उत्खनन की जानकारी दर में प्रत्येकित काली हुई खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन के लिए प्रतिबंधित 3.5 मीटर चौड़ी सीमा पराटी को उत्खनन सीमा क्षेत्र के भीतर हजार स्थानित किये जाने हेतु संशोधित सर्वेक्षण प्लान (Detailed plan) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त अधिनियम जानकारी/प्रमाणित प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., उत्तरीखण्ड के ज्ञापन दिनांक 02/01/2024 की परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रमाणित दिनांक 29/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 12/03/2024

समिति द्वारा नती, जलसुत जानकारी का प्रदर्शन एवं परीक्षण करने का निम्न निम्नी गई गई:-

1. छातीलपड पर्यटन संस्थान मंडल, नवा राजपुर अटल नगर के जलपन जलपन 8458, दिनांक 28/02/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यटनपर्यटन स्वीकृति का वातन प्रविष्टन प्रविष्टन किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यटनपर्यटन स्वीकृति के पर्यटन में विगत वर्षों में किसे कसे वातनपन की जानकारी प्रविष्टन किया से प्रविष्टन कराने निम्नानुसार जलसुत निम्नी गया है:-

- कर्मांतर कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-दक्षिण बरतन दलीवाड़ा के जलपन जलपन 881/खनिज/जा/2023-24 दलीवाड़ा, दिनांक 20/12/2023 द्वारा वातन जलपन 888/2, क्षेत्रफल 4.5 एकड़ क्षेत्र में विगत वर्षों में किसे कसे वातनपन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	जलपन (टन)
2016-17	निरंक
2017-18	303.18

- कर्मांतर कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-दक्षिण बरतन दलीवाड़ा के जलपन जलपन 882/खनिज/जा/2023-24 दलीवाड़ा, दिनांक 20/12/2023 द्वारा वातन जलपन 888/2, क्षेत्रफल 3.5 एकड़ क्षेत्र में विगत वर्षों में किसे कसे वातनपन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	जलपन (टन)
2016-17	निरंक
2017-18	590.08

- कर्मांतर कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-दक्षिण बरतन दलीवाड़ा के जलपन जलपन /745-1/खनिज/जा/2023-24 दलीवाड़ा, दिनांक 17/10/2023 द्वारा वातन जलपन 888/2, क्षेत्रफल 4.5 एकड़ क्षेत्र में विगत वर्षों में किसे कसे वातनपन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	जलपन (टन)
2016-18	3,907.11
2019-20	17,388.84
2020-21	18,808.18
2021-22	23,808.00
2022-23	31,871.38

- कर्मांतर कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-दक्षिण बरतन दलीवाड़ा के जलपन जलपन /745-2/खनिज/जा/2023-24 दलीवाड़ा, दिनांक 17/10/2023



द्वारा खनारो क्रमांक 338/2, क्षेत्रफल 3.5 एकड़ क्षेत्र में विनियमन की गई है।
यदि उत्खनन की संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	8,119.02
2019-20	21,626.84
2020-21	18,101.15
2021-22	18,847.20
2022-23	17,742.55

- उत्खनन के लिए अतिरिक्त 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बढ़ाई की छोड़कर सीमा क्षेत्र के भीतर उत्खनन स्थलित किया जाने हेतु संबंधित सरकारी प्लान (Surface plan) प्रस्तुत किया गया है।
- समिति का मत है कि सीईआर, एवं कृषासेवा कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु डि-प्लीट समिति (प्रिन्सिपल/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अध्यक्ष/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर, एवं कृषासेवा का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त गठित डि-प्लीट समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
- राज्यीय एन.डी.टी., डिप्लोमा रीड, नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्षित पारंपरिक विस्तृत भारत सरकार, सर्वेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोविजनल एप्लिकेशन नं. 188-जीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceeds 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environmental clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय खलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-दक्षिण बल्लार दोराबाड़ा के सार्वजनिक क्रमांक 170/खनिज/व.न./2023-24 दोराबाड़ा, दिनांक 11/08/2023 अनुदान आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त खदानों की संख्या निर्धारित है। आवेदित खदान (ग्राम-भुखली) का क्षेत्रफल 3.24 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सबकुल/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मान्य रखी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेरुत विस्तृत मिस्टर (अमलकेसरन अर्द्धवर्ती स्टोन क्वारी, जे.- की लेश सुमार सुराग) को ग्राम-भुखली, लहरीज-दोराबाड़ा, जिला-दक्षिण बल्लार दोराबाड़ा के पार्ट जीए

संलग्न तालीम परीक्षणले प्रभावकारीता प्रमाणित गर्दछ (एच.ई.आर्.ए.ए.). प्रमाणितताको तथ्याङ्कमा आधारित विवरण यहाँ।

विद्युत संचयनार्थक उपकरण को सबसे अधिक उपयुक्त है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
प्रतीक्षित

सामान्य सचिव विशेषज्ञ अनुसंधान समिति
प्रवर्तनागार

नैसर्गिक एवं एक इंटिग्रेटेड (जे- बी नीलम शर्मा, चौरमट्टी लाईम स्टोन कार्टी)
को सारा अर्थात् पार्ट ऑफ 2019/1, कुल लीज क्षेत्र 1.48 हेक्टेयर, ग्राम-चौरमट्टी,
तहसील-नामगढ़, जिला-जालंधीर-पंजाब में चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन -
2,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। आत इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.48 हेक्टेयर अथवा छातीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का प्रतिस्वजन उत्खनन 2,50,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पहले सुचने लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (पंचा संशोधित) की प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की मुख्य प्रवेश द्वार पर शुभला पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आर्सेल एवं रेसोर्सेस सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. लाइसेंस हेतु प्रस्तुत कीमती इन्फ्रास्ट्रक्चरल फीजबिलिटी प्लान के अनुसार पूंछाटोपण एवं परिवहन संकल्प एवं खदान से परिवहन संकल्प तक धतुम मार्गों के संरक्षण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार नदियों/खानों द्वारा लाईमिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं भरेलु दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की क्षमता एवं क्षमता व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक ड्रिफ्टिंग एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सहायी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अतः इसे ड्रिफ्टिंग में अथवा पूंछाटोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। भरेलु दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरपैट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सहायी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपस्थापित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खानन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस विधि तहत किया जाएगा, जिससे वह घास, वनस्पतियाँ, जलोई आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान अधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. यू-जल के उपयोग हेतु सैन्टीम यू-जल बोर्ड से वास्तव्यन आदेश करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से वास्तव्यन आदेश करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी विनयी / वेट / पाईट बोर्ड से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 80 मिटीग्राम / सायन्ड धूलपीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। प्रवाह, स्थिर, ट्रांसफर पाइपलाइन (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इन्स्ट एन्सटेमेशन सिस्टम के साथ राज्य सरकार का वेग चिह्नित स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न क्वैलिटी इन्स्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टी मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य इन्स्ट उत्सर्जन किन्टुजी इन्स्ट कंटेनमेंट कम कंट्रोल सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ड्रेडिंग बोल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. बहनी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुकूल रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परियोजना वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परियोजना मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान के चारों तरफ बरतन का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. सीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषासेवा किया जाए। ऐसा करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय सौकरुति किसी भी समय उपवास प्रभाव से निराल की जा सकती।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान इटाई माई ऊपरी मिट्टी (टीम सीईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुन. बहाल हेतु अन्तः बहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भण्डारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विरुध एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खान के पुनर्भरण के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिजली उपयोग खनिज (किंग सीक) को पृथक से पूर्व से विहीन स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृषासेवा किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो आवश्यकताएँ एवं अन्य अनुमोदी/विहीन अवशेष खनिज (वेस्ट रीक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में सुरक्षित (बैंक रिलीज) हेतु उपयुक्त किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग अथवा वसति वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से वातावरण सिस्टम क्षेत्र क्षेत्र के आर-पार के सखी जल स्तरों में प्रभावित न हो। इसे रोकने हेतु नार्थन पीट तथा अन्य क्षेत्र में सिट्टिंग वॉल / गार्लेन्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कच्ची चट्टान से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन जब यह वाहनों को सड़क से अधिक नहीं गवा जना सुनिश्चित किया जाए।
21. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.12	2%	1.08	Following activities at Nearby, Village- Chorbhatti	
			Plantation around village pond	1.35
			Total	1.35

22. सीईआर के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सीईआर के उपयोग प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरंत संबंधित हानि संशोधन से कार्यपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त कर अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित कभी कुरे प्रस्तुत किया जाए। सीईआर कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अथवा संतुष्टीकरण होगा। कुसाटोपन असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सीईआर के अंतर्गत तालाब के चारों ओर कुसाटोपन (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 140 नग चौकी जिसमें से 40 नग चौकी कुल पूर्व से तालाब के चारों ओर अवस्थित है। क्षेत्र 100 नग चौकी के लिए प्रति 10,000 रुपये, कोराम के लिए प्रति 15,000 रुपये, आर के लिए प्रति 5,000 रुपये, सिंगरई के लिए प्रति 6,000 रुपये तथा रस-रसल आदि के लिए प्रति 10,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु प्रति 6,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 61,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 64,000 रुपये हेतु पर्यावरण धन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा धान संशोधन कोरल्टी के सखती उपरंत कमायोग धान (खसरा क्रमांक 1150, क्षेत्रफल 0.571 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 1151, क्षेत्रफल 0.553 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
24. सीईआर एवं कुसाटोपन कार्य के कोऑर्डिनेट एवं पर्यवेक्षण हेतु नि-क्षेत्र समिति (मेन्सईटन/प्रतिनिधि, धान संशोधन के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या कल्लिभगड पर्यावरण संरक्षण समिति के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) नतिर किया

जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत सटिल बि-बडीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निर्दिष्ट दल/अधिकारी निर्दिष्टन हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोख/भट्टा के निर्दिष्टन के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवक द्वारा कराये गये कार्य का निर्दिष्टन भी अधिकारी का से कराया जायकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (जहाँ ताल 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र) हील क्षेत्र ओसाबडीय अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 541 नमूने का संपन कुशलरोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। इतिहास पट्टी का विकास संदीय प्रदूषण निरोधन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्रथमिकता के आधार पर खदान प्रथमन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 नमूने प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, पीम्, करंज, पीरु, आम, इनली, कजुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 700 नमूने पीपल का रोपण (कुल 1,541 नमूने पीपल) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुदृष्टित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जहाँ कटिदार तार के बड़ अथवा ट्री वाई का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्दीत क्षेत्र में उपरीक्षानुसार कुशलरोपण किया जाए। उपरीक्षत कुशलरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं बीच 4 वर्षों तक रक्त-रक्तव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट लंबाई वाले पीपल का ही रोपण किया जाए। कुशलरोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय सहीकृति तात्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पीपल में संख्यांकन (PlantLabeling) एवं पीपल के नाम का प्रत्येक करते हुये डिप्लेट (Tag) फोटोग्राफ सहित जानकारी वाला डिप्लेट के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर संपन कुशलरोपण किये जाने एवं रोपित पीपल का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशलरोपण का रक्त-रक्तव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये नुत पीपल को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आगामी द्वारा रोपित पीपल के कुशलरोपण को सफल बनाया जायकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये कुशलरोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अवैतारिक रिपोर्ट में समहित करते हुये प्रतीसगद सर्वेक्षण संस्थान सफल एवं एस.ई.आई.ए. प्रतीसगद को प्रेषित किया जाए।
31. परीक्षोचना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय सहीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परीक्षोचना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के निरोधन हेतु आवश्यक उपकरण किया जाए। ध्वनि का सार उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारी को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर विविधराष्ट्रीय जीव एवं आसक्तकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
33. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल सार के संपन असंतुष्ट प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। मू-जल सार की क्षति न पहुँचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।

34. छात्रों की शिक्षा इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई नुकसान न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण अपनाया जायेगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीन छवि का प्राचनन भारतीय गीन छवि नियम, 2018 के प्रावधानों, अनुमोदित प्राचनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रकल्प योजना के अनुसार किया जाए। मई 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. सर्व स्तर पर यदि अभिनव अभिकार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अभिकार्यों के आकार एवं सुख हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आकासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. अभिकार्यों के लिए खाने खाद्य पर खाद्य पेयजल निविस्कारीय सुविधा, सैन्टरीन टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. अभिकार्यों का समय-समय पर आकृष्टकाल हेतु परिवर्तित करना आवश्यक है।
39. प्राचनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित प्राचनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें प्राचनन, छवि का माप एवं अपेक्षित समितित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए. भारतीय गीन / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अधिकार किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्था पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संस्था को भुक्तान प्रदान करने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एन.ई.आई.ए. भारतीय गीन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संप्रदाय में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोष्य रूप में पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संतोष्य/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निषाध के बानधों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
42. परियोजना प्रस्तावक नूतन 2 स्थानीय संस्था पर भी, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवलय, भारतीय गीन पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन.ई.आई.ए. भारतीय गीन के वेबसाइट www.mca.gov.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की वर्ष वार्षिक रिपोर्ट भारतीय गीन पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय गीन पर्यावरण संरक्षण मण्डल, निलासपुर, एन.ई.आई.ए. भारतीय गीन एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदात शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उपलब्ध किए गए दस्तावेजों एवं आदेशों का पूर्ण रीट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकी/अधिकारियों को सारी के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली नोटिफिकेशन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट सारी का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
46. परियोजना प्रस्तावक छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई सारी को अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये सारी जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरोधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरोधन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी, परिसंकेतपूर्ण और अन्य अधिष्ठित (प्रकाश एवं सीमागत संघटन) नियम, 2018 तथा लोक सचिवालय सेवा अधिनियम, 1997 (यथा संबंधित) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ इस पर विचार कर सारी की उपयुक्तता अथवा नवीन सारी निर्दिष्ट करने अथवा निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल प्रादेशीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विषय अर्पित वेतनात तीन ट्रीब्यूनल के समक्ष वेतनात तीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में ही जा सकती है।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

— अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

नैसर्गिक मरकाडोंड विस्तृत क्षेत्र एवंड किल्ला क्वाटी (जे- बी बलदेव प्रसाद जायसवाल) को खसरा क्रमांक 713/1, 713/2, 721, 722 एवं 714, ग्राम-मरकाडोंड, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-सामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्र 2248 हेक्टेयर में से 1.31 हेक्टेयर, मिट्टी जाखनन (पीन खनिज) क्षमता - 712.28 घनमीटर (14,24,820 गन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिनियमित किसी कन्ट्रोल में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. खदान क्षेत्र 1.31 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी जाखनन (पीन खनिज) क्षमता - 712.28 घनमीटर (14,24,820 गन) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कठकन पहले नुमाये लगाया जाए। लीज क्षेत्र के चारों ओर तार से घेरावही किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई एक्टिविटी (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तों का पालन करना जाएगा। पर्यावरण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की किल्ला भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए, नोटिफिकेशन, 2006 (जथा लागू) के प्रावधानों के पालन रहेगी।
5. पर्यावरण प्रभावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अक्षरों एवं देशांतर सहित, खदान की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर खदान क्षेत्र की पर्याप्त सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 एवं जारी अधिनियम दिनांक 22/02/2002 में मिट्टी जाखनन हेतु निर्धारित गाईड-लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. खदान की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। खदान प्रक्रिया नू-जल सार के पार आसपास प्रभाव में की जाएगी एवं खदान प्रक्रिया नू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
8. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपयोग की प्रक्रिया एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्नस्थित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा कृत्रिम रूप से पुनःउत्पन्न किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपयोग के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोलरपैट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्नस्थित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं पर्यावरण का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। पलायित दूषित जल की नुकसान भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा

अधिसूचित मानक अथवा प्राचीनगढ़ पर्यावरण संरक्षण संकेत द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. यू-जल के उपयोग हेतु सैन्टीम यू-जल बोर्ड से पर्यावरण असेस करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
10. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्युमिटिव हस्त उत्खनन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। यूरियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, सोडियम, पोटैशियम एवं अन्य हस्त उत्खनन किन्तुओं पर जल विद्युत की आवश्यकता किया जाकर इसका सात संयोजन / संयोजन सुनिश्चित किया जाए।
11. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संकलन द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. तीव्र अधिसूचित के रूप में उत्पन्न ईट को टुकड़ों आदि को यू-माल एवं रोड के संयोजन हेतु उपयोग किया जाए।
13. क्लाइंट्स को जल से बचाने के लिए समय-समय पर धोने का विज्ञापन किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की क्लाइंट्स रोड संयोजन आस-पास के क्षेत्रों में जीवजल पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
14. उत्खनन के दौरान डस्टाई ग्राई जर्सी मिट्टी (टीप सीईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयोग नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनर्वास हेतु अथवा बहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर जर्सी मिट्टी (टीप सीईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्सोलिडेट) उपयोग किया जाया संभव न हो, तब इसे प्लांक से मजबूत कर बरिष्क में उपयोग हेतु रखा जाए।
15. ओवरबर्डन एवं अनुसंधानी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि मजबूत पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें एवं खनन के परभाव होने मझी में पुनर्वास (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा बरिष्क वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। मजबूत जंग की ऊंचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन जंग का सतह रोकने हेतु वैकल्पिक तरीकों से दृष्टांत किया जाए।
16. पर्यावरण संरक्षण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट सीधे क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु क्राईन बैंड, डम्प बैंड, ईट ब्रेक बैंड से रिटेंगिंग बैंड / ग्राउन्ड बैंड की व्यवस्था की जाए।
17. मिट्टी, क्लाइंट्स एवं ईट का परिवहन तात्कालिक अथवा अन्य उपयुक्त वाहन से इकट्ठे हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बहने नहीं मिले। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समय से अधिक नहीं यह जाना सुनिश्चित किया जाए।
18. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव या कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
43	2%	0.86	Following activities at Village- Markadand	
			Paints Van Niman	13.15
			Total	13.15

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्रवाई 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आवधिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/उद्योग/मट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवक के द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना अवधी जिम्मेवारी होगी।
20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "अन्य कम निर्माण" के तहत कुआरोंपन (बीम, आम, करंज, कदम, जामुन, अमला, अमलाताम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,063 नम पीछे के लिए राशि 80,028 रुपये, बीमिंग के लिए राशि 82,500 रुपये, आम के लिए राशि 7,890 रुपये, सिमरई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा सब-रस्ता आदि के लिए राशि 1,48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,18,418 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,89,082 रुपये हेतु बटवकार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मरकादंड के सामग्री उपरान्त आधारोग स्थान (खसत क्रमांक 188, क्षेत्रफल 0.421 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
21. सी.ई.आर. एवं कुआरोंपन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु डि-अडीय समिति (प्रोगराइजर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं स्थल प्रशासन का अस्वीकृत पर्यवेक्षण संस्थान सम्बद्ध के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुआरोंपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित डि-अडीय समिति में सम्मिलित कराया जाए।
22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/उद्योग/मट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवक के द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना अवधी जिम्मेवारी होगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यवेक्षण हेतु विभिन्न क्षेत्र (कारों तथा 01 मीटर चौड़ी रोड), होल रोड, ओवरबोर्ड टन्ग आदि में स्थानीय प्रजाति के 260 कुर्छों का संपन कुआरोंपन किया जाए। इतिल पट्टी का विस्तार केन्द्रीय ग्रूपन निमज्जन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
24. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 260 नम पीछे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, नीयू, आम, इमली, अर्जुन, मोरल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पीछे का रोपण 3 पंक्तियों में खदान से खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त

ज्वरलक्ष (ज्वर) काटिद्वारा रक्त को बाहर अथवा ट्री नार्स का उपयोग किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संश्लिष्ट घाम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में उपयोगानुसार कृषारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपयोग कृषारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कृषारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय सौकरुति निरस्त की जा सकती है।

26. रोपित किये जाने वाले पौधों में संस्करण (Planting) एवं पौधों को नाम का चस्मेक करते हुये कोटोडासत सहित जानकारी अवैकषिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सवन कृषारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सत्याईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृषारोपण का रक-रखाव जागगी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये गुप्त पौधों की प्रतिस्यापित (Morally replacement) किया जाए।
28. किये गये कृषारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं कोटोडासत अवैकषिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रतिसागद पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाज आसतल प्रतिकरण (एच. ई.आई.ए.ए.) प्रतिसागद को प्रेषित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिश्लिष्ट क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं गी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चये जाने पर पर्यावरणीय सौकरुति की निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. राखन क्षेत्र में जनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
31. राखन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कलपतिधों एवं जीव-जन्तुओं पर दुधभाव न हो।
32. निट्टी राखन प्रतिसागद नीज अनिल निधन, 2013 के प्राकाशनी, अनुमोदित राखन योजना एवं पर्यावरणीय प्रभाज योजना के अनुसार किया जाए।
33. कार्य स्थल पर यदि केम्पिग अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे कमिओं के आवास प्रेषित ज्वरलक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आभासीय ज्वरलक्ष अस्थायी सांरचनाओं के रूप में हो सकती हैं, जिसे परियोजना पूरी होने के प्रस्ताव हटाया जा सके।
34. कमिओं के लिए खनन स्थल पर सवाय पैगजल विविधस्तरीय सुविधा, नोबदल टायलेट आदि की ज्वरलक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
35. कमिओं का समय-समय पर आस्युपेक्षणत हेल्थ सर्मिलेस बनाना आवश्यक है।
36. इस पर्यावरणीय सौकरुति को जारी करने का आसय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय सौकरुति किसी निजी सम्पत्ति को मुक्तान अधूनने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी/विधियों के रत्संधन हेतु अधिकृत करता है।
37. राखन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित राखन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें निट्टी राखन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच. ई.आई.ए.ए. प्रतिसागद / पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. एस.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की कमीशन में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा कार्यवाही / निरस्त करने के मामले को और संस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 जार्वीय संरक्षण पट्टी में जो कि परियोजना क्षेत्र के आवा-पास आवाक रूप से प्रसारित हो पर्यावरणीय लक्ष्यकृत प्रस्ताव होने के 02 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना जो पर्यावरणीय लक्ष्यकृत प्रस्ताव हो गई है एवं पर्यावरणीय लक्ष्यकृत पत्र की अतिरिक्त परिवर्तन, छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अस्वीकृत हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अस्वीकृत वेबसाइट www.mca.gov.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय लक्ष्यकृत में दो नई शर्तों के पालन हेतु जो नई कार्यवाही की एवं वार्षिक रिपोर्ट छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यलय छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अधिकारालय, एस.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
40. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय लक्ष्यकृत में उपलब्ध शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये रिपोर्टों एवं अपेक्षा का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
41. एस.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिक/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करने पर पर्यावरणीय लक्ष्यकृत निरस्त की जा सकती है।
42. परियोजना प्रस्तावक छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशेक्यताओं और अन्य अधीनस्थ (प्रबंध एवं सीमांत संघर्ष) नियम, 2016 तथा लोक सभिय बीमा अधिनियम, 1954 (नया संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
43. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने संबंध निर्णय ले सके। विवरण में कोई भी विवरण अथवा अनुमान एस.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

44. उत्तरीसंगठन पर्यावरण संरक्षण संगठन पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कोऑर्डेटर/राष्ट्रीयस्तरीय कार्यालय में विपणन की अवधि के लिये प्रदर्शित करेंगे।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की समझ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में ही जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सर्वोच्च न्यायालय (पी- सुनील कुमार अग्रवाल, बेलमारा कोलोनाईट स्टोन मॉनिंग) की कसबा क्रमांक 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/1, 218/2, 218/1, 218/2, 218/3 एवं 220, कुल लीज क्षेत्र 1.818 हेक्टेयर, राज्य-बेलमारा, तमिलनाडु-तल्लूरपुर, जिला-विलासपुर में कोलोनाईट (पीन खनिज) उत्खनन - 12,323.75 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.818 हेक्टेयर अथवा उत्तरीसंगड़ तालुका, खनिज तालुका विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से कोलोनाईट का अधिकतम उत्खनन 12,323.75 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कसबा परचों मुाने लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की विषय भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (स्था संशोधित) के प्रावधानों को तथ्या पड़ेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज प्रारंभ का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अवधि एवं वार्षिक क्षमता, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अर्थात्) लगाया जाए।
4. कलक्टर हेतु प्रस्तुत कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान की अनुसार वृद्धापीन एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुँच मार्गों के संभालन का कार्य 8 माह में पूर्ण किया जाए।
5. कलक्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिवर्ष मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट उत्तरीसंगड़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तरीसंगड़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, विलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसंगड़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर की अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. मानवीय एन.जी.टी. के अधिनियम दिनांक 26/02/2002 के अनुसार परदेवार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं परेतु दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की सुविधा एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए अतः इस प्रक्रिया में अपना वृद्धापीन हेतु पुनःव्ययोजन किया जाए। परेतु दूषित जल के उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं परेतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी

वायुवाता की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. सभी पदार्थ वास्तव स्थल संभालन बंद करने के उपरांत (और decomposing material operations) मानक क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी स्थान परिवर्तितों के कारण प्रभावित (disturbed due to these material activities) हुए हैं, वापसी ग्री-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह जंग, वनस्पतियों, जीवों आदि के वापसी हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रभावक द्वारा स्थल प्राधिकारी से अनुमोदित माईन कार्टाज प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्ति की जाए। साथ ही अन्य स्वीत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी सिमेंट / ग्रेट / माईट बोर्ड से सर्टिफिकेटेड ग्रेट उत्खनन की मात्रा 60 मिमीघाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, सबीन, ट्रांसफर प्लांट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्ट्रा एकाइस्लाग सिस्टम के साथ उच्च दबाव का रेन फिल्टर स्थापित किया जाए। स्थान उत्खनन परिवर्तितों के विभिन्न स्तरों से वास्तव सफुटिडिब ग्रेट कार्जर्ज का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। ग्रीन मार्ग, रेन्, संग्रहण क्षेत्र, बरतई एवं अन्य ग्रेट कार्जर्ज विन्दुओं ग्रेट कंटेनमेंट कम स्टीशन सिस्टम एवं जल डिस्चार्ज की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ड्रेकिंग बॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. बाहरी, घनन एवं अन्य क्रिया से वास्तव वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1987 के तहत विभिन्न मानकों के अनुसार तथा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवर्तित वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, जल और जल वायु परिवर्तन स्वास्थ्य, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रभावक द्वारा खदान के बासी तलक केंद्रित का कवाई किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कवाई प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के बासी तलक छोड़ी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई ग्रेट का डंप / संचालन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षरोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय सौकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निवृत्त की जा सकती।
15. उत्खनन क्रिया के दौरान हटाई गई अपनी मिट्टी (टीम सीईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुनर्स्थापन हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक की छिदर (स्टेडिलाईज) करने में किया जाए।
16. अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाह्य प्रभाव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संयोजित तथा जाए। मिट्टी का पुनर्स्थापन, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्स्थापन के लिए किया जाए।
17. औद्योगिक एवं अनुपयोगी / बिजली आयोग स्थान (विश्व बैंक) को पुनर्स्थापन के पूर्व से विहीत स्थल पर संचालित किया जाएगा। इस प्रकार के संचालन स्थलों को

वर्षित प्रभाव से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पर्याप्त जल-वायु की भूमि पर विपरीत प्रभाव न पड़े। अन्य की औसत 3 मीटर तथा स्लीप 28 मिमी से अधिक न हो। जीवसूचक अन्य का समय सीकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृत्रिम किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो जीवसूचक एवं अन्य अनुपादोत्पी/विषी अयोग्य खनिज (डिस्ट रीक) की खनन के प्रभाव को रोकने में पुनर्वासन (रिक रिजिनिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वर्धित वैश्वीयक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के जल-वायु के सखी जल स्तरों में प्रभावित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिजिनिंग पीट / वातावरण ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कच्चाई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से वाहन नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. कोयला इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 4 वर्ष के लिए तब 5,58,398 रुपये के संकेत में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	2%	0.90	Following activities at, Village- Darri Belaara	
			Pavitra Van	12.22
			Nirman	
			Total	12.22

23. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 मज में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवैधित रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सम्पत्ता सुनिश्चित करना आचार्य उत्तरदायित्व होगा। कृत्रिम जलप्रवाह होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "चरित्र वन निर्माण" के तहत (मैम, जाम, जामुन, कदंब, कलंज, अमला, अमलतास, कालर आदि) कृत्रिम हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 288 मन पौधों के लिए तब 20,140 रुपये, बीसम के लिए तब 51,800 रुपये, सिचाई के लिए तब 1,20,000 रुपये, खाद के लिए तब 1,980 रुपये तथा गड-गडार आदि के लिए तब 1,58,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल तब 3,48,720 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल तब 8,73,048 रुपये हेतु घटकवार भाग का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दर्ती केसमल

की सहमति उपरोक्त पर्यावरण स्थान (खसरा क्रमांक 184, क्षेत्रफल 0.105 हेक्टेयर) के संरक्ष में प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

25. सी.ई.आर. बीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्लान, बीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहमति, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरोपन कार्य के निमित्त एवं पर्यवेक्षण हेतु डि-जॉयंट समिति (ड्रॉपडाईटर/प्रतिनिधि, एन पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जल संसाधन पर्यवेक्षण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. बीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्लान, बीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहमति, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरोपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित डि-जॉयंट समिति के सार्वजनिक करवा जाए।
26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, एक घण्टे खदान/खोज/बाहर के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आधारे द्वारा करवाये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक जिम्मेवारी होगी।
27. खदान हेतु निश्चित क्षेत्र (घाटी तल 1.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरलैंड ड्रम आदि में स्थानीय प्रजाति के 2.228 नम नुई का खदान कुआरोपन प्रथम वर्ष में किया जाए। इसी पट्टी का विकास जमीनीय प्रदूषण निरोधक रोड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
28. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, जर्बुंग, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 नम पौधों का रोपण (कुल 2.828 नम पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुदृष्टि रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यय (यथा अतिरिक्त तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वजह से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विनष्ट क्षेत्र में पर्याप्तानुसार कुआरोपन किया जाए। उपरोक्त कुआरोपन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं दोन 4 वर्ष तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊँचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। कुआरोपन नहीं करने पर जल पर्यावरणीय स्वीकृति ताकाल निरस्त की जा सकती है।
29. सीमित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उपलब्ध करते हुए जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ सहित जानकारी वाला प्रिंटेडन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
30. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर खदान कुआरोपन किये जाने एवं सीमित पौधों का सल्वाइवल नेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुआरोपन का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। इसके द्वारा सीमित पौधों के कुआरोपन को संफल बनाना आवश्यक पूर्ण जिम्मेवारी होगी।
31. किये गये कुआरोपन की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अतिवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए जल संसाधन पर्यवेक्षण संरक्षण मण्डल एवं एन.ई.आई.ए.ए. जल संसाधन को प्रेषित किया जाए।
32. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई से विदे गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, बीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहमति के कार्य करना नहीं किये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की आवश्यकता होगी।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीव ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इन्फोर्मेशन/नोट आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर सिकिन्सकीय जाँच एवं अवलोकता अनुसार जनता उपचार भी कराया जाए।
34. संट्रोस लासिटन का कार्ड हो।सी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग स्टोन) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। वेद ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अप्रतिष्ठित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया यू-जाल सार के तहत अनिवार्य प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया यू-जाल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंघर्षों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों एवं जीव-जन्तुओं का संरक्षित संरक्षण आवश्यक बाधित होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बेल्ट का उत्खनन प्रतीकसमूह ग्रीन बेल्ट नियम, 2015 के प्राधान्य, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। ग्रीन बेल्ट 1982 के प्राधान्य का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि केमिंग शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अथवा संरचनाओं को कम में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. श्रमिकों के लिए खाने सार का सख्त पैमाना सिकिन्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. श्रमिकों का समय-समय पर आयुर्वेदनात्मक होना सुनिश्चित कराना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, बेल्ट की मात्रा एवं अप्रतिष्ठित स्थिति है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकसमूह / पर्यावरण, वन और जलवायु परिकल्पना संरक्षण, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तित्व अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को भुक्तान पहुँचाने अथवा व्यक्तित्व अधिकारों के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उत्पन्न हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकसमूह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कल्पना में परिवर्तन अथवा निर्दिष्ट कार्य के संरक्षण सम से पालन न करने की दृष्टि से किसी भी कार्य में संशोधन/निस्त करने अथवा नई कार्य जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्तार के माध्यम से और कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.eca.cg.gov.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की जा सकी। रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदात शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अधिवाहक रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निषेधन) अधिनियम, 1986 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निषेधन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धिपत्र और अन्य अधिनियम (जिसमें एवं सीमांचल संरक्षण) विधाय, 2016 तथा लोक दायित्व बिल अधिनियम, 1986 (यहां संशोधित) के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिचर्चा होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्मित हो सके। खदान में कोई भी विवरण अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-धरमपुर एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करना।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति को विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

कार्य निमित्त, एस.ई.ए.सी.

कार्य निमित्त, एस.ई.ए.सी.

वेस्टार्ड आवागमन निगरानी (जो - की सुनीता तंबोली, तालपुर लाईन स्टेशन माईनिंग)
 को लागू करके 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8 एवं 45, कुल
 लीज क्षेत्र 3.199 हेक्टेयर, ग्राम-तालपुर, तहसील-महलपुर जौहाना, जिला-कबीरपूर में
 मूल भूस्वत्व (लीज कॉन्ट्रैक्ट) उत्खनन - 25,978.83 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में
 की जाने वाली है।

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की अधीन की जा रही है। अतः इन शर्तों को
 बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 3.199 हेक्टेयर
 अर्थात् इन्टीग्रेटेड माइन, कॉन्ट्रैक्ट माइन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (प्लॉट में
 से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से संचालन चलाने का
 अधिकतम उत्खनन 25,978.83 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की
 सीमाओं का सीमांकन कराकर पहले नुमाये लगाया जाए। लीज क्षेत्र के चारों ओर
 तार से घेरावदी किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की फैलाव भूखण्ड संस्कार के पर्यावरण, वन और जलवायु
 परिवर्तन, नकारात्मक द्वारा जारी ई.आई.ए. पोटेंशियल, 2006 (नया संशोधित) की
 आवश्यकताओं के तहत रहनी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज
 चालक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा,
 स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. संचालन हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी प्लान के अनुसार क्वार्टरिंग एवं
 परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुँच मार्गों के संस्कार का
 कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. मासिक एनजीटी के आवेक दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा
 माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने
 हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई
 हो) के उपचार की व्यवस्था एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी
 नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरक्षरित नहीं किया
 जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा कृषायोग्य हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू
 दूषित जल के उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोल्पीड की व्यवस्था की जाए एवं
 जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरक्षरित
 नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपक में न मिलने देने हेतु भी
 व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता चाचा सरकार, पर्यावरण, वन
 और जलवायु परिवर्तन, नकारात्मक - नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा
 इन्टीग्रेटेड पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के
 अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा चालक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after cessing mining
 operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि एनजी खान परिसरियाँ

के कारण उत्पन्नित (disturbed due to these mining activities) हुए हैं, उनकी री-हासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस विधि से एक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियाँ, जहाँ खादि के उत्पन्नित हेतु उपयोग हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल अधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक तरह के नीति प्रस्तुत किया जाए।

9. भू-जल के उपयोग हेतु कोन्दीय भू-जल बोर्ड से परावर्तन कारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्तरों से जल का उपयोग किये जाने की विधि में संबंधित विभाग से परावर्तन कारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी विनोद / वेड / पाईट सोल से पर्टिकुलर वेड पर उत्पन्न की मात्रा 50 मिमीघाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अगर सलिन, हाइड्रोज पाईटस (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डास्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेस फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पर्टिकुलर डास्ट परावर्तन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीय भार, रेन्, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डास्ट उत्पन्न बिन्दुओं डास्ट कंटेनमेंट कम सक्षम सिस्टम एवं जल सिंचन की व्यवस्था की जाकर इनका सतत संयोजन / संयोजन सुनिश्चित किया जाए। विनोद ड्रेजिंग क्षेत्र का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिसीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ बर्रिकेड का कार्य किये जाने के तत्वात ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
13. सीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेड का क्षेत्र / सम्भारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में फुलनेपन किया जाए। ऐसा करने नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई अपनी मिट्टी (टीर सीईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुनः स्थापन हेतु अन्यथा सहरी ओवरलैपिंग को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
15. अपनी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापन के लिए किया जाए।
16. ओवरलैपिंग एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेड रीक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थल पर भंडारित किया जाएगा। इस प्रकार के भंडारण स्थलों की चर्चित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भंडारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। अन्य की ऊँचाई 5 मीटर तथा स्तरीय 20 किमी से अधिक न हो। ओवरलैपिंग अन्य का कारण डेकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से फुलनेपन किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरलैपिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेड रीक) को खनन के तत्वात बने गड्ढों में पुनःस्थापन (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया

जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अत्यंत अधिक वैश्वनियम उपयुक्त भूमिनिष्ठा किया जा सके।

18. परियोजना प्रशासक द्वारा यह भूमिनिष्ठा किया जाए कि खनन प्रक्रिया में उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटर्निंग वॉल / चार्लेम्ब ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. खनन का परियोजना खनन क्षेत्र में किया जाए, ताकि खनन क्षेत्र से बाहर नहीं गिरे। खनन का परियोजना खनन क्षेत्र में बाहरों को क्षति से अधिक नहीं भरा जाना भूमिनिष्ठा किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.53	2%	0.99	Following activities at Village-Talpur	
			Plantation around Mukdham	1.30
			Total	1.30

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपर्युक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवैतनिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की लागत भूमिनिष्ठा करना अवैतनिक वित्तनियमित होना। वृक्षारोपण अवैतनिक होने का पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम तालपुर स्थित भूमिनिष्ठा के चारों ओर (अन्य कटइल एवं जलधन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 मग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार चारों के लिए राशि 8,000 रुपये, बेलिंग के लिए राशि 7,500 रुपये, काच के लिए राशि 2,500 रुपये, सिगाई तथा गन्ध-रसक्य जादि के लिए राशि 25,000 रुपये इस प्रकार प्रस्ताव करने में कुल राशि 40,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 80,000 रुपये हेतु भटखवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रशासक द्वारा ग्राम पंचायत तालपुर की सहमति उपर्युक्त वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 232, क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर) के संकेत में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य की सीमितरी एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-स्थीय समिति (ओपनईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का पर्यवेक्षण पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण होने के उपर्युक्त गठित कि-स्थीय समिति से सापेक्षित कराया जाए।
24. जब की निर्देशन दल/अधिकारी निर्देशन हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें स्थान/स्थान/मदद के निर्देशन के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत जाचकी द्वारा कराये गये कार्य का निर्देशन की अनिवार्य रूप से कराया जायगी निर्देशवाही होगी।

25. जाखन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (भारी तपक 7.5 मीटर लंबा क्षेत्र), लील रोड, ओशनवॉर्न कम्युनिटी में स्थानीय प्रजाति के 400 नम नुकी का सामान कुलरोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित मट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्रथमिकता के आधार पर खदान प्रक्षेपण द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लील क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम्, करंज, सीसू, आम, इमली, जर्बुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 840 नम पीछी का रोपण (कुल 1,040 नम पीछी) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (सबक काटेदार तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। खदान उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुलरोपण किया जाए। उपरोक्त कुलरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं क्षेत्र 4 वर्ष तक रख-रखाव किया जाए। 5 मीटर से 8 मीटर ऊंचाई वाले पीछी का ही रोपण किया जाए। कुलरोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय सौकुंति तात्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का चस्मांक करते हुए गिडोटेग (Gedtag) फोटोग्राफ सहित जानकारी वाला प्रतिलिपन के साथ कार्डबोर्ड में प्रस्तुत करें।
28. निर्दिष्ट लील क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सामान कुलरोपण किये जाने एवं रोपित पीछी का सनवाईमल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुलरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीछी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपसे द्वारा रोपित पीछी के कुलरोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये कुलरोपण की पुष्टी हेतु बी.बी.पी.एस. (Bilateral Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अभिवर्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्राचीनगढ़ पर्यावरण संरक्षण समूह एवं एन.ई.आई.ए.ए., प्राचीनगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रभावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय सौकुंति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रभावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर जलवन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विविधसहोय जीव एवं आवस्यकता अनुसार उनका सम्भार भी कराया जाए।
32. जलवन प्रक्रिया नू-जल सार के उपर असंतुष्ट ध्यान में की जाएगी एवं जलवन प्रक्रिया नू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। नू-जल सार की क्षति न पहुँचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।
33. जलवन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
34. परियोजना प्रभावक द्वारा पीछे ध्वनि का जलवन प्राचीनगढ़ सीमा स्थित नियम, 2018 के प्रावधानों, अनुमोदित जलवन क्षेत्रों एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। साईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि जेम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं की रूप में की सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वस्थ पोषण संबंधित विविधतापूर्ण सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकतामूलक हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं उपस्थित सम्पत्ति है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकमंड / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अर्थ है किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्जने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा कब्जा, राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकमंड पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वीकृति में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा समावेशन / निरस्त करने के मामलों को और स्पष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 3 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करने का कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति सम्बन्धित प्रतीकमंड पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकमंड की वेबसाइट www.mca.gov.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रतीकमंड पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रतीकमंड पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, मिताई-पुर, एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकमंड एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रावपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण रीट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रावपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकमंड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रावपुर / केंद्रीय प्रमुख नियंत्रण बोर्ड / प्रतीकमंड पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।

46. परिषदीय प्रस्तावक छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनकी तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धता और अन्य अपेक्षित (जैसे एवं सीमापार संयोजन) नियम, 2018 तथा लोक दण्डित बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संबंधित) के अधीन विनियमित की जा सकती हैं।
47. प्रस्तावित परिषदीय के बारे में एच.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अवकाश परिवर्तन होने की दशा में एच.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह को पुनः नवीन जानकारी सहित सुचित किया जाए, ताकि एच.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह इस पर विचार कर शर्तों की परम्परागत अवकाश नवीन शर्त निर्दिष्ट करने समर्थ निर्णय ले सके। छद्म में कोई भी विफलता अवकाश सम्पादन एच.ई.आई.ए.ए. छातीसमूह / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं दिया जाए।
48. छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रिंसिपल-ऑफिस एवं एग्जिक्यूटिव एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 46 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एच.ई.ए.सी.

सदस्य, एच.ई.ए.सी.

सैनाई हावाडुला सैन्ड माईनिंग (संशोधन, धाम पंचायत हावाडुला)
 को पार्टी ऑफ सैफ्ट कन्सॉल 1207, कुल डेपथ - 5 डेकटेयर के कुल 80 प्रतिशत
 क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, धाम-हावाडुला, तहसील-धानाग, जिला-उदयपुर-बस्ता-काँकेन,
 में महाबली से रेत उत्खनन कन्सॉल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण
 स्वीकृति में दी जाने वाली बातें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है: अतः इन शर्तों को
 बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन कन्सॉल सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की
 अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैन्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining
 Management Guidelines 2018) एवं ईन्फोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स
 फॉर सैन्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand
 Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैन्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement
 & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में ही
 उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. ग्राह अध्ययन (डिस्सेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में
 आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Dissection Study) करावेगा, ताकि रेत के
 पुनर्भरण (Replenishment) बाधा नहीं आकर, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट,
 स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के कानों की गुणवत्ता
 पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की
 प्रति जिला जनित्र अधिकारी एवं एआईआईएच, जग में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत
 की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं
 उत्खनन की अवधि निर्धारित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (नियत
 धाराक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अवधि एवं वार्षिक सीमा, उत्खनन की मात्रा,
 स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सैन्ड लाईन के साथ ही सीमेंट के खम्भे गड़ाना
 आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में संचय दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान जनित्र विभाग द्वारा अधिसूचित किसी ब्लॉकर में है, अथवा 500 मीटर
 के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 डेकटेयर से अधिक होता है तो
 पर्यावरण स्वीकृति कन्सॉल नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार रेत उत्खनन क्षेत्र 5 डेकटेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से
 अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का
 उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं।
 इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से
 अधिक नहीं होगा।
9. मानवीय एनजीटी के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेखान द्वारा
 माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने
 हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर नदी में रेत की मात्रा के माप (Levee) का सर्वे कर, उसकी आकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए. र. भारतीयमंड को प्रस्तुत किए जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं में सर्वेक्षण लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (सीमा क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी मात्रा के माप (Levee) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरंत मानसून के पूर्व (जुई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं पर रेत मात्रा के लेवर्स (Levee) का मापन किया जाएगा। रेत मात्रा के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर रेत मात्रा के लेवर्स (Levee) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। डी-मानसून के आंकड़े अवध 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए. र. भारतीयमंड को प्रस्तुत किए जायें।
11. रेत की खुदाई एवं भराई मशीनों द्वारा (Machinery) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संघ (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। तिर वेड में भारी वाहनों जैसे- जेसीबी मशीन, पोल्डोमैन्ड, लोडर, बैक्वाउप्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pit) में लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल किनारा, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई मात्रा से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी मात्रा से 1 मीटर छोड़कर बोरी में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 3 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तट (गार्ड रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टाप्पेज, बांध, एनीकट, जल प्रपात व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, एरियालिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्थावर बहाव (Free flow of water) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल लीज क्षेत्र में किया जाए जिससे कुछ जिल्ले आम-वास के क्षेत्र पर कोई भी सीध-अनु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कचुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आम-वास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सुदीप्य और सुदीपा की मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करने वाले जाने की स्थिति में अंधा उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रभावक के विरुद्ध निवेदानुसार कार्यवाही की जाएगी। पर्यावरणीय सतृप्ति निगराण भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत प्राप्त करने विभिन्न प्रभागों तथा लोकल / कमलडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले अनुचित रूप से उत्खनन को नियंत्रित हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परियोजना वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु प्रदूषण नियंत्रण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होने चाहिए।
18. रेत का परिवहन वाहनद्वारा अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसे दूर वाहन से किया जाए ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को हमला से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में खनिज प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. ग्रामिकाता को अभाव पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में नदीतट को कटाव को रोकने हेतु लोड क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बक, पीपल, पीन, कपड़, चीकू, आम, इलायची, चीरस आदि अन्य स्थानीय फलफूलों के कुल 1,000 नम पीछों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिसका कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। सफरीका वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीछों की बुख्ता एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संकपी आचार्य का साथ यह प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीछों की बुख्ता एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछों के नाम का उत्प्रेषण करती हुई फोटोग्राफ सहित जलनकरी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण नवीकृति निरस्त की जा सकती।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करती हुई मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करती हुई प्रतीसमय पर्यावरण संरक्षण समिति एवं एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमय को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतर्भूत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48	2%	0.96	Following activities at, Village- Haradola	
			Planting Van	0.40
			Total	0.40

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूरी किया जाए। सी.ई.आर. के तत्पश्चात् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आर्थिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कटौती गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत "प्रतिव रत्न निर्माण" के तहत कुआरेपन (बड़, पीपल, नीम, आम, इलाही, जर्बुन, कंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1.048 वर्ग फीटों के लिए राशि 78,125 रुपये, भस्मि के लिए राशि 81,600 रुपये, खार के लिए राशि 10,150 रुपये, सिंचाई तथा राख-सड़ाव आदि के लिए राशि 80,300 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,48,228 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 3,82,248 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत हाथकुल के सहयोग परमेश्वर पञ्चयोग स्थान (विस्तार करवांक 1250/2 क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के ताला में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं कुआरेपन कार्य की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-क्षेत्रीय समिति (प्रोक्वाइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रधान/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का उत्तीर्णन पर्यवेक्षण संस्थान सम्बद्ध के प्रधान/प्रतिनिधि) सहित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुआरेपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत सहित वि-क्षेत्रीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कटौती गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागीय, सम्बन्धी एवं अन्य संस्थानों से सौ सखनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमति प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्य-सम्य पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तीर्णन पर्यवेक्षण संस्थान सम्बद्ध द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. उत्तीर्णन रीम खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा सौ सखनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित सखनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रभाव योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कोयिल अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शमिकों को आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था असहायी तालकर्मियों के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
33. शमिकों के लिए खनन स्थल पर सम्यक पेयजल निहित/खरीद सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही गरीबों में

भारत मुक्त विचारधारा, अथवा छात्र सागरी के पीछे, पब्लिक आदि का विकल्प
प्रतिबिम्बित होगा। नती एवं नती जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।

34. कमिटी का समय-समय पर जायजमान होना सविज्ञान बनना जाये।
35. राजस्व की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित राजस्व योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. जलसंग्रह / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाये।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समिति पर अधिकार करने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संस्था को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकार अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एस.ई.आई.ए.ए. जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा से परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन से न करने की दृष्टि से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्त के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परियोजना प्रभावक न्यूनतम 2 स्थानीय स्थापना घाटी में जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास आसन्न रूप से प्रभावित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करना कि परियोजना को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए. जलसंग्रह की वेबसाइट <http://waterwatch.mca.gov.in> पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की कई वार्षिक रिपोर्ट जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जयदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. जलसंग्रह एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर की प्रेषित किया जाये। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए. जलसंग्रह भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर/क्षेत्रीय प्रमुख निदेशन क्षेत्र/जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकी/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये। परियोजना प्रभावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
41. परियोजना प्रभावक जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों

परिसंकटग्रस्त अधीनस्थ (अल्पम आयुक्त एवं सीमापार संघालय) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व सेवा अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

- 42 प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसंगठन में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वजह से एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसंगठन को पूर्ण नवीन पर्यवेक्षणी सहित सुचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसंगठन इस पर विचार कर हाई की उपयुक्तता अथवा नवीन हाई निर्दिष्ट करने का मत निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विवरण अथवा उन्मेषण एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसंगठन / भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
- 43 भारतीयसंगठन पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय पर्यावरणीय सौकरिता की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
- 44 पर्यावरणीय सौकरिता के विस्तृत अधीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए निकायों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष एस.ई.ए.सी.

वेक्टर अटर्न डिजाइन एवं ब्यारी (सी- वी अनुमति नगरपाली) को खासत प्रमाण 20, 21, 28, 30/1-2, 31, 34, 35/1, 36/1, 36/3, 37/1-2, 38, 39/1, 40/1, 41/1-2, 61, ग्राम-अटर्न, लक्ष्मील-मिर्जा, जिला-मिलानपुर, कुल लीज क्षेत्र 3.967 हेक्टेयर, मिट्टी जलक्षण (बीज खनिज) क्षमता - 1,704 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। जहां इन शर्तों को बहुत जगह से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज डिजाइन द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 3.967 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी जलक्षण (बीज खनिज) क्षमता - 1,704 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करके चारों ओर लगाया जाए। लीज क्षेत्र के बाहरी ओर तार से घेरावही किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। उल्लंघन पाये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के तहत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए, नीटिफिकेशन, 2006 (ग्रेड संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. पर्यावरण प्रभावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुक्त प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज क्षेत्र का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आर्कैड एवं टैक्साइन सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 के अनुसार किसी निश्चित स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परीक्षा सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी जलक्षण हेतु निर्धारित माईक-आईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुल्य प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिसिद्धि में नहीं किया जाए।
8. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की सुविधा एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी भी अवस्था में जल स्रोतों में किसी भी परिसिद्धि में निम्नारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अवस्था प्रदूषण हेतु पुनःप्रयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी भी अवस्था में जल स्रोतों में किसी भी परिसिद्धि में निम्नारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा

अधिसूचित मानक अथवा जलसिंचन प्रौद्योगिकी संस्थान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. मृ-जल के उपयोक्त हेतु केंद्रीय मृ-जल बोर्ड से परामर्श प्राप्त करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
10. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्यूरेजिटेड इन्स्ट फासफोरस का निर्यात अथवा एवं निर्यात रूप से किया जाए। पट्टी नार्म, रेम्प, संयोजन क्षेत्र, भराई एवं अन्य इन्स्ट फासफोरस बिन्दुओं का जल सिंचन की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संयोजन / संयोजन सुनिश्चित किया जाए।
11. जहाँ एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा निरोधन अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता बनाए रखकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. क्षेत्र अधिनियम के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को मृ-भरण एवं क्षेत्र के संयोजन हेतु उपयोक्त किया जाए।
13. भराई क्षेत्र को पहले से बचने के लिए समतल-समतल पर चर्चा का सिद्धांत किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की भराई क्षेत्र उपर्युक्त आस-पास के क्षेत्रों में केंद्रित पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
14. उत्खनन के दौरान बटवाई गई जमीन मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोक्त ईट निर्माण में उपयोग नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोक्त में नहीं जाने वाली भूमि के पुनः वृद्धि हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को फिर (रेविविटाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर जमीन मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (ऑनकरीटरी) उपयोक्त किया जाना संभव न हो, तब इसे पुनः से सम्बन्धित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि सम्बन्धित पर्याप्त आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पर्याप्त बने गड़कों में पुनः वृद्धि (रेविविटाइज) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वृद्धि वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सम्बन्धित इन्स्ट की ऊँचाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर से अधिक न हो। ओवरबर्डन इन्स्ट का सतह सीकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से क्लेस्टेपन किया जाए।
16. पर्यावरण प्रभावों का यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्टी क्षेत्र क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्तरों में प्रभावित न हो। इसे सीकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट बट्टा क्षेत्र में रिटर्निंग वॉल / फास्टेपन ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
17. मिट्टी, भराई क्षेत्र एवं ईट का परिवहन तालाबों में अथवा अन्य उपर्युक्त माध्यम से इसके दूरे वहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर दो वाहनों की संख्या से अधिक नहीं कर जाना सुनिश्चित किया जाए।
18. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.4	Following activities at nearby Village-Atarra	
			Provision of Water	2.00
			Total	2.00

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 मार्च में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आवेदनिक रिपोर्ट में सम्मिलित करके इसे प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खदोग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवेके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक होगी।
20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिज वन निर्माण" के तहत वृक्षारोपण (आमला, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, शिबू, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 750 नम चौकी के लिए प्रति 37,500 रुपये, चौराहे के लिए प्रति 75,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 5,000 रुपये, सिंचाई तथा सब-क्याब आदि के लिए प्रति 20,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 1,37,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 69,000 रुपये हेतु परामर्श कायम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अटवी के सहभागी उपरांत आवासीय स्थान (खसरा क्रमांक 74 क्षेत्रफल 0.884 हेक्टेयर में से 0.3 हेक्टेयर) के संकेत में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
21. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोक्लाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या कृषीसमृद्ध पर्यावरण संरक्षण समूह के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत प्रति त्रि-पक्षीय समिति से सम्बन्धित कराया जाए।
22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खदोग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवेके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक होगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वातावरण हेतु निम्नलिखित क्षेत्र (भारी तराई 01 मीटर चौड़ी रोड, डील रोड, ओवरलैंड रोड आदि में स्थानीय प्रजाति के 500 वृक्षों का रोपण वृक्षारोपण किया जाए। इति मट्टी का विकास क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
24. वातावरण के अभाव पर खदान प्रयोग द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 800 नम चौकी क्षेत्र क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कर्ज, शीतू, आम, इन्डली, अर्जुन, नीमस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का रोपण 3 पक्षियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कंटेनर लान के बड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए।

स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विनियत क्षेत्र में उपरीक्षासुचारु कुआरोपन किया जाए; 5 फीट से 8 फीट खोलाई वाले पीछी का ही रोपण किया जाए; उपरीक्षा कुआरोपन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए; कुआरोपन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

25. रोपित किये जाने वाले पीछी में संयोजक (Mentoring) एवं पीछी के नाम का उल्लेख सभी दुर्य फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्पणार्थक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
26. माइनिंग सीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सभ्य कुआरोपन किये जाने एवं रोपित पीछी का सजाईयत रेट (Surbhakti rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुआरोपन का एक-एकल अंगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित कटो दुर्य पूरा पीछी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
27. किये गये कुआरोपन की दुर्यी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्पणार्थक रिपोर्ट में सम्मिलित कटो दुर्य फल्लोसगड पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), फल्लोसगड को प्रेषित किया जाए।
28. परियोजना प्रभावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबद्धित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. को तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. जलजन्य क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
30. जलजन्य की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्थितियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।
31. मिट्टी जलजन्य फल्लोसगड नीम खनिज नियम, 2016 के प्रावधानों, अनुसूचित जलजन्य योजना एवं पर्यावरणीय प्रकल्प योजना के अनुसार किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि खेमिग अमिक कार्य पर लगाई जाते हैं तो ऐसे अमिकों के अभाव उचित अवस्था परियोजना प्रभावक द्वारा की जाएगी। अन्तरालीय सावक्य अन्तरालीय संरक्षणार्थी के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के परभाव हटवा जा सके।
33. अमिकों के लिए खनन स्थल पर स्थल पर्यजन विधिवतकीय सुविधा, मोबाइल टायलैट आदि की आवश्यक परियोजना प्रभावक द्वारा की जाए।
34. अमिकों का समय-समय पर आयुर्वेक्षणन हेतु सर्विलंस करना आवश्यक है।
35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अन्तय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति का अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा अधिकतम अधिकारों के अधिकतम अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
36. जलजन्य की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित जलजन्य योजना के अनुसार वारिक योजना, जिसमें मिट्टी जलजन्य सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. फल्लोसगड / पर्यावरण, वन एवं जलसाधु परिकल्पन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. एस.ई.आई.ए.ए. फल्लोसगड पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संपूर्ण में परिकल्पन अथवा विनिर्दिष्ट स्तरी के संरक्षणक रूप से चलन न करने की दशा में

किसी भी तर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्कास के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय संगठन वही हैं, जो कि परियोजना क्षेत्र के आवा-वास व्यापक रूप से प्रस्तुति हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की 02 दिनों के भीतर इस आवास की सूचना प्रस्तुति करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parashah.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलसपुर, एस.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
40. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तावित शर्तों के पालन की प्रतिवेदन की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये रिपोर्टों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
41. एस.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली प्रतिवेदन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करते जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
42. परियोजना प्रस्तावक जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी, परिसंकटमय और अन्य अपेक्षित (प्रवेश एवं सीमापार संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
43. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह ने प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह इस पर विचार कर शर्तों की पारंपरिकता अथवा गंभीर शर्त निर्दिष्ट करने कक्षा निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा प्रत्येक एस.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
44. जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-अधीन एवं जलसंग्रह केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में विवरण की प्रतियों के विनिर्दिष्ट प्रस्तुति करेगा।

45. राष्ट्रीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की भांति 18 के दिखे गये प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि के भी जा सकती।


सादर्य सचिव, एन.ई.टी.सी.


सादर्य, एन.ई.टी.सी.

मैसर्स पासीद बिस्स अर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड (प्री-बी गोवेन्द भागवती) की बसरा क्रमांक 1303, 1305, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2 ग्राम-पासीद, तहसील-बिलास, जिला-बिलासपुर कुल लीज क्षेत्र 1.662 हेक्टेयर मिट्टी उत्खनन (मीन खनिज) हमला - 3.667.2 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कन्साई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी बलस्तर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.662 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (मीन खनिज) हमला - 3.667.2 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुन्दी लगाया जाए। लीज क्षेत्र के बाह्य ओर ताल से घेराबंदी किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तों का उल्लंघन मान्य जाएगा। उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की किताब भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए, नोटिफिकेशन, 2006 (ज्या संशोधित) के प्रावधानों के तहत होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी लिखित सूचना से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परीक्षा सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल सार के बाहर असंतुल्य प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल सार के नीचे किसी भी परिसिद्धि में नहीं किया जाए।
8. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं वर्गीकृत व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिसिद्धि में निस्तमित नहीं किया जाए अतः इसे प्रक्रिया में अथवा कुलरोपण हेतु पुनःप्रयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिसिद्धि में निस्तमित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उत्पन्नित दूषित जल की शुद्धता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा भारतीय पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जे पी कतीर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. यू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय यू-जल बोर्ड से परामर्श प्राप्त करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
9. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न प्रदूषित कचरा उत्सर्जन का निरोधन प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीय मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य कचरा उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल शिथिलता की व्यवस्था किया जाना इसका उचित संकलन / संभारण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत निर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संकलन द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होने पावेंगे।
11. टोस अप्रिस्ट को रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को यू-मरम्भ एवं रोड के संभारण हेतु उपयोग किया जाए।
12. भराई ऐश को उड़ाने से रोकने के लिए समय-समय पर पानी का शिथिलता किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की भराई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर किसीत प्रभाव न पड़े।
13. उत्खनन के दौरान हटाई गई चपरी मिट्टी (टोप सोईल) का उपयोग ईट निर्माण में प्रयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि को पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक क्षेत्रों को क्लियर (रेडिक्लियर) करने में किया जाए। जहाँ पर चपरी मिट्टी (टोप सोईल) को खनन प्रक्रिया के समय-समय (रेडिक्लियर) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से संग्रहित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
14. औद्योगिक एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि सम्बंधित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विरहित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के समाप्त होने तक क्षेत्रों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सम्बंधित कम्प की ऊँचाई 05 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। औद्योगिक कम्प का खनन रोकने हेतु वैकल्पिक तरीके से पुनर्भरण किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्टी तीव्र क्षेत्र के आस-पास के कठोरी जल स्तरों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, कम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में सिटिंग वॉल / ग्राउन्डवॉटर ट्रेन की व्यवस्था की जाए।
16. मिट्टी, भराई ऐश एवं ईट का परिवहन सावधानीपूर्वक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसके दुपे वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बहने नहीं मिले। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समता से अधिक नहीं गत जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रकल्प योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
10	2%	0.2	Following activities at Government higher secondary School Village-Pasid	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Portable Drinking Water Facility	0.30
			Running Water Facility for Toilet	0.15
			Plantation in School/Community Health Centre	0.15
			Total	1.0

19. सीईआर के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सीईआर के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरंत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हुए प्रस्तुत किया जाए। सीईआर कार्य की संकल्पना सुनिश्चित करना अपरंत उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर कार्यवलय स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
20. सीईआर एवं वृक्षारोपण कार्य के कोऑर्डिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रिन्सिपल/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रखंडसमूह कार्यवलय संयोजक समूह के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जावे, तब उन्हें प्रधान/प्राचार्य/भट्ठा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईआर के तहत अपरंत द्वारा कतरे गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया जायकी जिम्मेवारी होगी।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वास्तव्य हेतु निषिद्ध क्षेत्र (घाटी तल 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), डील रोड, ओवरबर्डिंग अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 200 वृक्षों का रोपण वृक्षारोपण किया जाए। इनित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्रत्यक्षता के अन्तर्गत पर प्रधान प्रयोग द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 350 मम चौड़े लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कांज, पीपु, आम, इमली, अर्जुन, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का रोपण 3 परियोजना में प्रधान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुदृष्टित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (सब काटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दसा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विनीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीपल का ही

रक्षण किया जाए। उल्लेख्य कुशलरक्षण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कुशलरक्षण नहीं करने का जारी पर्यावरणीय सौकरुति निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संतुल्यजन (Nursling) एवं पौधे की नाम का उल्लेख कल्लो हुये फोटोप्रामस संहित जानकारी अर्थावर्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
25. नार्मलिन लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सामन कुशलरक्षण किये जाने एवं रोपित पौधों का सारवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशलरक्षण का एक-रक्षण आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों की प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये कुशलरक्षण की पुष्टी हेतु डिजिटल ग्लोबल पोजिनिंग सिस्टम (Digital Global Positioning System) सॉफ्ट एवं फोटोप्रामस अर्थावर्षिक रिपोर्ट में समहित करते हुये फलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण कण्ट्रोल एवं राज्य सरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिकरण (रा. ई.आई.ए.ए.), फलतीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 बीटर इतिरहित क्षेत्र में इस्तमित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत इस्तमित कार्य कल्लो नहीं गये जाने पर पर्यावरणीय सौकरुति को निरस्त करने की कार्यकड़ी की जाएगी।
28. उल्लेखन क्षेत्र में अग्नि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
29. उल्लेखन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।
30. मिट्टी उल्लेखन फलतीसगढ़ गीन अर्थावर्षिक नियम 2018 के प्राधानी, अनुमोदित उल्लेखन योजना एवं पर्यावरणीय प्ररक्षण योजना के अनुसार किया जाए।
31. कार्य स्थल पर यदि डेम्पिंग अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अर्थावर्षिक के अभाव प्ररहित अर्थावर्षिक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अर्थावर्षिक अर्थावर्षिक संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
32. अर्थावर्षिक के लिए खनन स्थल पर लक्ष्य केराजल विकिरणासीय सुविधा, बीराइल टायलर अर्थावर्षिक की अर्थावर्षिक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
33. अर्थावर्षिक का समय-समय पर आम्पुटेशनल इत्य सविलेस कराना आवश्यक है।
34. इस पर्यावरणीय सौकरुति को जारी करने का आभाव किसी अर्थावर्षिक अर्थावर्षिक अर्थावर्षिक पर अधिकार दर्जने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय सौकरुति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अर्थावर्षिक अर्थावर्षिक अधिकारों के अधिकरण अर्थावर्षिक कंध, राज्य एवं स्थानीय सानुनी/विधियों के उल्लेखन हेतु अधिकृत करता है।
35. उल्लेखन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उल्लेखन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उल्लेखन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन रा. ई.आई.ए.ए. फलतीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भेराजल, भासा सारवाय की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. रा.ई.आई.ए.ए., फलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की अर्थावर्षिक में परिवर्तन अर्थावर्षिक विनिर्दिष्ट सर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी सर्त में संतोषन/निरस्त करने अर्थावर्षिक नई सर्त जोड़ने अर्थावर्षिक उल्लेखन / निम्नराय के नमकों को अर्थावर्षिक करने का अधिकार सुविधा करता है।

37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम छह स्थानीय संस्थाओं परी में, जो कि परियोजना क्षेत्र के जल-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के छह दिनों के भीतर इस आराम की सूचना प्रसारित करेंगे कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ संबंधित, छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अद्यतनीकरण हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अद्यतनीकरण वेबसाइट pollution.nic.in पर भी किया जा सकता है।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई अर्जवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जटाल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
39. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदात शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये वसताकेजी एवं आर्किव का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संका में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
41. परियोजना प्रस्तावक छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बन्दे गये नियमों, परिभाषक तथा और अन्य अपशिष्ट (प्रका एवं सीमांत संघालन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (ज्या संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने संबंध निर्दिष्ट से सके। सहान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं जल और वन एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में दिना की अवधि के लिए प्रदर्शित करेंगे।

44. प्रासंगिकता की विलम्ब अर्पित गैरमान्य छानबीन के समक्ष, गैरमान्य छानबीन एक्ट 2010 की धारा 38 में दिये गये प्रासंगिकता अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

निसर्ग रोपड़ आर्किटेक्चर स्टोन माईनिंग (प्री) प्राइवेट लिमिटेड स्टोन क्वारी, पार्टनर- श्री जीवेन्द्र नारायण बिष्टाजी) को लगभग क्रमांक 855, कुल लीज क्षेत्र 0.28 हेक्टेयर, खान-रोपड़, ताहलील-अलापपुर, जिला-सुरजपुर में सख्तानन चखर (मीन खनिज) उत्खनन - 878.8 टन (281 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.28 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सख्तानन चखर का अधिकतम उत्खनन 878.8 टन (281 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकन पक्के नुसार लगाया जाए। लीज क्षेत्र के चारों ओर तार से घेरावही किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की कैंपता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (पंचा संशोधित) की आवश्यकताओं के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना बोर्ड (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, ज्योतिष एवं वैज्ञानिक सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत जीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान की अनुसार कुआरोपम एवं परिवहन सड़कें एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुँच मार्गों के संवर्धन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का समयपूर्व प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर्ता हूँ प्रस्तुत किया जाए।
6. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन सुनिश्चित करछे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोध निपुणता करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा साफ़ी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निक्षेपित नहीं किया जाए, अतः इस प्रक्रिया में अथवा कुआरोपम हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोल्पीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा साफ़ी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निक्षेपित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं कचरे का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी सावधानी की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. खनि पट्टा कायक खान संचालन बंद करने के पश्चात (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खनन प्रतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to these mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-vegetation) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह बात समझाई जा सके कि खनन क्षेत्रों की उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित गाईड लाइन्स प्लान एक चार के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
9. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य क्षेत्रों से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी विनरी / बेट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्वार, स्वीम, ट्रेसिअर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का वेन फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन प्रतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्वार्टिटिक डस्ट फ्लोअर का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। पट्टा मार्ग, रोड, संवहन क्षेत्र, पहाई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंट्रोलिंग कम सर्वेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सख्त संचालन / संभाल सुनिश्चित किया जाए। विनर ड्रेनिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. वाहनों, खनन एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिधान संकलन, नई दिल्ली द्वारा अधिनियमित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ बेंचिंग का कार्य किये जाने के पश्चात ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / सम्भालन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय सौकरुति किसी भी समय ताकाल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
14. उत्खनन क्रिया के दौरान छोड़ी गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुनर्स्थापन हेतु अपना बाकरी ओवरलैपिंग को स्थिर (स्टेबिलाइज्ड) करने में किया जाए।
15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर संकलित रूप से संकलित रखा जाए। मिट्टी का पुनर्स्थापन, विनर एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्स्थापन के लिए किया जाए।
16. ओवरलैपिंग एवं अनुमोदनी / किसी अपेक्षित खनिज (जिस्ट रीक) को प्रथम से पूर्व से विनरीत स्थल पर सम्भारित किया जाएगा। इस प्रकार के सम्भारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि सम्भारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढेर की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैपिंग ढेर का सारा रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो आवश्यकताएँ एवं अन्य अनुसूची/विहीन अयोग खनिज (सिल्ट टीक) को खनन के प्रस्ताव देने मद्द्दी में सुझावन (बैक सिनिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अव्यक्त स्थिति वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परिसीमा प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट टीक क्षेत्र के जल-वायु के सखी जल स्तरीयों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में सिटिंग वॉल / ग्राउन्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कच्ची राहों से किया जाए, ताकि खनिज राहों से राहें नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यवरण प्रबंधन योजना में अंतर्गत किया जाए--

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
4.53	2%	0.0906	Following activities at Government High School Village-Mayapur-I	
			Donation of books related to Environment Conservation	0.075
			Steel Alms	0.060
			Total	0.125

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यकारी 08 महीने में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के कारोबार प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्रचार के कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्यकारी रिपोर्ट में सम्मिलित करती हुई प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अपराध प्रत्यक्ष होगा। कुशलता अवसर होने पर पर्यावरण स्वीकृति निवृत्ति की जायेगी।
23. सी.ई.आर. एवं कुशलता कार्य के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-पक्षीय समिति (जेमलईटर/प्रतिनिधि) ग्राम संसाधन के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जिलास्तर पर्यावरण संरक्षण मन्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलता का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित वि-पक्षीय समिति से सम्बन्धित करारा जाए।
24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें प्रधान/प्रयोग/मद्दा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपने द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अपनी जिम्मेदारी होगी।

25. उल्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (भारी ताक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), लीज रेंज, ओवरलैपिंग अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति को 100 नम नमूनों का सघन कुशारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। इतिव पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, पीप, रुमर, बीरु, आम, इमली, कर्पूर, बीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 50 नम नमूनों का रोपण (कुल 200 नम नमूनों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कटोराएँ तब के बड़े अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विहीन क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशारोपण किया जाए। उपरोक्त कुशारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं क्षेत्र 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 मीटर से 8 मीटर ऊंचाई वाले पेड़ों का ही रोपण किया जाए। कुशारोपण नहीं करने पर जलरी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किए जाने वाले पेड़ों में संख्यांकन (Numbering) एवं पेड़ों के नाम का संलेख करते हुए जिर्गेटिंग (Geotag) फोटोग्राफ सहित जानकारी फॉर्म प्रतियोग के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कुशारोपण किये जाने एवं रोपित पेड़ों का सतहईकृत रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशारोपण का रख-रखाव लगभग 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पेड़ों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। इसके द्वारा रोपित पेड़ों के कुशारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये कुशारोपण की पुष्टी हेतु बी.जी.पी.एस. (Bihar Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ आनुवंशिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए जलरीसंग्रह परीक्षण संस्थान कच्छल एवं एस.ई.आई.ए.ए. जलरीसंग्रह को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रसावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्धित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रसावक द्वारा खनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। खनि का साल उल्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज खनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी करवा जाए।
32. उल्खनन प्रक्रिया सू-जल सार के साथ असंतुल प्रभाव में की जाएगी एवं उल्खनन प्रक्रिया सू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। सू-जल सार को छति न पहुँचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।
33. उल्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनपरिधी एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण अपना दक्षिण होगा।
34. परियोजना प्रसावक द्वारा ग्रीन खनिज का उल्खनन जलरीसंग्रह ग्रीन खनिज नियम, 2018 के प्रावधानों, अनुसंधित उल्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। सर्वेन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि बेमिपन श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं भुख्ता हेतु उचित व्यवस्था परिशोधन प्रसावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अन्धायी संस्थानों के साथ में ही सकती है, जिसे परिशोधन पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेमाजल विविधराष्ट्रीय सुविधा, पीमाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परिशोधन प्रसावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आयुर्वेदजनल हेतु शमितित कराना आवश्यक है।
38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुशोधित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, श्रमिक की मात्रा एवं अवशिष्ट शमितित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकमंड / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अवयव अन्य सम्पत्ति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अवयव केन्द्र राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के परलक्षण हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकमंड पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिशोधन की संवेक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निलस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निम्नाय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परिशोधन प्रसावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाजगत पक्षों में, जो कि परिशोधन क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आसय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिशोधन को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, प्रतीकमंड पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकमंड की वेबसाइट www.mca.gov.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में की गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रतीकमंड पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रतीकमंड पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकपुर, एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकमंड एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नारा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिशोधन प्रसावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेंट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकमंड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रमुख निदेशन बोर्ड / प्रतीकमंड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिशोधन प्रसावक द्वारा

विभिन्न भाषा का अनुवादन करना नहीं पाये जाने पर पाठ्यपुस्तक स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

43. परिचालन प्रशासक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अधिपार्य रूप में पालन करेगा। वे शर्तें जल प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाने वाले नियमों परिसंकाटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रकाश एवं सीनाघन संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक दण्डित दंड अधिनियम, 1986 (यहां संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
44. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की वजह से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, यदि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्देश ले सके। खदान में कोई भी विलान अथवा उगमन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
45. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-प्रशासन एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
46. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए अवसरों अनुसार, 30 दिनों की अवधि अवधि के भी जा सकती है।

संस्कृत-सहितः पुस्तक-सूची

— **WILLIAM** —

केसरल कोट जर्बिनरी स्टीन बाईन (प्री- श्री एचि कुमार गुप्ता)
की समयावधि क्रमांक 247, 248 एवं 249, कुल लीज क्षेत्र 1.82 हेक्टेयर, जल-कोट,
तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोटा में सार्वजनिक पथ पर (ग्रीन बेल्ट) परियोजना -
18,307.87 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम परियोजना क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.82 हेक्टेयर अथवा फलीसगढ़ साखर, खनिज साखर विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (शेडों में से जो बन ही) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सार्वजनिक पथ पर का अधिकतम परियोजना 18,307.87 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर चारों ओर से सुरक्षित कराया जाए। लीज क्षेत्र के चारों ओर छत से घेरावही किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अवधि एवं देसांतर स्थिति, परियोजना की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. स्लॉटर हेतु प्रस्तावित सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार बुनियादी एवं परिवहन सुविधाएँ एवं खदान से परिवहन शुरूक तक पहुँच मार्गों के निर्माण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण इतिवेदन प्राप्त कर अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए।
6. मानवीय एन.जी.टी. के अवधि दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलु दूषित जल (खेदि कोई हो), के उपचार की सुविधा एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्रारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा बुनियादी हेतु पुनः उपयोग किया जाए। धरेलु दूषित जल के उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं लोकराई की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्रारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं जर्बाइल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। पनचरित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा फलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. जग्गी पट्टा का एक जगम संचालन क्षेत्र बनाने के उपरांत (और जगम संचालन operations) जगम क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि जगगी जगम गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to these mining activities) हुए हैं, उनको री-प्रोसेसिंग (re-processing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस विधि एक किंचा जाएगा, जिससे यह बाघ, कलकटिनी, जीर्ण आदि के वापस होने अनुमति हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्रतीकरी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
9. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से वांछनम आदेश करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की विधि में संबंधित विभाग से उत्खनन आदेश करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी किसी / डेट / पॉइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 60 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, ग्रेन, ट्रांसपर पॉइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्ट्रा एक्स्ट्राक्शन सिस्टम के साथ कुछ दूराता का बेस फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न स्टूडिस्ट अल्ट्रा एक्स्ट्राक्शन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। धूल मार्ग, रैम, संग्रहण क्षेत्र, बरतई एवं अन्य अल्ट्रा एक्स्ट्राक्शन बिन्दुओं अल्ट्रा एक्स्ट्राक्शन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संभाल सुनिश्चित किया जाए। विन्ड डेविन बोल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. वाहनों, खनन एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1987 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिसीम वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परियोजना संकल्प, नई दिल्ली द्वारा अधिनियमित मानकों से अधिक नहीं होने चाहिए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ बैरियर का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
13. जीव क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई रोड का क्षेत्र / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुसरोपण किया जाए। ऐसा करने नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय लीक्यूरी किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
14. उत्खनन क्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुनः स्थापन हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित (स्टेडिस्टाईज) करने में किया जाए।
15. ऊपरी मिट्टी को जीव क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर सुरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विच्छेद एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्स्थापन के लिए किया जाए।
16. औद्योगिक एवं अनुपयोगी / बिछी अवशेष खनिज (ग्रेट रोक) को मृदा से पूर्व से चिन्हित स्थान पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर निर्धारित प्रभाव न डाल सकें। कम की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्तंभ 28 डिग्री से अधिक न हो। औद्योगिक अवशेष का जल रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कुसरोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो आवश्यकतानुसार एवं अन्य अनुयायी/सिद्धि अधीनस्थ स्थिति (सिस्टम) को समान के पर्याप्त रूप में सुनिश्चित (सिस्टम) हेतु जांचा जाये, ताकि सुनिश्चित कि मूल उपयोग अथवा वित्तित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि समान प्रक्रिया से प्राप्त सिस्टम जोड़ क्षेत्र के अन्त-भाग के लक्ष्य जल स्तरों में प्रभावित न हो। इसे देखते हेतु नईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में सिस्टम वॉल / चार्लेम्ब ड्रेन की आवश्यकता की जाए।

20. स्थिति का परिवर्तन कचरा बहान से किया जाए, ताकि स्थिति बहान से बहान नहीं मिले। स्थिति का परिवर्तन कर रहे बहानों को अन्त से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य कार्यक्रम प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.47	2%	0.26	Following activities at Village-Modipara	
			Plantation at Village pond	0.52
			Total	0.52

22. सी.ई.आर. के लक्ष्य निर्धारित कार्यकारी 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवधिकार रिपोर्ट में समाहित करना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम ही जल की निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, ताब उन्हें स्थल/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के लक्ष्य अपने द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अनिवार्य निर्देशारी होगी।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत लक्ष्य के कार्य और (आम, कटारत एवं जामुन) कुआरेषण हेतु प्रस्ताव प्रस्ताव अनुसार 40 मग पौधों का कुआरेषण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में लक्ष्य के कार्य और 15 मग कुआ है तथा बीच 25 मग पौधों के लिए प्रति 2,000 रुपये, पौधों के लिए प्रति 8,200 रुपये, खाद के लिए प्रति 1,200 रुपये, सिंचाई तथा रस्स-तट्टा आदि के लिए प्रति 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 17,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 68,000 रुपये हेतु परकटन व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भीरीपट के सहमति उपरोक्त के समायोज्य लक्ष्य (प्रस्ताव अन्तर्गत 548 एवं 547, क्षेत्रफल 0.47 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर. एवं कुआरेषण कार्य के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के वडाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन

या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की पर्यावरणारी/प्रतिनिधि) चयन किया जाने आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं क्लारिफिकेशन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त चयित नि-पक्षीय समिति से मान्यपत्र कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/खट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवक होने वाले सभी कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अपनी जिम्मेदारी होगी।

26. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (सभी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), लीज क्षेत्र, ऑपरेशनल इला आदि में स्थानीय प्रजाति के 225 नम नुकी का समय क्लारिफिकेशन प्रथम वर्ष में किया जाए। चयित पार्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. बाधनिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार कड़, पीपल, नीम, कलंज, सीसू, अमर, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 325 नम पौधों का रोपण (कुल 1,100 नम पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिसका अंतर्गत तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित राज्य पंचायत द्वारा विन्नीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार क्लारिफिकेशन किया जाए। उपरोक्त क्लारिफिकेशन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं सोम 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 8 फीट लंबाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। क्लारिफिकेशन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति लम्बाय निरस्त की जा सकती है।

28. चयित चयित जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का डब्लेड कार्ड हुने डिपॉजिट (Deposit) फोटोग्राफ सहित जानकारी प्राप्त प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर समय क्लारिफिकेशन चयित जाने एवं चयित पौधों का सल्वाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही क्लारिफिकेशन का रख-रखाव आवामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आवक होने वाले चयित पौधों के क्लारिफिकेशन को समय बचना आवामी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. चयित चयने क्लारिफिकेशन की दुपरी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थवर्षिक रिपोर्ट में संश्लिष्ट करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रभावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिचित्रित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत करना नहीं चयित जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रभावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DBA एवं रात्रि के समय 70 DBA से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले समितियों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साधीन जाँच एवं आरक्षण अनुसार उनका जांचाव भी कराया जाए।

33. उत्खनन प्रक्रिया नू-जल स्तर के उपर असंशुभ प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया नू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। नू-जल स्तर की क्षति न पहुँचे, इसका समुचित ज्ञान रखा जाए।

34. राजस्व की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण अपनाया जायेगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बनिज का राजस्व छातीसगढ़ ग्रीन बनिज नियम, 2018 के प्रावधानों, अनुमोदित राजस्व योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मार्चन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि कंमिन्ड अधिक कार्य पर लगाने जाते हैं तो ऐसे स्थलों के अभाव एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अत्याधिक व्यवस्था अथवावी संरचनाओं के कम में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. स्थलों के लिए छतन स्थल पर स्वच्छ वेलाजल विहितसकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. स्थलों का समय-समय पर अवसूचनात्मक हेतु सविज्ञान करना आवश्यक है।
39. राजस्व की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित राजस्व योजना के अनुसार वनिक योजना, विमाने उत्खनन, बनिज की मात्रा एवं अवशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा अधिकृत अधिकारों के अधिकरण अथवा वेन्ड, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संरक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट हार्ड के संशोधन रूप से चलाने न करने की दृष्टि में किसी भी हार्ड में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई हार्ड जोड़ने अथवा परिवर्तन / निरस्तन के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आठ-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ की वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई हार्ड के चलाने हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दहली अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दहली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अग्रगत हार्ड के चलाने की नीतिनिर्माण की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए

दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशन बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण समूह के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण समूह एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 राहु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिश्लेषक तथा और अन्य अधिनियम (प्रवेश एवं सीमासार संघर्ष) नियम, 2018 तथा लोक दण्डित विनियम, 1994 (जमा संग्रहित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विषयवस्तु अथवा परिवर्तन होने की वजह से एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सुचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाधित निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण समूह पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं राज्य केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिये गए आदेशों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।


सदस्य सचिव, एन.ई.ए.सी.


अधीक्षक, एन.ई.ए.सी.

नैसर्गिक विपदा विनियम (अमलमेंगैमान अधिनियम स्टोन ब्लॉक, जो - श्री रमेश कुमार चुराना)
को चार्ट ऑफ ससरा कर्मांक 2008/2, कुल लीज क्षेत्र 3.24 हेक्टेयर, ग्राम-दुल्ली,
तहसील-होलेवाड़ा, जिला-पश्चिम बंगाल होलेवाड़ा में सामान्य पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन
- 1,88,888 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को
सख्त ध्यान में रखा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 3.24 हेक्टेयर
अथवा प्रतीसमग्र सासन, खनिज सासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टोपी) में
से जो काम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सामान्य पत्थर का
अधिकतम उत्खनन 1,88,888 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की
सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाया जाए। लीज क्षेत्र के चारों ओर
जरूर वे रोशबंदी किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. पोटेंशियलेशन, 2006 (यथा संशोधित) के
प्रावधानों के तहत रहनी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज
धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अवधि एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा,
स्वीकृति आदि) लगाया जाए।
4. कलक्टर हेतु प्रस्तुत कीमती इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार कृतावीर्य एवं
परिष्कृत सड़कों एवं खदान के परिवहन सड़क एक चतुर्भुज मार्गों के संयोजन का
कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों
का कार्यपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त कर अवधिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत
किया जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा
मार्गनिर्माण प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करके जाने
हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई
हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी
नदी अथवा साही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में गिरावड़ा नहीं किया
जाए, अतः इस प्रक्रिया में अथवा कृतावीर्य हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू
दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं
जल को किसी नदी अथवा साही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में गिरावड़ा
नहीं किया जाए। दूषित जल एवं पर्यावरण का जल अयोजन में न मिलने देने हेतु भी
व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन
और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा
प्रतीसमग्र पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के
अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संयोजन बंद करने की अवधि (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-grassings) की जादनी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह पार, जनसंख्या, जीवों आदि के प्रभावित हेतु पर्याप्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान प्रधिकारी से अनुमोदित माईन रीहाबिलिटेसन एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत के जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी किसी / वेट / पाईट बोर्ड से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, खनि, ट्रांसफर पाइपलाइन (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उष्ण दबाव का वेन फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्वार्ट्जिटिक डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। फ्लूइड मार्ग, रेम्प संयोजन क्षेत्र, बरौंड एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम संयोजन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका उचित संयोजन / संयोजन सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न ड्रेजिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खान एवं अन्य इकाइयों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 से उचित निर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिसरित संयोजन, नई दिल्ली द्वारा अधिनियमित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान के चारों तरफ बैरिंग का कार्य किये जाने के अवधि ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाए।
14. जीव क्षेत्र के चारों तरफ छोटी रई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / सम्भारन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय सौकरुति किसी भी समय उत्खनन प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन इकाइयों के दीवार लटवाई रई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबैंक को स्थिर (स्टेबिलाइज्ड) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को जीव क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विफल एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापन के लिए किया जाए।
17. ओवरबैंक एवं अनुपयोगी/बिजली उपयोग धनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थान पर भण्डारित किया जाएगा। इन प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आत-वास की भूमि पर विधित प्रभाव न डाल सकें। ढग की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्तरोच 20 किमी से अधिक न हो। ओवरबैंक ढग का ढलान होकर हेतु वैधानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो आवश्यक एवं अन्य अनुमोदी/मिळी अवधि पर्यंत (सिस्टीम) को खनन के प्रस्ताव को मजूरी में मूलभूत (बैक सिस्टीम) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा स्थित बैकसिस्टीम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्टीम जीव क्षेत्र के जल-वायु के सही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे देखने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में सिस्टीम बीज / पारलेमड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनित का परिवहन कच्ची राहों से किया जाए, ताकि खनित वाहन से कहर नहीं मिले। खनित का परिवहन कर रहे वाहनों को जमात से अधिक नहीं बना जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव या कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	2%	0.90	Following activities at Village- Dhurli	
			Pavitra van	0.20
			Nirman	0.20
			Total	0.20

22. सीईआर के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 वर्ष में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सीईआर के कार्यालय प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरंत संशोधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/उद्योग/मेटा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईआर के तहत आणके द्वारा कबले गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक दिखेवाही होगी।
23. सीईआर के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंचल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अलसताल, कदम आदि) कुलरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,300 रुपये, ट्री-गार्ड के लिए राशि 10,000 रुपये, छांव के लिए राशि 150, सिंचाई तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 1,40,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,57,440 रुपये हेतु प्राथमिक व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सुरती के सहमति उपरंत कक्षाधीन स्थान (खसरा क्रमांक 1208, क्षेत्रफल 0.95 हेक्टेयर में) के संकेत में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
24. सीईआर एवं कुलरोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के महासचिव/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जिलास्तर पर्यावरण संरक्षण मण्डल के महासचिव/प्रतिनिधि) स्थापित किया

जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं कृषारोपण का कार्य पूर्ण दिवस जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जंग की निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु तयार हो जाने, तब उन्हें खदान/खोदो/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपकी द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. आकस्मिक हेतु विभिन्न क्षेत्र (यानी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), लीज क्षेत्र, ओवरबर्डन इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्थानीय प्रजाति के 1,740 नम नुमाँ का सघन कृषारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। इति पट्टी का विकास संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. प्रत्यक्षता के अभाव पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, चीकू, आम, इमली, बबुन, लीन आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 650 नम बीघों का रोपण (कुल 2,300 नम बीघों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुदृष्टित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिसकाटेदार तार के साथ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित राज्य संघागत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कृषारोपण किया जाए। उपरोक्त कृषारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं डेम 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट लंबाई वाले बीघों का ही रोपण किया जाए। कृषारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति रद्दबात निम्नता की जा सकती है।

28. रोपित किये जाने वाले बीघों में संयोजन (Mixed-species) एवं बीघों के नाम का उत्प्रेषण करने वाले डिप्लेट (Diplomat) फोटोग्राफ सहित जानकारी वाला अभिलेखन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कृषारोपण किये जाने एवं रोपित बीघों का सत्याईवत नेट (Satellite map) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृषारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करने हेतु नुम बीघों की प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपकी द्वारा रोपित बीघों के कृषारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. किये गये कृषारोपण की भुष्टी हेतु डी.डी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफिक सर्वेयरिंग रिपोर्ट में समाहित करने हेतु अतीसमय पर्याप्त संयोजन सम्पन्न एवं एस.ई.आई.ए.ए. अतीसमय को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर अधिकृत क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लीज सुगम्य से दिये गये आकस्मिक के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निम्नता करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DBA एवं रात्रि के समय 70 DBA से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले मशीनों को इस्तेमाल/गक आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर विधिसंगीत लीज एवं आकस्मिक अनुमान ताला उपलब्ध भी कराया जाए।

33. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल सार के उपर असरित प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। मू-जल सार की क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं का कोई प्रदूषण न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आवश्यक दायित्व होगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बिल्डिंग का उत्खनन भारतीयसमग्र ग्रीन बिल्डिंग नियम, 2018 के प्राधान्य, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। आईन एक्ट 1982 के प्राधान्य का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि केमिकल खनिज कार्य पर लागू लागे हैं तो ऐसी खनिजों के अभाव एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। भारतीय वायुवा अथवा संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरे होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. खनिजों के लिए खनन स्थल पर वायु प्रदूषण विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीय टाचरों आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. खनिजों का समय-समय पर आयुर्वेदिकनन हेतु सहीरित करण आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, बिल्डिंग की मात्र एवं अवधि निर्दिष्ट है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसमग्र / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अभाव किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्था पर अधिकार दर्शने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संस्था को मुक्तान चौकने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकृत अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधि के तत्त्वधन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसमग्र पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कपरेका में परिवर्तन अथवा निर्निर्दिष्ट हार्ड के संरक्षण रूप से चलन न करने की दृष्टि में किसी भी हार्ड में संरक्षण/निरास करने अथवा नई हार्ड चौकने अथवा तलाकन / निरस्त के मासकों के और सला करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
42. परियोजना प्रस्तावक नृत्तन 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास वायु रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, भारतीयसमग्र पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसमग्र की वेबसाइट samagra.mca.gov.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई हार्ड के चलन हेतु की गई कार्यवाही की अंत वार्षिक रिपोर्ट भारतीयसमग्र पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीयसमग्र पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. भारतीयसमग्र एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दिल्पुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।



44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तावित शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वसूलावली एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निदेशिकाओं/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संघर्ष में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जिन (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतमय और अन्य अधिनियम (प्रवेश एवं सीमागत संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वक्ता में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्मुखता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। तद्वान में कोई भी विस्तार अथवा चर्चान एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनमें क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं पर्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्राधानी अनुसार, 30 दिन की समस्त अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

—सचिव, एस.ई.ए.सी.